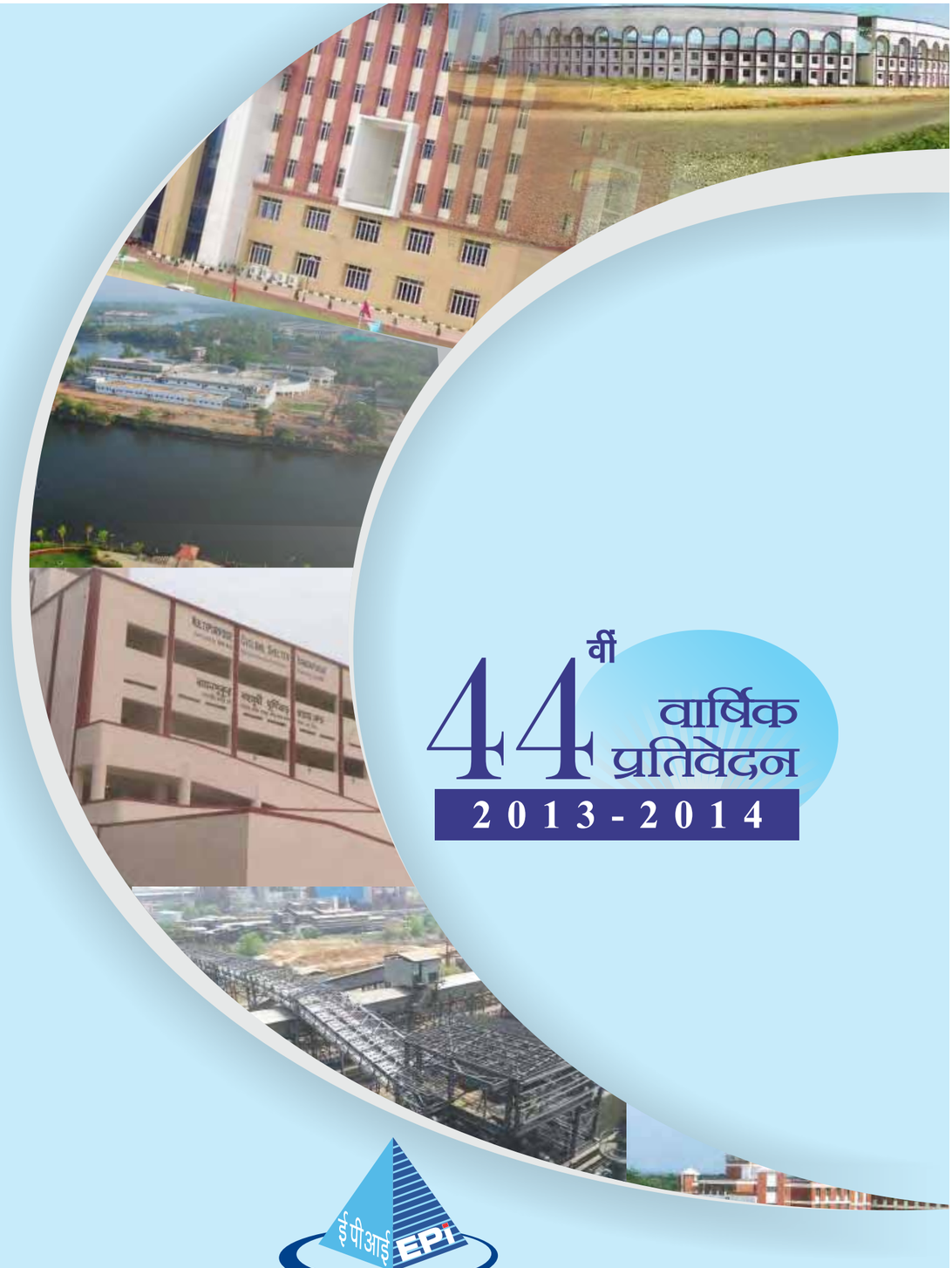

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उद्यम)

कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 लोधी रोड़, नई दिल्ली – 110 003 दूरभाषः +91–11–24361666
फैक्सः +91–11–24363426 ई–मेलः epico@epi.gov.in वेबसाइटः www.epi.gov.in

www.censer.in - 09810118199, 09811092771

44 वीं वार्षिक प्रतिवेदन

2013-2014

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उद्यम)

मिशन/ध्येय

गुणवत्ता और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए एक अग्रणी अद्योपांत परियोजना निष्पादन कम्पनी बनना, जो सतत रूप से स्टेकहोल्डरों के मूल्य का वर्धन कर रही है

ऑपरेशन के प्रमुख क्षेत्र

प्रतिष्ठित भवन

धातुकर्म परियोजनाएं

टाउनशिप

ओधौगिक परियोजनाएं एवं प्रोसेस प्लांटस

बंदरगाहों, हवाई अडडों और राजमार्गों

सामग्री हैंडलिंग, ग्रेन हैंडलिंग परियोजनाएं

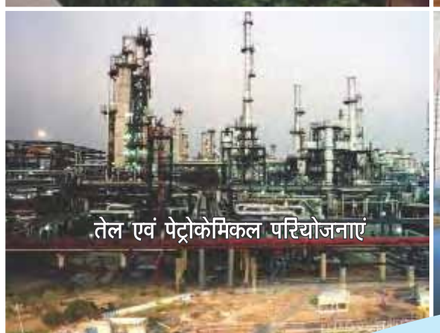
तेल एवं पेट्रोकेमिकल परियोजनाएं

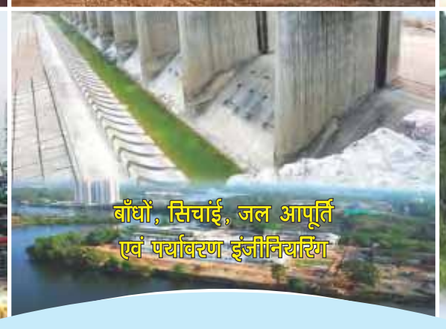
बाँधों, सिंचाई, जल आपूर्ति एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग

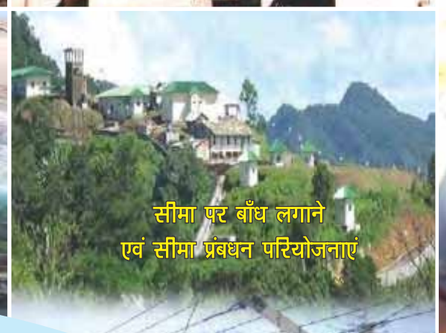
सीमा पर बाँध लगाने एवं सीमा प्रबंधन परियोजनाएं

उद्देश्य

1. नए कारोबार क्षेत्रों में विस्तार करते हुए अपने सर्वाधिक लाभदायक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए कारोबार का अनुरक्षण करना।
2. मूल्य सृजन पर अनवरत ध्यान केंद्रित करते हुए अपवादिक ग्राहक सेवा का परिदान करना।
3. गुणवत्ता और मार्जिन पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करते हुए प्रचालन उत्कृष्टता का अनुसरण करना।

अस्पताल एवं चिकित्सा महाविघालय, जोका, कोलकाता

गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 के लिए मल्लावरम में रॉ वाटर की पाईप लाईन

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
निदेशक बोर्ड	2
संदर्भ सूचना	3
ईपीआई के गत 5 वर्षों की वित्तीय स्थिति	4
अध्यक्ष का उद्‌बोधन	5–7
सूचना	8–10
निदेशकों की रिपोर्ट	11–22
प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	23–28
निगम शासन पर रिपोर्ट	29–44
निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट	45–47
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं कम्पनी के प्रत्युत्तर	48–61
वित्तीय विवरणियाँ	62–64
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	65–69
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	70–89
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	90

निदेशक बोर्ड

(एजीएम के दिन)

श्री एस पी एस बक्शी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री वीनू गोपाल
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री ए.वी.वी. कृष्णन
निदेशक (वित्त)

श्री आर. के. सिंह
अंशकालिक शासकीय निदेशक

श्री एस. एस. दूबे
अंशकालिक शासकीय निदेशक

डॉ. के. एस. राव
स्वतंत्र निदेशक

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय

कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स
7 लोधी रोड,
नई दिल्ली–110 003
फोन नं. : 91–11–24361666
फैक्स : 91–11–24363426
ई–मेल : epico@epi.gov.in
वेबसाइट : www.epi.gov.in

क्षेत्रीय कार्यालय

पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय–कोलकाता
50, चौरिंघी रोड,
(8वां एवं 9वां तल),
कोलकाता–700 071
फोन : 91–33–22824426–27–29
फैक्स : 91–33–22824428
ई–मेल : ero@epi.gov.in

पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय– मुम्बई
''बख्तावर'', 6ए, 6वां तल,
नरीमन प्वाइंट, मुम्बई–400 021
फोन : 91–22–22027585, 22026347
फैक्स : 91–22–22882177
ई–मेल : wromumbai@epi.gov.in

उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय–दिल्ली
कोर–3, दूसरा तल, स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
फोन : 91–11–24361666
फैक्स : 91–11–24368293
ई–मेल : nro@epi.gov.in

दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय–चेन्नई
3डी, ईस्ट कॉस्ट चैम्बर्स,
92, जी.एन. चैट्टी रोड,
टी. नगर, चेन्नई–600 017
फोन : 91–44–28156886, 28156421
फैक्स : 91–44–28156629
ई–मेल : sro@epi.gov.in

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय
चौथा तल, हिन्दुस्तान टावर
जवाहर नगर, राष्ट्रीय राजमार्ग
संख्या 37, बेलटोला,
गुवाहाटी – 781022 (आसाम)
ई–मेल : neroguwahati@rediffmail.com

कैम्प ऑफिस मस्कत

इंजीनियर–3 प्रोजेक्ट ओमान
केयर / ऑफ सरूज निर्माण कम्पनी
एल एल सी
पी ओ बॉक्स : 1413
पोस्टल कोड : 112
आर यू डबलू आई
ओमान सल्तनत
फोन : 0096824596001 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7
(विस्तार : 123)
फैक्स संख्या : 00968 24596011

श्रीलंका प्रोजेक्ट

पाइप्स / वी / 10
49 / 38 सी, ऑफ टैम्पल रोड
कुरूमानकडू,
वावुनिया, उत्तरी प्रांत
श्रीलंका
जिप कोड : 43000
फोन : +94–24–2227423

बैंकर्स

इलाहाबाद बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
केनरा बैंक
एचडीएफसी बैंक
कॉरपोरेशन बैंक
देना बैंक
आईडीबीआई बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
सिंडीकेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
इंडसईंड बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
इण्डियन ओवरसीज बैंक
एक्सिस बैंक

लेखापरीक्षक :

वैधानिक लेखापरीक्षक

मैसर्स सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
डी–1, द्वितीय तल, डिफेंस कॉलोनी
नई दिल्ली–110 024

शाखा लेखापरीक्षक

मैसर्स आर. बी. जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
108, श्याम कमल ''सी'' बिल्डिंग
अग्रवाल मार्केट, विले पार्ले (ईस्ट)
मुम्बई–महाराष्ट्र – 400 057

मैसर्स एल एन टोडी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
15 एन, नेली सेनगुप्ता सरानी
चतुर्थ तल, कमरा नं. 4
कोलकाता–700 087, पश्चिम बंगाल

मैसर्स वी. नारायणन एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
23, सर सी.वी. रमण रोड, अलवरपेट,
चैन्नई – 600018 तमिलनाडू

विदेशी शाखा लेखापरीक्षक

श्रीलंका
मैसर्स जयसिंधे एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
94 / 12, किरूलापोने एवेन्यू,
कोलम्बो – 05

ओमान
मैसर्स एम.एच.एम.वाई., लेखापरीक्षक
चार्टर्ड एकाउंटेंट
पोस्ट बोक्स – 385, जिब्रो पी.सी.–114,
मस्कत, सल्तनत ओमान

ईपीआई के गत 5 वर्षों की वित्तीय स्थिति

(रुपए लाख में)

विवरण / वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
क. परिचालन संबंधी सांख्यकीय					
टर्नओवर (आपरेटिंग आय)	106199.83	110368.72	90127.34	84060.96	85515.98
अन्य आय	2447.11	2490.07	3645.25	4443.17	3485.72
कुल आय (क)	108646.94	112858.79	93772.59	88504.13	89001.70
कुल व्यय (ख)	105606.30	110359.87	89416.13	84615.02	85351.80
सकल मार्जिन (क-ख)	3040.64	2498.92	4356.46	3889.11	3649.90
ब्याज	242.81	186.11	647.45	631.76	940.07
मूल्यह्रास	55.28	55.04	72.53	91.89	99.30
कर से पहले लाभ (पीबीटी)	2742.55	2257.77	3636.46	3165.46	2610.53
आयकर	(1258.80)	752.70	1189.75	1019.58	911.09
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)	4001.35	1505.07	2446.71	2145.87	1699.44
लाभांश	708.45	708.45	708.45	708.45	708.45
लाभांश कर	117.67	114.93	114.93	120.40	120.40
रोक कर रखा गया अधिशेष	3175.23	681.69	1623.33	1243.62	862.73
कर्मचारियों की संख्या	435	434	419	435	437
ईक्विटी शेयरों की संख्या	9094400	35422688	35422688	35422688	35422688
ख. वित्तीय स्थिति					
शेयर पूँजी	3542.27	3542.27	3542.27	3542.27	3542.27
रिजर्व एवं अधिशेष (मुक्त भंडार)	11825.75	12507.44	14130.76	15374.37	16237.10
सीएसआर रिजर्व	—	—	—	76.98	7.86
निवल मूल्य (शेयर धारकों का फंड)	15368.02	16049.71	17673.03	18916.64	19779.37
नियोजित पूँजी	15368.02	16049.71	17673.03	18916.64	19779.37
ग. वित्तीय अनुपात					
सकल मार्जिन / टर्नओवर %	2.86	2.26	4.83	4.63	4.27
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)/टर्नओवर %	2.58	2.05	4.03	3.77	3.05
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)/निवल मूल्य %	17.85	14.07	20.58	16.73	13.20
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)/निवल मूल्य %	26.04	9.38	13.84	11.34	8.59
प्रति कर्मचारी टर्नओवर (लाख रु. में)	244.14	254.31	215.10	194.14	195.69
भुगतान किया गया लाभांश / कर पश्चात् लाभ %	17.71	47.07	28.96	33.01	41.69
भुगतान किया गया लाभांश/कर से पहले लाभ %	25.83	31.38	19.48	22.38	27.14
प्रति शेयर अर्जन (रु. में)	44.00	4.25	6.91	6.06	4.80
बही मूल्य प्रति शेयर रु. 10 / – (2009–10 तक प्रति शेयर रु. 38.95 और 2010–11 से प्रत्येक रु. 10 / – के बाद)	168.98	45.31	49.89	53.40	55.84

अध्यक्ष का उद्‌बोधन

प्रिय शेयरधारकों,

यह मेरा विशेषाधिकार है कि, आपकी कम्पनी की इस 44वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सबका स्वागत करूँ। निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, निगम शासन पर रिपोर्ट और निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता रिपोर्ट से मिलकर बनने वाली वर्ष 2013–14 की वार्षिक रिपोर्ट पहले ही आपके पास है।

आपकी कम्पनी द्‌वारा तय किया गया मार्ग अब तक काफी चुनौतीपूर्ण रहा है, किन्तु आपकी कम्पनी ने गति बनाए रखी है और वह उंचाइयाँ छूने के लिए प्रतिबद्ध है।

आपकी कम्पनी की पिछले दो वर्षों के दौरान आदेश प्राप्त करने की स्थिति बहुत अच्छी रही है, पिछले दो वर्षों के दौरान 4,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ हासिल की गई हैं। ओमान में प्रतिष्ठित परियोजना और बाद में श्रीलंका में परियोजना प्राप्त करने के साथ आपकी कम्पनी 30 वर्ष के अंतराल के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पुनः प्रविष्ट हुई है।

भविष्य में कारोबार का विस्तार करने के लिए आपकी कम्पनी की भावी रणनीति वैश्विक बाजारों पर ध्यान केन्द्रित करने की होगी, जो घरेलू बाजार के मुकाबले अच्छा लाभ मार्जिन प्रदान करते हैं, यहाँ कठोर प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ केवल 2 से 3% ही है। ओमान और श्रीलंका के अतिरिक्त जहाँ कम्पनी की पहले ही उपस्थित है, कम्पनी मलेशिया, सऊदी अरब और अफ्रीकी देशों में अवसरों की तलाश करेगी।

विकासशील देशों और मध्यपूर्व के देशों, दोनों में भारत से बाहर अवसंरचना परियोजनाएँ प्राप्त करने पर बल इस तथ्य के साथ होगा कि भारत सरकार अवसंरचना, उद्‌योग, विनिर्माण सेक्टर पर अत्याधिक अपेक्षित बल प्रदान करने की तीव्रता से योजना बना रही है, जिसका परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी से उभारना है, इससे आपकी कम्पनी को आने वाले वर्षों में वृद्धि करने, बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए विभिन्न अवसर मिलेंगे।

आपकी कम्पनी भारत के साथ–साथ विदेशों में रेलवे संकर्म और मोनो रेल, शहरी अवसंरचना में वृद्धि की परियोजनाओं और सड़क तथा रेलवे क्षेत्र की परियोजनाओं के क्षेत्र में अद्‌भुत होने वाले अवसरों का लाभ उठाने की तैयारी कर रही है।

कम्पनी पहले ही धात्विक और सामग्री हथालन के क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र के दो पैकेजों का कार्य निष्पादन कर रही है और इसने दुग्ध और पशु चारा परियोजना के क्षेत्र में बिहार में दुग्ध प्रसंस्करण संयत्र परियोजना प्राप्त की है। आपकी कम्पनी को मुम्बई पत्तन के प्रस्तावित विकास के लिए मुम्बई पत्तन न्यास द्‌वारा परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया गया है। कम्पनी ने विद्‌युत क्षेत्र में संसाधनों को क्रियाशील करने के लिए एनटीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। आपकी कम्पनी इन क्षेत्रों/कार्यक्षेत्रों में परियोजनाओं को हासिल करने के प्रयास जारी रखेगी।

वित्तीय विशेषताएँ

पिछले दो वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता रही है। इस चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि में आपकी कम्पनी ने वर्ष 2013 – 14 में 855.16 करोड़ रुपये का व्यापारावर्त हासिल किया है, जो पिछले वर्ष हासिल किए गए 840.61 करोड़ रुपये के व्यापारावर्त से थोड़ा अधिक है। वर्ष 2013 – 14 में कर पूर्व लाभ पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 31.65 करोड़ रुपये की तुलना में 26.11 करोड़ रुपये रहा है।

प्रचालन विशेषताएँ

वर्ष 2013 – 14 के दौरान औद्योगिक प्रसंस्करण संयत्र, सामग्री हथालन और विद्युत परियोजना भाग में कुल व्यापारावर्त में सबसे अधिक (अर्थात् 68.15%) योगदान दिया। इस क्षेत्र से व्यापारावर्त पिछले चार वर्षों के दौरान बढ़ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता क्षेत्र 26.29% व्यापारावर्त के साथ, ''आवास और भवन संकर्म'' है। आवास और भवन संकर्म ने पिछले वर्ष के दौरान सबसे अधिक अर्थात् 56.14% योगदान दिया।

व्यापारावर्त में सबसे अधिक योगदान करने का इस भाग द्वारा परिवर्तन, कम्पनी के विशेषीकृत संनिर्माण पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के सतत् प्रयासों का उपदर्शक है।

समझौता ज्ञापन के अधीन कार्यकलाप

वर्ष 2013 – 14 के लिए कम्पनी द्वारा सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के निबंधनों में कम्पनी का कार्यनिष्पादन लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा, ''बहुत अच्छा'' आँका गया है।

लाभांश

आपके निदेशकों ने कम्पनी की संदत्त शेयर पूँजी पर वर्ष 2013 – 14 के लिए 20% के लाभांश की सिफारिश की है।

मानव संसाधन

कम्पनी विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त नई युवा प्रतिभा को शामिल करने की प्रक्रिया में है। इस पद्धति से आने वाले वर्षों में सक्षम कार्यदल की प्राप्ति होगी।

निगम शासन

अच्छा निगम शासन समय की माँग है और आपकी कम्पनी का दृढ़ विश्वास है कि, अच्छे निगम शासन का पथ सभी पणधारियों के लिए अविरत वृद्धि की ओर अग्रसर करता है। कम्पनी के पास पारदर्शिता का सुनिश्चय करने के लिए संकर्म मैन्युअल और लेखा परीक्षा मैन्युअल है। कम्पनी सतत् रूप से लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निगम शासन पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन कर रही है।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता

आपकी कम्पनी निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता को सर्वोच्च महत्व प्रदान करती है और निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता एजेंडा के कार्यन्वयन के लिए लोक उद्यम विभाग मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उसके पास एक दो परतीय ढाँचा है।

वर्ष 2013 – 14 के दौरान कम्पनी ने बिहार के नालंदा जिले में समुदाय विकास कार्यक्रम हाथ में लिया जिसमें शौचालयों का संनिर्माण, माडल चूषण गर्तों का संनिर्माण, कूड़ा गर्तों का संनिर्माण, जल नमूनों का परीक्षण, स्वास्थ्य जाँच शिविर, छड़ मोड़ने और काष्ठगीरी में व्यवसाय कौशल वृद्धि प्रशिक्षण, वृक्षारोपण, उत्तराखंड राज्य में श्री केदारनाथ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पूर्व फैब्रिकेटड फाइबर ग्लास हटों की आपूर्ति अंतर्वलित है। कार्यकलापों के ब्यौरे और आने वाले वर्ष के लिए योजनाओं की एक रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के साथ उपाबंध के रूप में संलग्न है।

आभार

अंत में, मैं इस बात पर बल देना चाहूँगा कि, आगे कम्पनी के लिए शानदार भविष्य है और हमें इसके लिए सतत् रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे वह शानदार शब्द याद आते हैं जो इस प्रकार हैं कि ''हजार मील की यात्रा एक कदम के साथ आरम्भ होती है''। मैं कम्पनी के सभी कर्मचारियों से आग्रह करता हूँ, कि वह इस ध्येय को मस्तिष्क में रखकर कार्य करें और हम कम्पनी की चहुँमुखी वृद्धि को देखेंगे।

मैं धन्यवाद सहित, भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार और अपने शेयरधारकों द्वारा दी गई सहायता और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने बोर्ड के सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारा सभी ग्राहकों, कारोबार सहयोगियों और बैंकरों को उनकी सतत् सहायता के लिए धन्यवाद। संगठन के निर्माता खंडों जो उसके कर्मचारी हैं, को विशेष धन्यवाद।

ह/–
(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 सितम्बर, 2014

सूचना

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के सभी शेयर धारकों को एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि, कम्पनी की 44वीं वार्षिक साधारण बैठक सोमवार 29 सितम्बर, 2014 को 3.00 बजे अपराह्न उसके रजिस्ट्रीकृत और निगम कार्यालय, कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, चौथा तल, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 में निम्नलिखित करोबार का संव्यवहार करने के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण कारोबार

1. निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट और 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के संपरीक्षित तुलनापत्र तथा उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की विवरणी के साथ उस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उसे अंगीकृत करना :

   ''यह संकल्प करते हैं कि, 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियाँ जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विवरणियों के साथ टिप्पणियाँ और उपबंध तथा उनपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ मिलकर बना है और अपने उपबंधों के साथ निदेशक की रिपोर्ट जिसके अंतर्गत प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, निगम शासन पर रिपोर्ट तथा निगम सामाजिक दायित्व और भरणीय रिपोर्ट भी है, जैसाकि बैठक के समक्ष रखा गया है और एत्द्वारा अनुमोदित तथा अंगीकृत की जाती है।''

2. वित्तीय वर्ष 2003–14 के लिए, संशोधन के बिना इक्विटी शेयर पर घोषित लाभांशों के साथ निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

   ''यह संकल्प करते हैं कि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में वर्ष 2013–14 के लिए 2 रुपये प्रति शेयर की दर से लाभांश 7.08 करोड़ रुपये होता है, जोकि 35.42 करोड़ रुपये की संदत्त साधारण पूंजी का 20 प्रतिशत (अर्थात 10 रुपये प्रत्येक के 3,54,22,688 साधारण अंश होते हैं) और उन शेयर धारकों के पक्ष में घोषणा की जाती है, जिनका नाम वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) की तारीख को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।

3. सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक तय करने के लिए और निम्नलिखित संकल्प संशोधन के साथ या बिना पारित करने के लिए :

   यह संकल्प करते हैं कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार में, कम्पनी के निदेशक बोर्ड को कानूनी लेखापरीक्षकों और शाखा लेखापरीक्षकों का वित्त वर्ष 2013–14 और उसके पश्चात् पारिश्रमिक नियत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।''

निदेशक बोर्ड के आदेश द्वारा

ह/–
(सुमिता शर्मा)
कम्पनी सचिव

तारीख : 02.09.2014
स्थान : नई दिल्ली

टिप्पणियाँ

1. बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र कम्पनी का कोई सदस्य उसके द्वारा लिखित में सम्यक्तः हस्ताक्षरित प्रॉक्सी को उसके स्थान पर भाग लेने और मत देने के लिए नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी के वैध और प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि, कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सम्यक्ता भरा हुआ, स्टैम्प लगाया हुआ और हस्ताक्षरित रूप में बैठक के प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व उसका परिदान कर दिया जाए। प्रॉक्सी का प्रारूप उपाबद्ध है।

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, कोई व्यक्ति 50 से अनाधिक सदस्यों के निमित प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है। जो कम्पनी की कुल अंश पूँजी का 10 प्रतिशत से अधिक धारण न कर रहे हों। कम्पनी की कुल अंश पूँजी का 10 प्रतिशत से अधिक धारण न कर रहे हों। कम्पनी की कुल अंश पूँजी के 10 प्रतिशत से अधिक को धारण करने वाला कोई सदस्य किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति के लिए या सदस्य के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105)।

3. दो प्रतियों में नामनिर्देशन प्ररूप इसके साथ उपाबद्ध है। यह अनुरोध किया जाता है कि कम्पनी के सभी सदस्य उसे सम्यक्ता भरकर, हस्ताक्षर करके और स्टैम्प लगाकर वापस कर दें (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 113)।

सेवा में,

1. ईपीआई के सभी शेयर धारक,
2. मैसर्स सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स, कानूनी लेखापरीक्षक,
   डी–1, दूसरा तल, डिफैंस कालोनी, नई दिल्ली–110024
3. ईपीआई के सभी निदेशक

प्रति :

1. सचिव, भारत सरकार,
   भारी उद्योग एवं लोग उद्यम मंत्रालय,
   भारी उद्योग विभाग, उद्योग भवन,
   नई दिल्ली–110001

नामांकन प्रारूप

सेवा में

कंपनी सचिव
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स् (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएन : यू 27109 डीएल 1970 जीओआई 117585,
कोर 3, स्कोप काम्प्लैक्स,
7 लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं श्री/श्रीमती_____

(नाम)

_____

(पदनाम)

को ईपीआई के शेयर धारकों की 29 सितम्बर, 2014 को आयोजित होने वाली 44वीं वार्षिक साधारण बैठक (और उसकी कोई अन्य स्थगित बैठक) में मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

धन्यवाद,

भवदीय,

हस्ताक्षर
पदनाम
मुहर एवं मुद्रा

स्थान :
तारीख :

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान कम्पनी के कार्यनिष्पादन पर 44वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

1. वित्तीय विशेषताएँ

वर्ष 2013–14 के दौरान कम्पनी ने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त 84,061 लाख रूपए के आवर्त की तुलना में आवर्त 85, 516 लाख रुपए रहा। कर से पूर्व (पीबीटी) अर्जित लाभ इस अवधि के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष 2012–13 में अर्जित 3,165 लाख रुपये की तुलना में 2,611 लाख रुपये रहा।

वर्ष 2013–14 के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष में तत्स्थानों के साथ आपकी कम्पनी की वित्तीय विशेषताएँ नीचे दिए अनुसार हैं :

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	2013-14	2012-13
1	कारोबार	85,516	84,061
2	अन्य आय	3,486	4,443
3	कुल आय	89,002	88,504
4	समग्र मार्जिन	3,650	3,889
5	संदत्त ब्याज	940	632
6	अवक्षयण	99	92
7	कर से पूर्व लाभ	2,611	3,165
8	कर	911	1,019
9	कर के पश्चात लाभ	1,699	2,146
10	निबल मूल्य	19,779	18,917

कंपनी का निबल मूल्य 18,917 लाख रुपये से बढ़कर 19,779 लाख रुपये हो गया जो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 4.56 प्रतिशत वृद्धि है। वर्ष 2013 में नियोजित पूँजी पर रिटर्न वर्ष 2013–14 में 17.95 प्रतिशत है जोकि वर्ष 2012–13 के 20. 07 प्रतिशत के मुकाबले है।

देशीय और विदेशी कारोबार

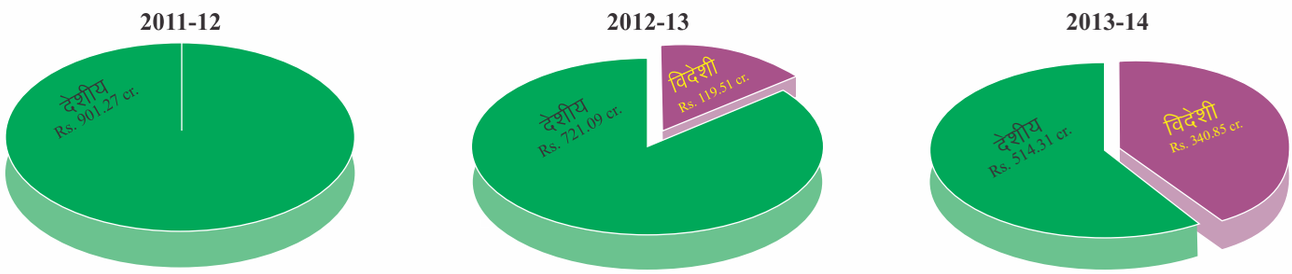

2. पूँजी ढ़ाँचा

कम्पनी की प्राधिकृत और संदत्त अंश पूँजी क्रमशः 909.40 करोड़ रुपये (जिसे 10 रुपये प्रत्येक के 909,404,600 साधारण अंशों में विभाजित किया गया है) और 35.42 करोड़ रुपये (जिसे 10 रुपये प्रत्येक के 35,422,688 साधारण अंशों में विभाजित किया गया है)।

3. लाभांश एवं आरक्षितियाँ

आपके निदेशकों ने वर्ष 2013–14 के लिए प्रत्येक शेयर पर 2 रुपये के लाभांश की सिफारिश की है जोकि कम्पनी की साधारण अंश पूँजी पर 20 प्रतिशत है। लाभांश का संकाय कम्पनी की वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा। वर्ष 2013–14 के दौरान लाभांश और लाभांश वितरण पर कुल व्यय क्रमशः 708. 45 लाख रुपये और 120.40 लाख रुपए होगा।

आपके निदेशक 200.00 लाख रुपये की रकम को क्रमशः कम्पनी की साधारण आरक्षिति में 7.86 लाख रुपये को निगम सामाजिक दायित्व आरक्षिति में और अग्रणीत शेष लाभ में अंतरित करने का प्रस्ताव करते हैं।

तद्नुसार, 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार आरक्षितियों एवं अधिशेष लेखे में शेष रकम 16,245 लाख रुपये है।

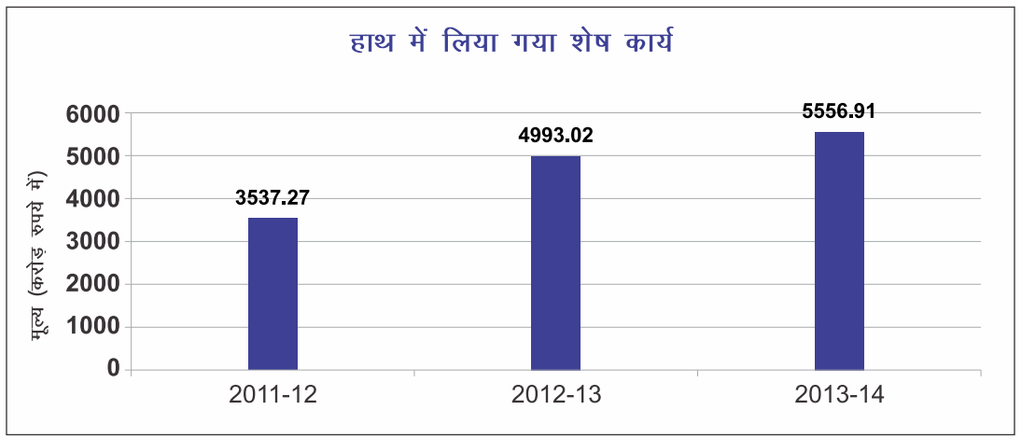

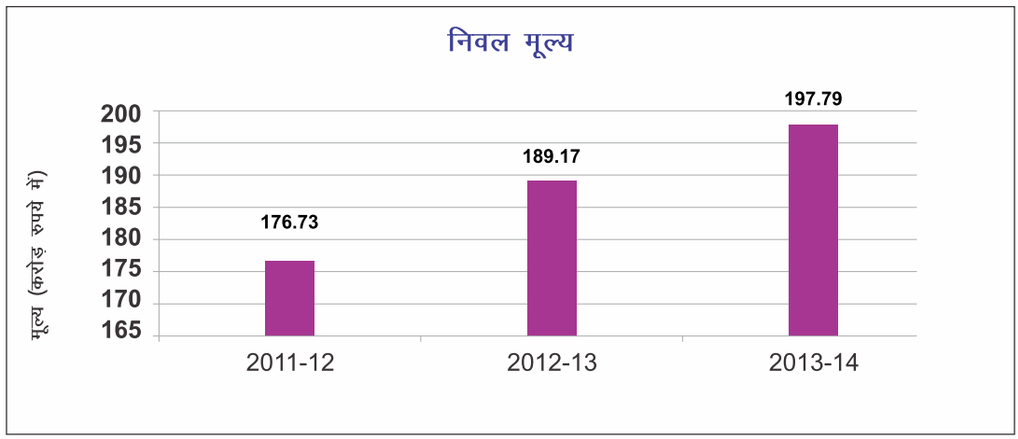

4. विपणन उपलब्धियाँ

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान कम्पनी ने 2673.79 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ प्राप्त कीं। प्राप्त की गई कुछ मुख्य परियोजनाएँ नीचे दी गईं हैं :

क्रम सं.	परियोजना का नाम और स्थान	ग्राहक	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1	इंजीनियर –3 परियोजना, ओमान	सल्तनत ऑफ ओमान	1376.99
2	एसआईआईडीसीयूएल, सितारगंज, उत्तराखंड में अवसंरचना विकास संकर्म का संनिर्माण	राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम उत्तराखंड लिमिटेड	74.68
3	5.00 एलएलपीडी दुग्ध संयंत्र तथा देहरी–ऑन–सोन में 30 एमटीपीडी विद्युत संयंत्र और पटना में 20,000 एलपीडी आईस्क्रीम संयंत्र का डिजाइन, संनिर्माण, आपूर्ति, प्रतिष्ठापन और प्रारंभ करना	बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड	126.12
4	विक्रम सीमापुरी विश्वविद्यालय (वीएसयू) नैल्लोर, आंध्र प्रदेश परिसर की आयोजना, डिजाइनिंग, पर्यवेक्षण और संनिर्माण	विक्रम सीमापुरी विश्वविद्यालय (वीएसयू) नैल्लोर, आंध्र प्रदेश	120.00
5	मदुरै, तमिलनाडु में सरकारी राजाजी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के अति विशेषज्ञता अस्पताल का संनिर्माण	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	81.05
6	न्यू टाउन कोलकाता विकास प्राधिकरण के न्यू टाउन, कोलकाता में प्रशासनिक भवन के प्रथम चरण का संनिर्माण	न्यू टाउन कोलकाता विकास प्राधिकारण, न्यू टाउन, कोलकाता	55.78
7	अल्लाप्पुजाह जिला, केरल में अर्थगुंल में फिशिंग हार्बर का संनिर्माण	हार्बर इंजीनियरिंग सेंटर सर्कल, अर्नेकुलम, कोचीन	55.08
8	पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में अनुषंगी संरचना के साथ 5000 मीट्रिक टन की क्षमता के 8 आधुनिक खाद्य भंडारण गोदामों का संनिर्माण	खाद्य और आपूर्ति विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता	50.00
9	श्रीलंका, ववूनिया में डब्ल्यूएसएस में डीआई, एचडीपीई, पीवीसी पाइपों, विशेष फिटिंग और वॉल्वों का मुख्य पारेषण और संवितरण प्रणाली के लिए आपूर्ति एवं बिछाना तथा छिल्ला एवं पुतलाम में भू–जल विकास – शुष्क खंड शहरी जल एवं स्वच्छता परियेजना	राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं निकासी बोर्ड, रतमालाना, श्रीलंका	69.74

भारत और विदेश में कार्यान्वयन के अधीन प्रमुख परियोजनाएँ।

1. 1376.99 करोड़ रुपये के मूल्य की ओमान में इंजीनियर्स–3 परियोजना।
2. जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के परिसर के विकास के लिए 1187.91 करोड़ रुपये का परियोजना प्रबंधन परामर्श।
3. 900.00 करोड़ रुपये के मूल्य के झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का विकास।
4. 550.82 करोड़ रुपये के मूल्य की भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई में कच्ची सामग्री प्राप्ति एवं हथालन प्रसुविधाओं का नई ओएचपी (पीकेजी संख्या 061) के साथ आमेलन।
5. 514.58 करोड़ रुपये मूल्य के जोका, कोलकाता में ईएसआईसी अस्पताल और आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का संनिर्माण।
6. 287.81 करोड़ रुपए के मूल्य के भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई में ईंधन एवं फ्लक्स पेराई प्रसुविधाओं (पैकेज संख्या 064) का आमेलन।

श्रीलंका में जल आपूर्ति परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए

7. 216.44 करोड़ रुपए के मूल्य की राजीव गांधी ज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के चरण– 1 में दो संघटक परिसरों का बासार एवं नज़विद, आंध्र प्रदेश में संनिर्माण।
8. 191.27 करोड़ रुपए मूल्य के तेजपुर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, तेजपुर, असम का संनिर्माण।
9. 181.16 करोड़ रुपए के मूल्य के बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर, जि. नालंदा (बिहार) का संनिर्माण।
10. 145.98 करोड़ रुपए के मूल्य के उत्तराखंड राज्य में फ्लाईओवरों, पुलों (आरओबी) आदि का निर्माण।

भारत में पूरी की गई परियोजनाएँ

कम्पनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं को पूरा किया :

1) एनपीएल, नई दिल्ली में धातु विज्ञान खंड एवं स्वच्छ कक्ष के संनिर्माण के लिए पीएमसी

राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली

2) विशालगढ़, पश्चिम त्रिपुरा में केंद्रीय काराकागर का संनिर्माण
3) बाडपेटा, असम में फक्खरूद्दीन अली अहमद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का संनिर्माण
4) भिलाई विस्तार विद्युत परियोजना (2x250 मेगावाट) भिलाई सीजी, नगर आवास भवन पैकेज का संनिर्माण
5) बिलासपुर (छत्तीसगढ़) उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, अधिकारियों और कर्मचारीवृंद के लिए आवासीय भवन का संनिर्माण

6) केरल जल प्राधिकरण, कोच्चि के लिए जल उपचार संयंत्र (100 एमएलडी) का संनिर्माण

7) मल्लावरम, आंध्र प्रदेश में अपतट गैस टर्मिनल के आफसाइट के लिए सिविल एवं संरचना संकर्म (भाग ख)

100 एमएलडी जल उपचार प्लांट, कोची, केरला

5. आरक्षित आदेशों की स्थिति

वर्ष 2013–14 (अर्थात अप्रैल, 2014 से मई, 2014 तक) आपकी कम्पनी ने 80.55 करोड़ रुपए के आदेश प्राप्त किए गए।

6. एमओयू के अधीन कार्यनिष्पादन की रेटिंग

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) में कम्पनी द्वारा सरकार के साथ वर्ष 2012–13 में हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार कम्पनी के कार्य निष्पादन को ''बहुत अच्छा'' रेटिंग प्रदान की है।

7. निगम शासन

ईपीआई विधिक, नैतिक और पारदर्शी रीति में कारोबार के संचालन के लिए सुदृढ़ निगम शासन पद्धतियों के लिए प्रतिबद्ध है। कम्पनी यह विश्वास करती है कि, दीर्घावधि में अच्छी निगम शासन पद्धतियाँ सभी पणधारियों के लिए धन का सृजन करती हैं। ईपीआई लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगम शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन कर रही है और त्रैमासिक आधार पर भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) को अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट तथा निगम शासन पर रिपोर्ट इस निदेशकों की रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक–**क** और अनुलग्नक–**ख** उपाबद्ध हैं।

8. क्रेडिट रेटिंग

आईसीआरए की रेटिंग समिति ने कम्पनी की गैर–निधि आधारित सीमाओं के लिए **आईसीआरए** की दीर्घावधि रेटिंग ''ए–प्लस'' और आईसीआरए की लघु अवधि रेटिंग ''ए1–प्लस'' की पुनः पुष्टि की है। दीर्घावधि रेटिंग की संभावना ''स्थिर'' है।

9. सतर्कता कार्यकलाप

कम्पनी के सतर्कता प्रभाग का विभाग प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) है। वर्ष के दौरान प्रभाग ने विभिन्न आवधिक और औचक जाँच करते हुए, ''पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा पर ध्यान केंद्रित किया। अच्छे शासन का संवर्धन करने के लिए संगठन के सभी समारोहों में निवारणकारी सतर्कता पर बल दिया गया है। सतर्कता प्रभाग ने पादर्शिता और वास्तुनिष्ठ कार्य करने के लिए अनुदेश जारी करके सकारात्मक रूप से योगदान

लाईतकार, शिलाँग में आसाम राईफल्स परियोजनाओं के लिए सभागार

आसाम राइफल्स बटालियन का मुख्यालय झोकास्वांग, मिजोरम

दिया। विभाग ने बेहतर अभिलेख रक्षण के लिए कर्मचारियों के वार्षिक संपत्ति विवरणी में सुधार किए हैं। 5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की निविदाओं को समाचार पत्रों, कम्पनी की वेबसाइट के साथ–साथ भारत सरकार के केंद्रीय लोक उपाप्ति पोर्टल पर व्यापक प्रचार किया गया। कम्पनी एक सत्यनिष्ठा समझौता, सूचना प्रदाता नीति, कपट निवारण नीति और लोक सेवोत्तम शिकायत निवारण तंत्र को कार्यान्वित कर रही है। दो स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर सत्यनिष्ठा समझौते के अधीन अपेक्षाओं का ध्यान रख रहे हैं।

आपकी कम्पनी ने 28.10.2013 से 02.11.2013 के दौरान अपने निगम/प्रादेशिक और साइट कार्यालयों में मुख्य सतर्कता आयुक्त के निदेशों के अनुसार अत्याधिक उत्साह से, ''सतर्कता जागरुकता सप्ताह'' मनाया। इस अवसर पर एक कर्मचारियों के लिए, ''अच्छे शासन का संवर्धन करने के लिए सतर्कता का सकारात्मक योगदान'' विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने के साथ–साथ, ''अपने विषय में सतर्क रहें'' शीर्षक पर एक नैतिक और मूल्य परख चर्चा श्री राजकुमार, निदेशक, मैजिक प्लैनट एंड मोटिवेशनल वक्ता द्वारा की गई।

10. मानव संसाधन

कम्पनी भारत और ओमान तथा श्रीलंका जैसे विदेशों में हाल ही में प्राप्त की गई परियोजनाओं के मध्यनजर अपनी जनशक्ति में वृद्धि कर रही है। नई परियोजनाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित विशेषीकृत कौशल के साथ सर्वोत्तम कौशल को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 के दौरान 37 व्यक्तियों की भर्ती की गई जिनमें से 36 तकनीकी और व्यावसायिक रूप से अर्हित हैं।

कम्पनी प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कर्मचारियों में अंतर्निहित बल को बढ़ावा देने के लिए पहल भी करती है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि के लिए प्रायोजित किया जाता है ताकि उनके तकनीकी, संचार, वैयक्तिक कौशलों में वृद्धि की जा सके। कम्पनी स्वयं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। 30 अगस्त, 2013 से 1 सितम्बर, 2013 तक प्रोजेक्ट प्रबंधन एसोसिएट, ''सेंटर फार एक्सीलेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड'' ने परियोजना प्रबंधन पर एक तीन–दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। प्रशिक्षण के पश्चात् 15 अभ्यार्थियों को परियोजना प्रबंधन के लिए सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा फायदा, भविष्य निधि, उपदान, समूह दुर्घटना बीमा और फायदा निधि स्कीम जैसी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा स्कीमें भी कम्पनी में है।

कृषि महाविद्यालय, लेबुनचेरा, त्रिपुरा

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कम्पनी में 437 कर्मचारी हैं। कम्पनी में 52 महिला कर्मचारी हैं

और लगभग 82 प्रतिशत कर्मचारी (अर्थात 357 कर्मचारी) तकनीकी और/या व्यावसायिक रूप से अर्हित हैं। इस समय कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू नहीं है।

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिक

कम्पनी में 31 मार्च, 2014 को 84 कर्मचारी (जिसके अंतर्गत 4 महिला कर्मचारी हैं।) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से थे जो कम्पनी की कुल संख्या का 19.22 प्रतिशत है।

12. निःशक्ति व्यक्ति

कम्पनी में 31 मार्च, 2014 को 8 कर्मचारी निःशक्त से थे जो कम्पनी की कुल संख्या का 1.83 प्रतिशत है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निशक्त व्यक्तियों के संबंध में समय–समय पर जारी सभी राष्ट्रपतीय अनुदेशों का कम्पनी अनुसरण करती है।

13. राजभाषा/हिन्दी का प्रसार

ईपीआई अपने निगम कार्यालय और प्रादेशिक कार्यालयों में राजभाषा/हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए सभी सरकारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करती है। राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित) की धारा 3(3) को कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जो कम्पनी के विभिन्न कार्यों में हिन्दी और अंग्रेजी के अज्ञापक उपयोग पर बल देती है।

ईपीआई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की भी सदस्य है और नराकास द्वारा अक्तूबर/नवम्बर मास में प्रत्येक वर्ष आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतिस्पर्धाओं (हिन्दी में) में भाग लेने के लिए नियमित आधार पर नामनिर्देशन किया जाता है। हिन्दी कार्यशालाओं का त्रैमासिक आधार पर आयोजन किया जाता है ताकि, राजभाषा की महत्ता के संबंध में कर्मचारियों के बीच जागरूकता का सृजन किया जा सके। अन्य पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों की पत्रिकाओं और प्रकाशनों में कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा नियमित आधार पर लेखों/निबंधनों का अंशदान किया जाता है। कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और श्रुत टिप्पण–प्रारूपण, निबंध लेखन, हस्ताक्षर, चर्चा, चित्र अभिव्यक्ति, प्रश्नोत्तरी, कविता पाठ आदि का संगठन द्वारा हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजन किया जाता है। प्रत्येक सितम्बर मास में, ''हिन्दी दिवस''/''हिन्दी पखवाड़े'' के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं, ताकि कर्मचारियों का प्रोत्साहन किया जा सके और उसमें भाग लें। इस निमित्त सितम्बर माह में, ''स्वर्गीय शंकरदयाल सिंह'' स्मृति पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा के दौरान अधिकतम पुरस्कार जीतने वाला इस योजना के अधीन पुरस्कार/शील्ड प्राप्त करने का हकदार है।

अप्रैल 2013 से गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) को मंत्रालय के दिनांक 16 अप्रैल, 2013 के अनुदेशों के अनुसार सभी तिमाहियों की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन भेजी जा रही हैं।

हिन्दी के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए दक्षिणी प्रादेशिक कार्यालय (द.क्षे.का.) ने सभी आंतरिक प्रारूपों/आवेदनों में द्विवभाषीय/हिन्दी प्रारूप का उपयोग करने के अतिरिक्त सूचना पट पर हिन्दी शब्दों का प्रदर्शन आरंभ कर दिया है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दिल्ली) ने फरवरी, माह 2014 के दौरान 38वीं बैठक में ईपीआई को राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, **''नराकास राजभाषा शील्ड 2012–13''** प्रदान की।

नए केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

14. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता

सरकारी निर्देशकों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2013–14 के दौरान ईपीआई में प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए थे।

15. निदेशक बोर्ड

इस समय कम्पनी के निदेशक बोर्ड में छः सदस्य हैं :

क्रम सं.	नाम	तत्कालिक प्रभाव से
1.	श्री एस पी एस बक्शी अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	05.02.2009
2.	श्री ए. वी. वी. कृष्णन निदेशक (वित्त)	10.10.2013
3.	श्री वीनू गोपाल निदेशक (परियोजनाएं)	02.01.2012
4.	श्री आर.के. सिंह अंशकालिक (शासकीय) निदेशक	30.11.2012
5.	श्री एस.एस. दूबे अंशकालिक (शासकीय) निदेशक	08.05.2013
6.	डॉ. के.एस. राव अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशक	04.02.2014 (पूर्व में 16.12.2010) से 15.12.2013 तक)

भिलाई स्टील प्लॉट में कार्य प्रगति पर, भिलाई

16. निदेशकों का दायित्व विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 217(2कक) के अधीन यथाअपेक्षित आपके निदेशक एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं:

(i) वार्षिक लेखों को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का तात्विक विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ अनुसरण किया गया है;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत् रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं। जो न्यायोचित और बुद्धिमत्तापूर्ण हैं जिससे 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी के मामलों और उस अवधि के लिए लाभ का सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत किया जा सके;

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की उपबंधों के अनुसार कम्पनी की आस्तियों के लिए सुरक्षापायों और कपट तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी रखी गई है; और

(iv) यह कि सतत् आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं, और

(v) निदेशकों ने सभी लागू विधियों के उपबंधों की अनुपालना का सुनिश्चिय करने के लिए उचित प्रणलियाँ बनाई हैं और ऐसी प्रणलियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

17. लेखापरीक्षक

भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए कम्पनी के लिए नियुक्त सांविधिक और शाखा लेखापरीक्षक नीचे दिए अनुसार हैं -

क्रम सं.	फर्म का नाम	क्षेत्र
1.	मैसर्स सत्येद्र जैन एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली	कानूनी लेखापरीक्षक
शाखा लेखापरीक्षक :		
1.	मैसर्स सत्येद्र जैन एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
2.	मैसर्स एल.एन. टोडी एण्ड कंपनी, कोलकाता	पूर्वी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
3.	मैसर्स आर.बी. जैन एण्ड एसोसिएट्स, मुंबई	पश्चिमी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
4.	मैसर्स वी. नारायणन एण्ड कंपनी, चैन्नई	दक्षिणी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
5.	मैसर्स एम. एच. एम. वाई. ऑडिटर्स, ओमान	ओमान, शाखा लेखापरीक्षक
6.	मैसर्स जयसिंघे एण्ड कंपनी, श्रीलंका	श्रीलंका, शाखा लेखापरीक्षक

18. विशिष्टियों का प्रकटन

कंपनियाँ (निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट में विशिष्टियों का प्रकटन) नियम, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(ड.) के उपबंधों के अनुसरण में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी विलयन और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्ययन के संरक्षण पर सूचना के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:

18.01 ऊर्जा दक्षता और उसका संरक्षण–

ऊर्जा संरक्षण प्रत्येक सेक्टर की सर्वोच्च प्राथमिकता की पूर्विक्ता है ताकि माँग और आपूर्ति के बीच के अंतराल को कम किया जा सके और भारत में ऊर्जा की बढ़ती हुई माँग के मद्दे मुख्यतः ऊर्जा के संकट का मुकाबला किया जा सके।

ईपीआई भी निम्नलिखित तरीकों से इस संबंध में योगदान दे रहा है :

1. सीएफएल/टी5/एलईडी जैसी ऊर्जा दक्ष प्रकाश सज्जाओं का ईपीआई की विभिन्न परियोजनाओं/ कार्यालयों में उपयोग करने की सिफारिश द्वारा
2. वातानुकूलक, गीजर जैसे स्टार रेटड साधित्रों का ईपीआईपी विभिन्न परियोजनाओं/कार्यालयों में उपयोग द्वारा
3. सौर/वायु ऊर्जा जैसे नवीकृत ऊर्जा का कुछ परियोजनाओं में उपयोग द्वारा
4. कार्यालयों में ऊर्जा के अनुकूलतम उपयोग द्वारा जैसे कार्यालय छोड़ते समय प्रकाश/पंखें/वातानुकूलकों को बंद करके
5. पारिस्थितिकीय अनूकूल पतली फिल्म ट्रांजिस्टर (टीएफटी) मॉनीटरों का कम्प्यूटर में उपयोग करके ऊर्जा का संरक्षण।

बॉर्डर आउट पोस्ट, मिझोरम

कम्पनी के इंजीनियरों ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा, ''ऊर्जा दक्षता के लिए एलईडी प्रकाश सज्जाएँ'' पर संचालित ऊर्जा कार्यशाला में भाग लिया।

18.02 प्रौद्योगिकी का विलयन

क) अनुसंधान और विकास

कम्पनी ने वर्ष 2013–14 के दौरान पाइपों के आकारों की संगणना करने के लिए साफ्टवेयर का विकास करने के लिए और अनुसंधान और विकास के लिए बाजार अनुसंधान पर आधारित प्रचालनों के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए 12.08 लाख रुपए की रकम खर्च की।

ख) प्रौद्योगिकी विलयन

ईपीआई ने प्रौद्योगिकी विलियन के लिए विभिन्न समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए उदाहरण के लिए इस्पात संयंत्रों के लिए कोक ओबन बैटरियों के क्षेत्र में, भारतीय/विदेशी परियोजनाओं के लिए रेलवे प्रणाली अवसंरचना संकर्म के विस्तृत डिजाइन एवं संनिर्माण के क्षेत्र में किरण इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ एमओयू, भारतीय/विदेशी ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए सलाहकार सेवाओं की आऊटसोर्सिंग के लिए एनटीपीसी के साथ एमओयू।

बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय, कुशांग्रा (उत्तर 24 परगना), पश्चिम बंगाल

कुछ अन्य समझौता ज्ञापन विचार–विमर्श के अधीन हैं जैसे कि भारत/विदेशों में परियोजनाओं के लिए स्टाकर रिक्लेमर मशीनों के लिए एमओयू, आद्योपात आधार पर इस्पात संयंत्र परियोजनाओं के ईपीसी के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कारोबार कार्यकलापों के लिए एमओयू।

ग) सूचना प्रौद्योगिकी और उपक्रम संसाधन आयोजना (ईआरपी)

कम्पनी ने ईआरपी को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं और ईआरपी–एसएपी कार्यान्वयन के प्रथम चरण के लिए सीएमएस लिमिटेड को आदेश दे दिया गया है। तीन माडयूलों अर्थात एचआर एवं पे–रोल, वित्तीय प्रबंधन और दस्तावेज प्रबंधन का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

वेतन, लेखांकन, बैंक प्रतिभूति प्रणाली और एमएस परियोजना तथा प्राइमावेरा का उपयोग करते हुए परियोजना मॉनीटरी जैसे विभिन्न कृत्यों के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

ईपीआई के पास वीडियो संगोष्ठी प्रणाली है और पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पू.क्षे.का.), पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (उ.पू.क्षे.का.), पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (प.क्षे.का.) और दक्षिणी कार्यालय (द.क्षे.का.) के बीच संपर्क उपलब्ध करा दिया गया है। जैवमिति उपस्थिति युक्ति और मॉनीटरी सॉफ्टवेयर के साथ ऑनलाईन भर्ती प्रणाली का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक कर लिया गया है।

आईआईएससी परियोजना परिसर, बंगलौर और एनआईटी, कालीकट परियोजना परिसर जैसी कम्पनी की चुनिंदा परियोजनाओं के लिए सुदूर संपर्कता के साथ सीसी टीवी कैमरा प्रतिष्ठापित किया जा रहा है।

ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय की इमारत, साल्टलेक, कोलकाता

18.03 विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

वर्ष 2013–14 के दौरान कम्पनी ने पूर्ववर्ती वर्ष में 11,951 लाख रुपए के मुकाबले 34,570 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की। वर्ष 2013–14 में उपगत विदेशी व्यय 33,152 लाख रुपए था जो कि वर्ष 2012–13 में 10,638 लाख रुपए था।

19. गुणवत्ता प्रबंधन

ईपीआई को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणीकृत किया गया है, जो आईएसओ 9001:2008, क्यूएमएस (प्रबंधन प्रणाली) आईएसओ 14001:2004, ईएमएस (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली), (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा निर्धारण श्रृंखला) ओएमएसएएस 18001:2007 अर्थात ओएचएसएमए (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली)।

क्यूएमएस अर्थात आईएसओ 9001:2008 और ईएमएस अर्थात् आईएसओ 14001:2004 ईपीआई के प्रचालन के सभी क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसके अंतर्गत अवधारणा से प्रतिष्ठापन तक बहु–विषयी औद्योगिक और अन्य संनिर्माण परियोजनाओं का डिजाइन, उपाप्ति और कार्यान्वयन शामिल है, ओएचएसएमए अर्थात् 18001:2007 निगम कार्यालय को लागू होता है।

कम्पनी आवधिक रूप से आंतरिक आईएसओ परीक्षण भी करती है:

20. धारा 217(2क) के अधीन यथा अपेक्षित कर्मचारियों के संबंध में कानूनी सूचना

वर्ष 2013–14 के दौरान किसी कर्मचारी ने 5,00,000/– रुपए या अधिक या प्रति वर्ष 60,00,000/– रुपए या अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

21. निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता

निदेशकों की इस रिपोर्ट के साथ निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक–ग के रूप में उपाबद्ध है।

22. आभार

आपके निदेशक वर्ष 2013–14 के दौरान कम्पनी के सदस्यों द्वारा दिए गए मूल्यवान समर्थन के लिए अपनी सराहना को अभिलेख पर रखना चाहता है। आपके निदेशक ईमानदारी से भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करता है विशेष कर भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, लोक उद्यम विभाग तथा विभिन्न राज्य सरकारों, विनियामक और कानूनी प्राधिकारियों, भारत का नियंत्रक और लेखापरीक्षक, कानूनी लेखापरीक्षकों को। हम अपने बैंकरों, विनिवेशकों, ग्राहकों, सलाहकारों, ठेकेदारों और विक्रेताओं के प्रति भी उनकी सतत सहायता और कम्पनी में रखे गये विश्वास के लिए कृतज्ञ हैं। आपके निदेशक सभी कर्मचारियों की कम्पनी की प्रगति के लिए दी गई उनकी मूल्यवान सेवाओं और किए गए सहयोग के लिए उनकी सराहना करता है।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

ह/–
(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक
डीआईएन : 02548430

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25.08.2014

अनुलग्नक–क

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग संरचना और विकास

भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले दो वर्षों के दौरान 5 प्रतिशत से कम वृद्धि दर के साथ चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रही है। वर्ष 2013–14 में भी वैश्विक परिदृश्य में अनिश्चितता के कारण वृद्धि दर 4.7 प्रतिशत रही जो यूरोपीय क्षेत्र में मुश्किलों द्वारा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी द्वारा पारित की गई थी, जिसे घरेलू संरचनात्मक दिक्कतों और मुद्रास्फीति दबावों ने बढ़ा दिया। किन्तु वैश्विक व्यवस्था में सुधार होने के संकेत हों। अंतरर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (आईएमएफ) के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था के वर्ष 2013 में 3.0 प्रतिशत के मुकाबले 3.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की आशा की गई है। जिसमें यूरोपीय क्षेत्र द्वारा 2012 और 2013 में देखे गए संपीड़न के पश्चात सकारात्मक वृद्धि रजिस्टर किए जाने की आशा है। विशिष्टतया विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्र अपनी विकासकारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाएगा।

अवसरंचना पर बल देने के लिए भारत सरकार ने 2014–15 के बजट में विभिन्न प्रोत्साहनों की योजना की है। कुछ प्रमुख प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं :

i. 7060 करोड़ रुपए के बजट आबंटन से 100 स्मार्ट शहरों का विकास

ii. 500 करोड़ रुपए के बजट आबंटन से विभिन्न राज्यों में आईआईटी, आईआईएम और एआईआईएमएस जैसी संस्थाओं की स्थापना

iii. 5 हजार करोड़ रुपए के कार्पस आबंटन से शहरी क्षेत्रों में अच्छी अवसंरचना का उपबंध, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन, ठोस अवशिष्ट निपटान, अपशिष्ट उपचार और पेयजल भी है।

iv. देश में भांडागार अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए 5 हजार करोड़ रुपए के आबंटन से भांडागार अवसंरचना निधि की स्थापना

सिलीगुड़ी में मिनी सचिवालय

v. 100 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो परियोजनाओं के अलावा शहरी क्षेत्रों में मेट्रो रेल प्रणालियों का विकास जिसके अंतर्गत हल्की रेल प्रणालियों भी हैं।

vi. 4 हजार करोड़ रुपए के आबंटन से शहरी निर्धनों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूह खंडों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना

vii. 14389 करोड़ रुपए के बजट आबंटन से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन ग्रामीण जनसंख्या को सड़क पहुँच का सुधार

viii. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य मार्गों के लिए 37,880 करोड़ रुपए का विनिधान जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर के लिए 3000 करोड़ रुपए भी हैं

ix. वर्ष 2014–15 के लिए ग्रामीण आवास स्कीम के लिए आबंटन को बढ़ाकर 8000 करोड़ रुपए कर दिया गया है ताकि देश में ग्रामीण आवास का विस्तार और सहायता की जा सके।

आपकी कम्पनी अवसंरचना भवनों, सड़कों, अस्पतालों, जल और स्वच्छता परियोजनाओं के क्षेत्र में पहले से ही कार्य कर रही है। पूर्वोक्त प्रस्तावित परियोजनाएँ संस्थानिक भवनों, गृहों और नगर परियोजनाओं, सड़क परियोजनाओं, मेट्रो परियेाजनाओं, जल उपचार परियोजनाओं आदि के क्षेत्र में घरेलू सैक्अर में अवसरों के नए मौके उत्पन्न करेगी।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी खाड़ी देशों में और विकासशील देशों में अवसंरचना कार्यकलापों में वृद्धि हुई है। पूर्व में ईपीआई की विपणन पहलों का परिणाम ओमान और श्रीलंका में परियोजनाओं के रूप में हुआ है। इस क्षेत्र में और प्रयास कम्पनी को म्यानमार, कुबैत, जोर्डन, इराक, मलेशिया, अल्जीरिया, जापान और कतर आदि में नोदित करेगी।

कोलकाता नबन्ना में पश्चिम बंगाल सरकार का नया सचिवालय

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

क्षमताएँ

1. एकीकृत इंजीनियरों परियोजना प्रबंधन और संनिर्माण कम्पनी जिसको विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को सँभालने में और प्रचालन के प्रमुख क्षेत्रों में आद्योपांत सक्षमताओं के निष्पादन में व्यापक अनुभव है।
2. बहुविषयों परियोजनाओं को हाथ में लेने की क्षमता।
3. इंजीनियरों एवं संनिर्माण के लगभग सभी क्षेत्रों में सेवाओं की व्यापक रेंज का प्रस्ताव।
4. अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के निष्पादन का अनुभव।
5. उच्च कर्मचारी उत्पादकता।
6. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियाँ। आईएसओ 9001:2000 और आईएसओ 14001:2004 प्रदान किया गया है।
7. ऋण मुक्त कंपनी।
8. अखिल भारतीय उपस्थिति।

कमजोरियाँ / जोखिम / चिन्ताएँ

1. सर्वोत्तम पेशेवरों को आकृर्षित और प्रतिधारित करने की समस्या
2. स्वयं की परियोजना निष्पादन क्षमता का न होना
3. कर्मचारियों की ऊँची औसत आयु
4. अल्पाधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रचालन
5. सारे संगठन में आईटी कौशल में संवर्धन की आवश्यकता
6. निविदाओं में पूर्व अर्हता के लिए निर्दिष्ट की कमी
7. निर्माण प्रचालन अंतरण (बीओटी)/डिजाइन निर्माण वित्त प्रचालन अंतरण (डीबीएफओटी)/अन्य आधारों पर परियोजनाओं के निष्पादन में अनुभव नहीं।

अवसर

1. अवसंरचना क्षेत्र के लिए एफडीआई मानकों को सरल किया गया है।
2. भारतीय बाजारों में प्रवेश करने वाले नए भागीदारों के साथ प्रौद्योगिकी गठबंधन के अवसर।
3. बाजार में भागीदारों में अधिक नम्यता से परियोजनाओं के वित्तपोषण और निष्पादन के लिए नए साधन प्राप्त होते हैं जैसे निर्माण प्रचालन अंतरण (बीओटी) / निर्माण स्वामित्व प्रचालन अंतरण (बीओओटी)।
4. बृहत त्वरित परिवहन प्रणाली (एमआरटीएस) के अधीन अनेक नई परियोजनाएँ सामने आ रही हैं।
5. इस्पात संयंत्रों एवं विद्युत परियोजनाओं का विस्तार।

चुनौतियाँ

1. अधिक पूँजी रखने वाले छोटे बहु–पक्षकारों ने अवसंरचना क्षेत्र में भीड़ लगा दी है।
2. निर्माण प्रचालन अंतरण (बीओटी) की ओर परियोजनाएँ, ईपीआई के कार्यकारण के पारम्परिक तरिकों के अनुसार नहीं है।
3. विद्युत, पत्तन, दूरसंचार आदि ने इंजीनियरी उपप्ति परामर्शी (ईपीसी) फर्मों की उपस्थिति।
4. सिंचाई और जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्रों में ईपीसी फर्मों के लिए निम्न प्रविष्टि अवरोध की विद्यमानता।
5. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं केवल भागीदारी के लिए सर्वोच्च 5 या 6 अर्हित आवेदकों को भागीदारी के लिए आमंत्रित करती है, के लिए नए मॉडल अर्हक निविदा दस्तावेज।
6. भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय निकासियों में लम्बा विलंब।

खंड वार और उत्पाद वार कार्यनिष्पादन

कम्पनी के आवर्त में सबसे बड़ा योगदान औद्योगिक, प्रक्रिया संयंत्र, सामग्री हथालन एवं विद्युत परियोजनाओं का है। इस खंड ने वर्ष 2013–14 में कुल आर्वत में पिछले वर्ष के 38.48 प्रतिशत योगदान के मुकाबले 68.15 प्रतिशत का योगदान किया। दूसरा सबसे बड़ा खंड आवासन एवं भवन संकर्मों का है। जिन्होंने वर्ष 2013–14 के दौरान कुल आवर्त में 26.29 प्रतिशत का योगदान दिया।

कम्पनी के प्रचालनों का खंड वार विश्लेषण निम्नानुसार है :

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	खंड वार परियोजनाएं	2011-12		2012-13		2013-14	
		आवर्त	%	आवर्त	%	आवर्त	%
1	आवासन एवं भवन संकर्म	575.72	63.88	471.89	56.14	224.78	26.29
2	बाँध एवं सिंचाई परियोजनाएँ	9.00	1.00	10.59	1.26	5.74	067
3	औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र, सामग्री हथालन एवं वैद्युत परियोजनाएँ	301.19	33.42	323.52	38.48	582.83	68.15
4	जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय परियोजनाएँ	0.3	0.03	12.94	1.54	9.57	1.12
5	परिवहन संरचनाएँ	4.22	0.47	19.73	2.35	3.02	0.35
6	अन्य परियोजनाएँ	10.84	1.2	1.94	0.23	29.22	3.42
	योग	**901.27**	**100**	**840.61**	**100**	**855.16**	**100**

संभावना

अवसंरचना क्षेत्र में बृहत विनिधान की योजना के साथ सड़क एवं पुन; मेट्रो/मोनो रेल और रेलवे नेटवर्क जैसे समर्पित भाड़ा कॉरीडोर और उच्च गति कॉरीडोर जैसे शहरी परिवहन; सिंचाई जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, पत्तनों, आवासन, विद्युत अवसंरचना आदि के क्षेत्र में नए अवसरों उत्पन्न होंगे।

गुजरात स्टेट पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि. के लिए मल्लावरम में रॉ वाटर की पाइपलाइन परियोजना

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

कम्पनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग का नेतृत्व अपर महाप्रबंधक (वित्त) के रैंके के अर्हित और अनुभवी अधिकारी द्वारा किया जाता है जो कि सीधे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है।

अवसरों की दक्षता का अनुरक्षण करने के लिए और लागू सुसंगत विधियों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और संपरीक्षा प्रणाली है। संगठन के पास भली प्रकार से संरचित नीतियों और मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं। व्यवसायिक रूप से अर्हित और अनुभवी स्वयं की आंतरिक लेखापरीक्षा टीम द्वारा व्यापक और बृहत आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन किया जा रहा है। प्रबंधन और लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा प्रणालियों का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करती है। आंतिरक लेखापरीक्षा विभाग सतत सुधार के एक भाग के रूप में सकारात्मक मूल्यवर्धन भी करता है।

प्रचालन कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्यनिष्पादन पर चर्चा

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान कम्पनी ने पूर्ववर्ती वर्ष के 84,061 लाख रुपए के आवर्त की तुलना में 85,516 लाख रुपए का आवर्त हासिल किया और पूर्ववर्ती वर्ष के 3,165 लाख रुपए के कर–पूर्व लाभ की तुलना में 2,611 लाख रुपए का कर–पूर्व लाभ (पीबीटी) अर्जित किया। वर्ष के लिए समग्र मार्जिन पूर्ववर्ती वर्ष के 3,889 लाख रुपए की तुलना में 3,650 लाख रुपए रहा।

कम्पनी का शुद्ध मूल्य 862 लाख रुपए बढ़कर वर्ष 2012–13 में 18,917 लाख रुपए की तुलना में वर्ष 2013–14 में शुद्ध मूल्य 19,779 लाख रुपए हो गया।

आन्ध्र प्रदेश, काकीनाडा, मल्लावरम में फायर वॉटर रिझर्वियर

बोर्ड ने 708.45 लाख रुपए के लाभांश का प्रस्ताव किया है जो कम्पनी की संदत्त शेयर पूँजी का 20 प्रतिशत है।

मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध मंच अंतर्गत नियोजित लोगों की संख्या में तात्विक विकास

कम्पनी ने चालू परियोजनाओं के साथ भारत और विदेशों में प्राप्त की गई नई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त कौशल को प्राप्त करने के अपने विद्यमान ध्येय को जारी रखा।

वर्ष 2013–14 के दौरान भर्ती किए गए अधिकांश कर्मचारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों में चल रही परियोजनाओं के लिए ऐसे क्षेत्रों में तैनात किया गया था।

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण और अनुकूल रहे। कर्मचारियों ने प्रबंधन के संगठन में समर्थकारी कार्यनिष्पादन संस्कृति का विकास करने और उसे बनाए रखने के प्रयासों में योगदान किया। कम्पनी की विभिन्न नीतियों को अंतिम रूप देते समय कर्मचारियों के विचारों पर भी विचार किया जाता है।

नई दिल्ली, आयकर भवन में आंतरिक कार्य

पर्यावरणीय रक्षण और संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, विदेशी मुद्रा का संरक्षण

(क) पर्यावरणीय रक्षण एवं संरक्षण

पर्यावरणीय रक्षण और संरक्षण की आवश्यकता के अनुरूप होने के लिए संनिर्माण स्थल पर वृक्षारोपण, पर्यावरणीय रूप से अनुकूल संनिर्माण सामग्री का उपयोग, ऊर्जा की दृष्टि से दक्ष प्रकाश प्रणाली, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग/अवशिष्ट उपचार प्रणाली, प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग, ताप इंसुलेशन और बुद्धिमान भवन प्रणाली को सम्यक महत्ता दी गई है।

वर्ष 2013 के दौरान कम्पनी के पर्यावरण संरक्षण मैनुअल के निबंधनों के अर्थ में विभिन्न परियोजनाओं स्थलों पर 150 से अधिक वृक्षों का रोपण किया गया था।

कर्मचारियों को वैद्युत साधित्रों जैसे बत्तियों, पंखों, कम्प्यूटरों को बंद करने के विषय में जब उनका उपयोग न किया जा रहो विद्युत खपत को कम करने के लिए जागरूक किया गया। वैयक्तिक कम्प्यूटरों को सभी मॉनीटरों को पतली फिल्म ट्रांजिस्टर (टीएफटी) पारिस्थितिकी अनुकूल और ऊर्जा की संरक्षा करने वाला बनाया गया है।

(ख) प्रौद्योगिकीय संरक्षण

प्रौद्योगिकीय संरक्षण के एक भाग के रूप में, ईपीआई बृहत आवास और अन्य संनिर्माण परियोजनाओं के लिए त्वरित मौनोलिथिक आपदारोधी प्रौद्योगिकी को अंगीकार करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रौद्योगिकी का पारम्परिक संनिर्माण विधि के ऊपर मुख्य फायदा कम संनिर्माण लागत और समय, अधिक कारपेट क्षेत्र तथा बेहतर भूकंपरोध है।

(ग) विदेशी मुद्रा संरक्षण

कम्पनी हमेशा विदेशी मुद्रा की बचत करने का प्रयास करती है। घरेलू आवश्यकताओं के लिए स्वदेश से निर्मित सामग्रियों और मशीनों की खरीद की जाती है, जो कम्पनी से विदेशी मुद्रा के बाहिर्गम को रोकती है। नई प्रौद्योगिकियों, इंजीनियरी नूतनों, आदि को स्वयं के डिजाइन का विकास करने के लिए अंगीकृत किया जाता है।

प्रौद्योगिकियों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए और आधुनिक उत्पादन तथा प्रसंस्करण सुविधाओं की भारत में स्थापना करने के लिए मशीनरी, उपस्कर और विदेश आधारित प्रौद्योगिकीय डिजाइन को स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाता है। भारतीय परिस्थितियों की भीषणता के अधीन प्रचालन के लिए अंगीकार करने के लिए सभी प्रक्रियाओं को भीषण परीक्षण और जाँचों से गुजारा जाता है। मूल्यवान विदेशी मुद्रा का व्यय भारतीय दक्षता का विस्तृत इंजीनियरी, विनिर्माण एवं सुविधाओं के संयोजन में नई प्रौद्योगिकियों और विदेश में विकसित जानकारी को अपनाकर उन्नत डिजाइन एवं तकनीकी विशेषताओं के माध्यम से न्यूनतम किया गया है।

एचएएल नासिक में कम्प्रेसर हाउस के लिए कार्य प्रगति पर

एनएसपीसीएल टाउनशिप परियेजना, भिलाई

सचेत करने वाला विवरण

इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट का विवरण कम्पनी के उद्देश्यों, प्रेक्षणों का वर्णन करता है जो लागू विधियों और विनियमों के अर्थांतरर्गत आगे बढ़ने के लिए कथन हैं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त या समझे गए परिणामों से सामान्य रूप से या तात्विक रूप से भिन्न हो सकते हैं, महत्वपूर्ण विकास कम्पनी के प्रचालनों को प्रभावित कर सकते हैं जिनके अंतर्गत अवसंरचना क्षेत्र में अवमूल्यन की प्रवृत्ति, भारत में आर्थिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर में उतार–चढ़ाव, कर, विधियाँ, मुकदमेबाजी और श्रमिक संबंध हैं।

अनुलग्नक–ख

निगम शासन पर रिपोर्ट

1. निगम शासन पर कम्पनी का दर्शन

कम्पनी के मिशन/ध्येय कथन में "पणधारियों के मूल्य का वर्धन" का उत्कीर्ण किया गया है। कम्पनी दृढ़ता से यह विश्वास करती है कि, अच्छे निगम शासन से सभी स्टेकहोल्डरों के लिए अविछिन्न आधार पर मूल्य का सृजन होता है। निगम शासन मुख्यतः पारदर्शिता, तात्विक तथ्यों का पूर्ण प्रकटन, बोर्ड की स्वतंत्रता और सभी स्टेकहोल्डरों के साथ न्यायोचित व्यवहार से संबंधित है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का निगम प्रशासन पर दर्शन निम्नानुसार है:
"पेशेवरता का प्रयोग करना और कम्पनी के सभी पणधारियों के लिए मूल्य का सृजन करने के लिए प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी होना है।"

2. निदेशक बोर्ड

(क) बोर्ड की संरचना

ईपीआई के बोर्ड के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय) के माध्यम से की जाती है।

इस समय छः निदेशक पदारूढ़ हैं अर्थात अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, निदेशक (परियोजनाएँ), निदेशक (वित्त) दो अंशकालिक शासकीय निदेशक (सरकारी नामनिर्देशित) और एक अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)। दो पूर्णकालिक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक) के पद रिक्त हैं।

(ख) निदेशक बोर्ड की संरचना के ब्यौरे; निदेशक की श्रेणी; बोर्ड की बैठकों और वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में उपस्थिति और वर्ष 2013–14 के दौरान धृत अन्य निदेशक पद नीचे दिए अनुसार हैं :

निदेशकों के नाम	श्रेणी	भाग ली गई बोर्ड की बैठक	भाग की गई एजीएम	अन्य पब्लिक कम्पनियों में धृत निदेशक पदों की संख्या (जिसके अंतर्गत ईपीआई नहीं है)	अवधि
(क) पूर्णकालिक/कृत्यकारी निदेशक					
श्री एस पी एस बक्शी डीआईएन: 02548430	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	7/7	हाँ	शून्य	05.02.2009 के प्रभाव से
श्री वीनू गोपाल डीआईएन: 05173442	निदेशक (परियोजनाएँ)	7/7	हाँ	शून्य	02 .01.2012 के प्रभाव से
श्री ए.वी.वी. कृष्णन डीआईएन: 06404202	निदेशक (वित्त)	2/2	लागू नहीं होता	शून्य	10.10.2013 के के प्रभाव से
(ख) सरकारी नाम निर्देशित/अंशकालिक शासकीय निदेशक					
श्री आर.के. सिंह, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय डीआईएन: 06459343	निदेशक	4/7	नहीं	5 (बीबीयूएनएल, आर एण्ड सी, टीएसपीएल, आईएल, एसआईएल)[6]	30.11.2012 के प्रभाव से

श्री एस. एस. दूबे, प्रधान लेखा नियंत्रक (सीसीए), भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय डीआईएन: 06601151	निदेशक	2/6	नहीं	1 (आईएल)[6]	08.05.2013 के प्रभाव से
(ग) स्वतंत्र निदेशक/अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशक					
डॉ. के.एस. राव, प्रोफेसर, वाणिज्य और प्रबंध अध्ययन विभाग, आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम डीआईएन: 03383447	निदेशक	7/7	हाँ	शून्य	04.02.2014 के प्रभाव से पूर्व में 16.12.2010 से 15.12.2013 तक

टिप्पणियाँ :

वर्ष 2013–14 के दौरान और तत्पश्चात् इस रिपोर्ट की तारीख तक निदेशक पद पर निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

1. श्री एस.एस. दूबे, प्रधान लेखा नियंत्रक, (सीसीए), को भारी उद्योग विभाग, ने भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के दिनांक 08.05.2013 के आदेश सं. 16(12)/2001–टीएसडब्ल्यू, माध्यम से कम्पनी के बोर्ड में अंशकालिक शासकीय निदेशक नियुक्त किया गया है।

2. श्री एस पी एस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक को 27.02.2013 से भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के आदेश संख्या 16(33)/2008–टीएसडब्ल्यू, द्वारा 3 मास की अवधि के लिए निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त भार दिया गया है। इस अवधि को 27.05.2013 से परे छह मास की अवधि के लिए 27.11.2013 तक या नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक या और आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो बढ़ाया गया है (भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के आदेश संख्या 16(33)/2008-टीएसडब्ल्यू तारीख 31.05.2013 द्वारा)।

3. श्री ए.वी.वी. कृष्ण को भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के आदेश संख्या 16(14)/2013-टीएसडब्ल्यू तारीख 09.10.2013 द्वारा निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 10.10.2013 से निदेशक (वित्त) का प्रभार ग्रहण कर लिया है।

4. श्री एस. पी. एस. बक्शी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की अवधि को 04.02.2014 से 04.05.2014 या अग्रिम आदेश होने तक, इसमें जो भी पूर्वतर हो, (उनकी नियुक्ति के पाँच वर्ष की अवधि के अवसान की तारीख) विस्तार दिया गया है। तत्पश्चात् भारी उद्योग विभाग ने अपने पत्र संख्या 16(1)/2008-टीएसडब्ल्यू (खंड 3), तारीख 12.05.2014 द्वारा कथन किया है कि श्री एस पी एस बक्शी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सक्षम अधिकारी की सिफारिश प्राप्त होने तक और तद्नुसार आदेश जारी होने तक ईपीआई के पद पर बने रहेंगे।

5. डॉ. के. एस. राव. अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक ने 15.12.2013 को अपनी 3 वर्ष की पदावधि पूरी कर ली है। उन्हें भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के आदेश संख्या 16(27)/2008टी-एसडब्ल्यू (पार्ट फाइल) तारीख 31.01.2014 द्वारा पुनः अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक किया गया है। उन्होंने दिनांक 04.02.2014 से अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक का प्रभार ग्रहण कर लिया है।

6. उपयोग किए गए ''संक्षेपाक्षर'' नीचे दिए अनुसार हैं :

क) बीबीयूएनएल – भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
ख) आर एण्ड सी – रिचर्डसन एण्ड क्रूडडस
ग) टीएसपीएल – तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
घ) आईएल – इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
ङ) एसआईएल – स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया

निदेशक बोर्ड की मुख्य भूमिका कम्पनी के अच्छे शासन और कार्यकरण का सुनिश्चय करने की है। बोर्ड की बैठकें साधारणतया कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं। बोर्ड नियमित अंतरालों पर कम्पनी की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर चर्चा करने के लिए बैठकें करता है। बैठकों के लिए कार्यवृत्त की टिप्पणियाँ संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है और उनका अनुमोदन अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित कृत्यकारी निदेशकों द्वारा उन्हें सभी निदेशकों को भेजने से पूर्व किया जाता है। निदेशक बोर्ड द्वारा विनिश्चय विचार–विमर्श के पश्चात् किए जाते हैं।

बोर्ड आवधिक रूप से सभी लागू विधियों की अनुपालन प्रास्थिति का पुनरीक्षण करता है।

(घ) बोर्ड की बैठकों की संख्या

वर्ष 2013–14 के दौरान निदेशक बोर्ड की सात (7) बैठकें आयोजित की गई थी, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	बैठक की तारीख	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	05.04.2013	4	3
2.	17.05.2013	5	4
3.	12.08.2013	5	5
4.	29.08.2013	5	4
5.	26.09.2013	5	3
6.	22.11.2013	6	4
7.	17.02.2014	6	6

(ड.) इस समय बोर्ड के निदेशकों का संक्षिप्त सार जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो वर्ष 2013–14 के दौरान बोर्ड में शामिल हुए।

I) श्री एस पी एस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री एस पी एस बक्शी, तारीख 05.02.2009 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के रूप में ईपीआई में शामिल हुए, श्री बक्शी हाईवेज़ एवं ट्रांस इंजीनियरी में स्नातकोत्तर और मानव संसाधन विकास में एमबीए हैं। वह इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स, यूएसए के फैलो सदस्य हैं। श्री बक्शी को अद्योपांत आधार पर परियोजना योजना एवं प्रबंधन में वृहत भवनों एवं विमानपत्तनों और हाईवे परियोजनाओं के विशेष संदर्भ में व्यापक और समग्र अनुभव है। उन्होंने पब्लिक प्राइवेट सहभागिता के आधार पर परियोजनाओं को भी संभाला है। उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के मुख्य अवसंरचना विमानपत्तनों और हाईवे परियोजनाओं को भी संभाला है।

II) श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएँ)

श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएँ) तारीख 02.01.2012 को ई.पी.आई. में शामिल हुए। वह व्यापक और विविध अनुभव रखने वाले एक सिविल इंजीनियर हैं और उनका विभिन्नतापूर्ण अनुभव रेलवे, हाईवे, पुल एवं भवनों के क्षेत्र में लागत आकलन, निविदा, कारोबार विकास, संविदा प्रबंधन, आयोजना एवं परियोजना निष्पादन में 30 वर्ष से अधिक अवधि का है। श्री वीनू गोपाल ने भारत और विदेशों में बहु विषयी परियोजनाओं को जिसके अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट सहभागिता के आधार पर परियोजनाएँ हैं, को संभाला है। ईपीआई में शामिल होने से पूर्व, श्री वीनू गोपाल ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय निर्माण निगम के साथ कार्य किया है।

III) श्री ए.वी.वी. कृष्णन, निदेशक (वित्त)

श्री ए.वी.वी. कृष्णन, तारीख 10.10.2013 को ईपीआई में निदेशक (वित्त) के रूप में शामिल हुए। उन्हें वित्त लेखा/लेखापरीक्षा का भारत और विदेश में 30 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वह इंस्टीटयूट आफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीटयूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के सहबद्ध सदस्य हैं और वह वाणिज्य में स्नोतकोत्तर डिग्री धारक हैं। श्री कृष्णन को भारत से बाहर साउदी अरब, मॉरीशस और कुबैत में विभिन्न परियोजनाओं में तैनात किया गया है। श्री कृष्णन को लगभग वित्त के सभी क्षेत्रों अर्थात बैंकिंग, बीमा, विदेशी मुद्रा हैजिंग, निविदाकरण, लागत आकलन, परियोजना मॉनीटरी आदि में अनुभव है। उन्हें सचिवालयी और विधिक मामलों को भी अच्छा और समग्र अनुभव है। ईपीआई में शामिल होने से पहले श्री कृष्णन ने टीसीआईएल, एलएमएल, टाटा स्टील आदि में कार्य किया।

IV) श्री आर.के. सिंह, सरकारी नामांकित निदेशक

श्री राजेश कुमार सिंह, भारत सरकार के नामांकित निदेशक के रूप में तारीख 30.11.2012 को अंशकालिक शासकीय निदेशक के रूप में ईपीआई में शामिल हुए। श्री सिंह 1991 के बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं। वह मैकेनिकल इंजीनियरी में बी.टेक हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली से ताप इंजीनियरी में प्रौद्योगिकी में निष्णात किया है। उन्हें लोक प्रशासन और सरकारी मुद्दों का भू–राजस्व प्रबंधन और जिला प्रशासन, पर्यावरण और वन, युवा मामले और क्रीडा, शहरी विकास, श्रम और नियोजन, मानव संसाधन विकास, कृषि और सहकारिता, जल संसाधन आदि जैसे विभिन्न सरकारी विभागों में 20 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस समय वह भाारी उद्योग विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव का पद धारण कर रहे हैं। उन्हें अनेक नूतन योजनाओं को लाने का श्रेय दिया जाता है जिनका परिणाम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में और उत्तर प्रदेश के कृषि विपणन विभाग में पथ से हटकर रहा है।

V) श्री एस.एस. दूबे, सरकारी नामांकित निदेशक

श्री श्याम सुन्दर दूबे, भारत सरकार के नामांकित निदेशक के रूप में तारीख 08.05.2013 को ईपीआई में अंशकालिक शासकीय निदेशक के रूप में शामिल हुए। श्री दूबे 1989 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने बीएससी (जीव विज्ञान), एमएससी (मनोविज्ञान), एमफिल (राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामरिक अध्ययन) किया है और वह अंतर्राष्ट्रीय कारबार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक हैं। उन्हें लेखा, लेखापरीक्षा, वित्त, व्यय नियंत्रण, बजेटिंग, कार्यालय प्रशासन और कार्यक्रम प्रबंधन एवं खरीद के क्षेत्र में विभिन्न, सरकारी विभागों में 21 वर्ष से अधिक का व्यापक, विभिन्नतापूर्ण और बहुविषयी अनुभव है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम में साढ़े पाँच वर्ष का खरीद लॉजिस्टिक के प्रभारी के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने लोक व्यय प्रबंधन, सरकारी खरीद में पारदर्शिता और विश्व व्यापार संगठन, लॉजिस्टिक अधिकारियों के लिए तकनीकी क्षेत्र प्रचालन प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक और खरीद से संबंधित क्षेत्रों में कार्यशाला, सुरक्षा क्षेत्र जागरूकता प्रशिक्षण आदि जैसे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया है। इस समय वह औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, मध्यम, लघु एवं सुक्ष्म उपक्रम मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और लोक उपक्रम विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

VI) डॉ. के.एस. राव, स्वतंत्र निदेशक

डॉ. के.एस. राव, आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम में वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन विभाग में प्रोफेसर हैं। श्री राव ईपीआई में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 16.12.2010 को शामिल हुए। उन्हें वाणिज्य और प्रबंधन के क्षेत्र में 28 वर्ष से अधिक का व्यापक शिक्षण और अनुसंधान का अनुभव है। वह अखिल भारतीय वाणिज्य संघ, केरल वाणिज्य संघ, भारतीय लेखांकन संघ के आजीवन सदस्य हैं और वह अनुसंधान विकास संघ के सदस्य हैं। डॉ. राव को वर्ष (1990) में वाणिज्य में, ''यूजीसी कैरियर पुरस्कार'' प्रदान किया गया था। वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण और अनुसंधान परिषद, केंद्रीय उच्चतर शिक्षा बोर्ड और पंडित सुन्दर लाल शर्मा, केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल आदि विभिन्न शैक्षिक निकायों के साथ सहबद्ध हैं। उनके विभिन्न प्रख्यात पत्रों में अनेक अनुसंधान पेपर प्रकाशित किए हैं। वह एम.फिल और पीएचडी उपाधियों के लिए अनेक अध्येयताओं के मार्गदर्शक भी हैं।

च) निदेशकों की नियुक्ति

अंशकालिक निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए यह संभव नहीं है कि एजीएम की सूचना में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति के लिए कोई मद हो, जो निदेशकों की कुल संख्या के दो/तिहाई से अन्यून के व्यक्तियों के रूप में होने की अपेक्षा का अवधारण करती है जिनकी पदावधि साधारण बैठक में निदेशकों के चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त द्वारा अवधारित किए जाने की दायी है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुसार धारा 152 की उपधारा (6) और उपधारा (7) के उपबंध निदेशकों के चक्रानुक्रम में सेवा निवृत्ति के संदर्भ में स्वतंत्रत निदेशकों की नियुक्ति को लागू नहीं होते हैं।

इसके अतिरिक्त दो अंशकालिक निदेशक (सरकार द्वारा नियुक्त अपनी प्रशासनिक मंत्रालय में उनके पद के कारण पदधारण करते हैं) और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नियत अवधि के लिए की जाती है। जिसके कारण किसी निदेशक को प्रत्येक वर्ष चक्रानुक्रम में वास्तविक रूप से सेवानिवृत्त करने का कोई मौका नहीं है। इसलिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 255 से धारा 257 को/कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 को प्रभावी करना संभव नहीं है।

3. लेखा परीक्षा समिति

कम्पनी की लेखा परीक्षा समिति का बोर्ड द्वारा सम्यक्ता गठन किया गया है, जिसकी शक्तियाँ और भूमिका निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शन सिद्धांतों और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 क के अनुसरण में परिभाषित हैं।

निदेशकों में परिवर्तन के साथ लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति को तारीख 07.02.2014 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनः गठित किया गया है :

1. डॉ. के. एस. राव, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष;
2. श्री आर. के. सिंह, सरकारी नामांकित निदेशक, सदस्य;
3. श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएँ), सदस्य;
4. श्री एस. एस. दूबे, सरकारी नामनिर्देशित, सदस्य;

वर्ष 2013–14 के दौरान समिति की तारीख 05.04.2013, तारीख 17.05.2013, तारीख 12.08.2013, तारीख 29.08.2013, तारीख 26.09.2013, तारीख, 22.11.2013 और 17.02.2014 को सात बैठकें आयोजित की गई थीं।

उपस्थिति के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

सदस्य	क्रमशः उनकी पदावधि के दौरान आयोजित की गई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
डॉ. के.एस. राव अध्यक्ष	7	7
श्री विनू गोपाल, सदस्य	7	7
श्री आर. के. सिंह, सदस्य	7	4
श्री एस. एस. दूबे, सदस्य	1	1

*07.02.2014 के प्रभाव से सदस्य नियुक्त। उनकी पदावधि के दौरान एक बैठक की गई थी।

लेखा परीक्षा समिति के निर्देश के निबंधन

लेखा परीक्षा समिति के निर्देश के निबंधन कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क और निगम शासन पर डीपीई मार्गदशक सिद्धांतों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। इन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 के निबंधनों के अनुसार 21 जुलाई, 2014 से निम्नानुसार संशोधित किया गया है :–

1. कम्पनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति के निबंधनों की सिफारिश।
2. लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन तथा लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता का पुनपरीक्षण और मॉनीटरींग।
3. वित्तीय विवरण और उसमें लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जाँच।
4. संबंधित पक्षकारों के साथ कम्पनी के संव्यवहारों के पश्चातवर्ती उपांतरण का अनुमोदन।
5. अंतः निगम ऋणों और विनिधानों की समीक्षा।
6. कम्पनी के वचनबंधों या आस्तियों का मूल्यांकन, जहाँ यह आवश्यक हो।
7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
8. लोक प्रस्तावना और संबंधित मामलों जहाँ लागू हों, के माध्यम से इकट्ठा की गई निधियों के अंतिम उपयोग की मॉनीटरींग।
9. लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के स्कोप, जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षकों का पर्यवेक्षण और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरण का पुनर्विलोकन भी है के विषय में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ माँग सकती है और अन्य किसी संबंधित मुद्दों पर आंतरिक और कानूनी लेखापरीक्षकों तथा कम्पनी के प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श कर सकती है।
10. लेखापरीक्षा समिति को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में या उसे बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट मदों पर जाँच करने का प्राधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए उसे बाह्य स्रोतों से व्यावसायिक परामर्श अभिप्राप्त करने की शक्ति होगी और कम्पनी के अभिलेखों में अंतर्विष्ट सूचना तक उसकी पूरी पहुँच होगी।
11. कम्पनी या बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षकों के परामर्श से आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए स्कोप, कार्यकरण, अवधि और विधि की विरचना करेगी।

12. कम्पनी की वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया और उसकी वित्तीय सूचना के प्रकटन को देखना ताकि यह सुनिश्चय किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
13. कानूनी लेखापरीक्षकों को कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई किसी अन्य सेवा के लिए संकाय का अनुमोदन।
14. बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणियों का निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ में पुनर्विलोकन :
    क. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के निबंधनों के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के दायित्व के विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित मुद्दे।
    ख. बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के दायित्व का विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित मुद्दे।
    ग. लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण।
    घ. प्रबंधन द्वारा उनके निर्णय के उपयोग के आधार पर प्राक्कलनों को अंतर्वलित करती हुई प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ।
    ङ लेखापरीक्षा में पता लगाए जाने के कारण उदभूत वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
    च. वित्तीय विवरणियों से संबंधित विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन।
    छ. संबंधित पक्षकार संव्यवहार का प्रकटन/पुनर्विलोकन।
    ज. प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शर्तें।
15. बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणियों के प्रबंधन के साथ त्रैमासिक पुनर्विलोकन।
16. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षकों के कारण निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन।
17. आंतरिक लेखापरीक्षा कृत्य, यदि कोई हो की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन जिसके अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग का ढाँचा, कर्मचारीवृंद और विभाग की अध्यक्षता करने वाले कार्यकारी की ज्येष्ठता, रिपोर्ट करने का ढाँचा, कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति भी है।
18. किसी महत्वपूर्ण प्रकटन पर आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।
19. आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों द्वारा उन मामलों में आंतरिक जाँच से हुए प्रकटन का पुनर्विलोकन जहाँ किसी कपट या अनियमितता या तात्विक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की असफलता और बोर्ड को उस विषय को रिपोर्ट करने का पुनर्विलोकन।
20. लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति और स्कोप की चर्चा के साथ–साथ लेखापरीक्षा पश्चात किसी चिंता वाले क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा।
21. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के असंदाय की दशा में) और लेनदारों को संदाय में व्यतिक्रम के कारणों की जाँच।
22. सूचना देनेवाले, सतर्कता तंत्र के कार्यकारण का पुनर्विलोकन।
23. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन।
24. संसद की लोक उपक्रम समिति (सीओपीयू) द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन।
25. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और निदेशक बोर्ड के बीच संचार के लिए एक खुले पथ का उपबंध।

26. कवरेज की संपूर्णता, निरर्थक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने का सुनिश्चय करने के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ पुनर्विलोकन।

27. स्वतंत्र लेखापरीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और पुनर्विलोकनः

    क. आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा भी है और

    ख. संबंधित पता लगाई गई चीजें और स्वतंत्र लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों का प्रबंधन के प्रत्युत्तरों के साथ सिफारिशें।

28. निम्नलिखित पर प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ विचार और पुनर्विलोकन :

    क. वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण पता लगाई गई चीजें जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा सिफारिशें भी हैं।

    ख. लेखापरीक्षा कार्य के दौरान सामने आई कोई कठिनाईयों जिसके अंतर्गत कार्यकलापों के स्कोप पर या अपेक्षित सूचना तक पहुँच पर कोई निर्बंधन भी है।

29. लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में भी शक्तियाँ होगी :

    क. संदर्भ के निबंधनों के अंतर्गत किसी कार्यकलाप की जाँच करना।

    ख. किसी कर्मचारी पर और उससे किसी सूचना को प्राप्त करना।

    ग. निदेशक बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुए बाह्य विधिक या अन्य व्यावसायिक परामर्श अभिप्राप्त करना।

    घ. सुसंगत विशेषज्ञता रखने वाले बाह्य व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे।

    ङ सूचना प्रदाताओं की संरक्षा करना।

30. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित सूचना का पुनर्विलोकन करेगी :

    क. प्रबंधन चर्चा पर वित्तीय स्थिति की विश्लेषण तथा प्रचालनों का परिणाम।

    ख. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्षकार संव्यवहारों का विवरण।

    ग. प्रबंधन पत्र/कानूनी लेखा परीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र।

    घ. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

    ङ. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति और पद से हटाने को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा; और

    च. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणन/वित्तीय घोषणा।

31. कोई अन्य कृत्य जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और डीपीई निगम शासन मार्ग निदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

4. निदेशक बोर्ड की अन्य समितियाँ

बोर्ड की निम्नलिखित दो अन्य समितियाँ हैं :

i) निगम सामाजिक दायित्व और भरणीयता समिति

कम्पनी ने तारीख 15.03.2013 को पुनरीक्षित निगम सामाजिक दायित्व और भरणीयता पर डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुसरण में एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक बोर्ड स्तरीय निगम सामाजिक दायित्व और भरणीयता समिति का गठन किया है।

समिति को निम्नलिखित सदस्यों के साथ तारीख 07.02.2014 को पुनर्गठित किया गया है।

1. डॉ. के. एस. राव, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष
2. श्री ए.वी.वी. कृष्णन, निदेशक (वित्त), सदस्य
3. श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएँ), सदस्य

वर्ष 2013–14 के दौरान समिति ने तारीख 05.04.2013, तारीख 17.05.2013, तारीख 22.07.2013, तारीख, 22.11.2013 और तारीख 17.02.2014 को पाँच बैठकें की।

उपस्थिति के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :–

सदस्य	क्रमशः उनकी पदावधि के दौरान आयोजित की गई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
डॉ. के.एस. राव, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष	5	5
श्री एस पी एस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध–निदेशक सदस्य*	4	3
श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएँ), सदस्य	5	5
श्री ए.वी.वी. कृष्णन, निदेशक (वित्त), सदस्य**	1	1

*श्री एस पी एस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध–निदेशक तारीख 14.03.2013 से तारीख 07.02.2014 तक सदस्य थे।

**श्री ए.वी.वी; कृष्णन, निदेशक (वित्त), निगम सामाजिक दायित्व और भरणीयता समिति के तारीख 07.02.2014 से सदस्य हैं।

कम्पनी के निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता एजेंडा के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में कार्यकारियों के एक दल का भी गठन किया गया है।

कम्पनी द्वारा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता पहलों के अधीन हाथ में लिए गए कार्यकलापों के ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट के साथ निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर रिपोर्ट के अनुरूप में उपाबद्ध है।

ii) पारिश्रमिक समिति

पारिश्रमिक समिति का गठन वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतन पूल और कार्यकारियों को तथा ऐसे पर्यवेक्षकों को जो किसी संगम में नहीं हैं को उसके वितरण का विनिश्चय करने के लिए निगम शासन के डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में किया गया है।

समिति का तारीख 07.02.2014 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया है :

1. डॉ. के. एस. राव, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष;
2. श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएँ), सदस्य;
3. श्री आर. के. सिंह, सरकारी नामांकित निदेशक, सदस्य;
4. श्री एस. एस. दूबे, सरकारी नामांकित निदेशक, सदस्य;

वर्ष के दौरान डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) के लिए उपबंध किया तथापि, पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

5. अन्य उप–समितियाँ

शेयर अंतरण समिति

कम्पनी की सभी शेयरों के अंतरणों और पारेषणों की निगरानी के लिए एक शेयर अंतरण समिति है। शेयर अंतरण को रजिस्टर करने और निक्षेपागारों आदि के साथ समन्वय करने के लिए एमसीएस लिमिटेड को रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण

अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। शेयर अंतरण समिति में निम्नलिखित दो अधिकारी अर्थात विभाग प्रमुख, वित्त प्रभाग, विभाग प्रमुख, विधिक प्रभाग और विभाग प्रमुख संविदा प्रभाग हैं।

वर्ष के दौरान समिति ने बीएचपीवीएल द्वारा धृत साम्य शेयरों के बीएचईएल को अंतरण को बीएचपीवीएल के बीएचईएल में आमेलन पर अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

6. जोखिम प्रबंधन

ईपीआई ने कम्पनी द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिम का पता लगाने, मूल्यांकन करने और उसे कम करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति की विरचना की है। जोखिम प्रबंधन नीति के मुख्य उद्देश्य जोखिम की पहचान करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए और उसे कम करने के लिए एक अवसंरचना को परिभाषित करना है ताकि पूर्व क्रियाशीलता को बढ़ावा दिया जाए न कि प्रतिक्रियाकारी प्रबंधन को, संगठन में विनिश्चय करने की गुणवत्ता में सहायता करके उसमें सुधार करने का उपबंध किया जा सके।

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन, उसकी अवधारणाएँ और तंत्र पर एक कार्यशाला के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण आयोजित किया। कार्यशाला का उद्देश्य कर्मचारियों के बीच जोखिम की पहचान करके/उसे कम करने की रणनीतियों का प्रबंधन, पर्याप्त उपाय न करने की दशा में उसके संघात आदि का प्रबंधन करके जागरूकता को बढ़ाना था।

जोखिम प्रबंधन समिति

कम्पनी ने जोखिम प्रबंधन समिति का भी गठन किया है, जोखिम प्रबंधन अधिकारी, (आरएमओ) की अध्यक्षता में ज्येष्ठ अधिकारियों का दल विकास और जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुरक्षण, प्रक्रियाओं, मानकों और कम्पनी के लिए प्ररूपों का समन्वय करता है।

7. प्रकटन

i) वर्ष 2013–14 के दौरान कृत्यकारी निदेशकों को संदत्त पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों को संदत्त बैठक फीस के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

क. कृत्यकारी/पूर्णकालिक निदेशक : (रुपए में)

निदेशकों के नाम	वेतन	लाभ	परिलब्धियाँ	योग
श्री एस पी एस बक्शी अध्यक्ष–सह–प्रबंध–निदेशक	3,044,868	3,94,909	-	3,439,777
श्री वीनू गोपाल निदेशक (परियोजनाएँ)	2,653,556	3,51,086	-	3,004,642
श्री ए. वी. वी. कृष्णन निदेशक (वित्त)	1,211,403	1,21,690	-	1,333,093

ख : स्वतंत्र निदेशक : (रुपए में)

निदेशकों के नाम	बैठक फीस		कुल
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
डॉ. के. एस. राव	70,000	90,000	1,60,000

स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की प्रति बैठक 10,000 रुपए की बैठक फीस के और बोर्ड स्तरीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए 7,500 रुपए की बैठक फीस के हकदार हैं।

ii) सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नियत वेतनमानों में की जाती है। तद्नुसार अध्यक्ष–सह–निदेशक की नियुक्ति 75,000 रुपए – 90,000 रुपए (आईडीए) के पुनरीक्षित अनुसूची, ''ख'' वेतनमान में की गई है और सभी पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति 65,000 रुपए – 75,000 रुपए (आईडीए) के पुनरीक्षित अनुसूची ''ग'' वेतनमान में की गई है। उनकी नियुक्ति के अन्य निबंधनों और शर्तों को भी भारत सरकार द्वारा भारी उद्योग एवं लोग उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग द्वारा नियत किया जाता है।

iii) निदेशकों की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उनके पारिश्रमिकों और अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशकों को पात्र बैठक फीस के अतिरिक्त किसी भी निदेशक का कम्पनी के साथ कोई तात्विक या धनीय संबंध नहीं है जो उनके स्वतंत्र निर्णय को प्रभावित करे।

iv) वर्ष के दौरान तात्विक रूप से पक्षकार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार नहीं हुए थे जो अधिकांशतः कम्पनी के हितों से संभाव्य रूप से प्रतिकूल हों। लेखाओं की टिप्पणियों के भाग से लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबंधित पक्षकार संव्यवहार का ब्यौरा।

v) विभिन्न विभागों से प्राप्त कानूनी अनुपालना रिपोर्ट को कानूनी शोधों की प्रास्थिति के साथ नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

vi) सिवाय बिक्री कर मामले जो अपील के अधीन हैं, किसी कानूनी निकाय द्वारा शास्ति या कठोर अलोचना का कोई दृष्टांत नहीं हुआ है।

vii) कम्पनी बोर्ड और उसकी समितियों की संरचना के सिवाय क्योंकि प्रशासनिक मंत्रालय स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में है, डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।

viii) वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई राष्ट्रपतीय विनिदेश जारी नहीं किया गया था।

ix) वर्ष के दौरान लेखा बहियों और लेखाओं में किसी खर्च जो कारोबार व्यय के प्रयोजनों के लिए नहीं है और कोई व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति का है निदेशक बोर्ड और उच्च प्रबंधन द्वारा विचलित नहीं किया गया है।

x) कम्पनी में कपट के निवारण, उसका पता लगाने और उसके रिपोर्ट करने के लिए सितम्बर, 2010 से कपट निवारण नीति लागू है।

xi) कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय वर्ष 2012–13 में 2.46 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013–14 में 3.28 प्रतिशत रहे हैं। कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में वित्तीय व्यय वर्ष 2012–13 में 0.74 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013–14 में 1.09 प्रतिशत रहे हैं। प्रशासनिक व्यय में वृद्धि मुद्रास्फीति में साधारण वृद्धि के लेखे और कम्पनी की विदेशी परियोजनाओं में प्रविष्टि के कारण हुई है। वित्तीय लागत में वृद्धि ग्राहकों से अग्रिम के कारण हुई है जिसे कार्यशील ग्राहकों को भेज दिया जाता है, जिसपर कम्पनी आय अर्जित करती है।

xii) कम्पनी के वित्तीय विवरणों की बाबत कम्पनी के प्रधान कार्यकारी अधिकारी और प्रधान वित्त अधिकारी द्वारा एक प्रमाणपत्र उपाबंध–ख1 पर रखा गया है।

xiii) कम्पनी की वेबसाइट (www.epi.gov.in) कम्पनी के अधिकारी समाचारों को जैसे वार्षिक रिपोर्ट, निविदाएँ और भर्ती के अवसरों आदि को प्रदर्शित करती है।

8. साधारण निकाय की बैठकें :

i) कम्पनी की पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :-

एजीएम	वित्तीय वर्ष	एजीएम की तारीख और समय	स्थान
43वीं	2012-13	30 सितम्बर, 2013 को 3.00 बजे सांय	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
42वीं	2011-12	28 सितम्बर, 2012 को 5.00 बजे सांय	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
41वीं*	2010-11	29 सितम्बर, 2011 को 4.30 बजे सांय*	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

*29 सितम्बर, 2011 की वार्षिक साधारण बैठक को भारत के महालेखा नियंत्रक और संपरीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त न होने के कारण स्थगित कर दिया गया था और 30 सितम्बर, 2011 को आयोजित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 44वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना एजीएम का दिन, समय और स्थान के विषय में विवरण।

ii) पिछली तीन एजीएम में पारित विशेष संकल्पों के ब्यौरे :-

एजीएम	वित्तीय वर्ष	पारित विशेष संकल्प् के ब्यौरे
43वीं	2012-13	शून्य
42वीं	2011-12	शून्य
41वीं	2010-11	शून्य

9. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में अधिकथित उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है। कम्पनी ने समूह महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी के प्रादेशिक प्रमुखों को सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नियुक्त किया है। कम्पनी का कार्यपालक निदेशिक सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार अपील प्राधिकारी है। वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई सूचना को उपदर्शित समय के भी 53 आवेदकों को प्रदान की गई।

10. शेयरधारकों के साथ संपर्क के साधन

कम्पनी की संदत्त पूंजी का 99.98 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा धृत है और शेष 0.02 प्रतिशत सात सीपीएसई और इन सीपीएसई के निमित सृजित न्यास द्वारा धृत है।

कम्पनी की द्विभाषी वार्षिक रिपोर्ट अन्य सुसंगत सूचना के साथ कम्पनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है। वार्षिक रिपोर्ट आदि को कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 17/95/2011–सीएल.V तारीख 29.04.2011 के अनुसरण में भौतिक प्ररूप के साथ इलेक्ट्रॉनिकी रीति में भी भेजा जा रहा है।

11. संपरीक्षा टिप्पणियाँ

कानूनी संपरीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों काप्रत्युत्तर, यदि कोई हो, तो निदेशकों की रिपोर्ट के साथ एक वर्धन के रूप में उपाबद्ध कर दिया जाएगा।

12. निदेशक बोर्ड का प्रशिक्षण

कम्पनी, कम्पनी के निदेशक बोर्ड में नए नियुक्त निदेशकों को आरंभिक प्रशिक्षण प्रदान करती है, प्रशिक्षण में कम्पनी के विषय में संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण और कम्पनी के कार्यनिष्पादन के विषय में महत्वपूर्ण डाटा, संगम ज्ञापन और संगम

अनुच्छेद ईपीआई का ब्रोश, डीपीई द्वारा निगम शासन पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत, आईसीएसआई द्वारा निदेशकों की भूमिका और दायित्व पर प्रकाशित पुस्तिका आदि शामिल है। निदेशकों को स्कोप द्वारा और निदेशक संस्थान (आईओडी) आदि द्वारा आयोजित सेमिनारों / संगोष्ठियों के लिए भी प्रायोजित किया जाता है।

13. सूचना प्रदाता नीति

कम्पनी की सूचना प्रदाता नीति किसी व्यक्ति को जो संरक्षित प्रकटन करता है को किसी पीड़ा से संरक्षित करने का पूरा सुनिश्चय करती है। सभी कर्मचारी अध्यक्ष, संपरीक्षा समिति को अधिमानता लिखित में संरक्षित प्रकटन करने के लिए पात्र हैं। वर्ष के दौरान किसी कार्मिक को संपरीक्षा समिति तक पहुँच से नहीं रोका गया है।

14. आचार संहिता

निदेशक बोर्ड ने बोर्ड के सदस्यों और कम्पनी के ज्येष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार–और नैतिकता की संहिता अधिकथित की है। आचार संहिता को कम्पनी की वेबसाइट www.epi.gov.in पर पोस्ट किया गया है। कम्पनी के बोर्ड के सभी सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों ने संहिता की अनुपालना के लिए प्रतिज्ञान किया है। इस प्रभाव की एक घोषणा इस रिपोर्ट के सभी अनुलग्नक–2 के रूप में उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त डॉ. के. एस. राव, स्वतंत्र निदेशक ने एक घोषणा की है कि वह कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) में उपबंधित स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करते हैं।

15. अनुपालना प्रमाणपत्र

यह रिपोर्ट सीपीएसई के लिए निगम शासन पर सभी मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुलग्नक–VII में वर्णित सभी सुझाव दी गई लागू मदों को कवर करती है। डीपीई द्वारा विहित निगम शासन अपेक्षाओं की अनुपालना पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय को भी नियमित रूप से भेजी जाती है। सीपीएसई के निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की शर्तों की अनुपालना के संबंध में व्यवसायरत कम्पनी सचिव से अभिप्राप्त प्रमाणपत्र रिपोर्ट से अनुलग्नक–ख3 के रूप में उपाबद्ध किया गया है।

अनुलग्नक–ख1

कम्पनी के मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा

हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और रोकड़ प्रवाह विवरण का पुनर्विलोकन कर लिया है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणियों में कोई तात्विक रूप से असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या उनमें किसी तात्विक तथ्य का लोप नहीं किया गया है या उनमें कोई ऐसी विवरणी अंतर्विष्ट नहीं है जो भ्रामक हो;

(ii) यह विवरणियाँ इकट्ठे कम्पनी के मामलों का सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करती हैं और यह विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों और विनियमों के अनुसार हैं;

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2013–14 के दौरान कम्पनी ने ऐसा कोई संव्यवहार दर्ज नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अविधिमान्य या कम्पनी की आचार–संहिता का उल्लंघनकारी हो;

(iv) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों प्रणालियों को स्थापित करने और बनाए रखने के दायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर लिया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन या प्रचालन में मियों, यदि कोई हों, जिसके विषय में हम भिज्ञ हैं और उनके लिए की गई कार्रवाई और उनको दूर करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का प्रकटन कर दिया है;

(v) हमने लेखापरीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित इंगित कर दिया है :

क) वर्ष 2013–14 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

ख) वर्ष 2013–14 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में प्रकटन कर दिया गया है; और

ग) गंभीर कपट के मामले जिनकी हमें जानकारी हो गई है और उसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी का शामिल होना जिसकी कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

ह/–
(ए. वी. वी. कृष्णन)
निदेशक (वित्त) और
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/–
(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25/08/2014

अनुलग्नक–ख 2

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और ज्येष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता की अनुपालना के संबंध में घोषणा।

मैं एस पी एस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि कम्पनी के बोर्ड के सभी सदस्यों और ज्येष्ठ प्रबंधन ने कम्पनी के वर्ष 2013–14 के दौरान कारोबार आचरण और नैतिक संहिता के अनुपालन के लिए प्रतिज्ञान किया है।

ह/–
(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02548430

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25 अगस्त, 2014

अनुलग्नक–ख 3

एजीबी एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

मुख्य कार्यालय : प्रथम तल, 970, सेक्टर–21डी,
फरीदाबाद–121001, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
ई–मेल : gargaiay24@yahoo.co.in,
agbassociates@yahoo.in
टेलीफोन : 0129–4080970, 9811386723, 9873186723

निगम शासन प्रमाणपत्र

सेवा में
सदस्य,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड,
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7 इंस्टिट्यूशनल एरिया, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

हमने 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'कम्पनी' कहा गया है) की निगम शासन जैसाकि अधिसूचना संख्या 1, संख्या 18 (8)/2005–जीएम, जो मूलतः 22.06.2007 को जारी की गई थी और जिसका पुनरीक्षण लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन द्वारा किया गया था में उपदर्शित, ''केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, 2010 के शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों यथा उपदर्शित शर्तों की अनुपालना की शर्तों'' की जांच कर ली है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् मार्गदर्शक सिद्धांत कहा गया है)।

निगम शासन की शर्तों की अनुपालना का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच कम्पनी द्वारा ऊपर वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों में उपदर्शित निगम शासन की शर्तों की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए कम्पनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है। इसलिए यह कम्पनी के वित्तीय विवरणों की न ही लेखापरीक्षा है और न ही उनपर किसी राय की अभिव्यक्ति।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और सूचना के अनुसार हम एतत् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने पूर्व वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों में परिकल्पित निगम शासन की शर्तों की सिवाय कम्पनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के जो कि सरकार द्वारा की जा रही है और यह ज्ञात है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, अनुपालना की है।

हम आगे यह और कथन करते हैं कि ऐसी अनुपालना न ही कम्पनी की भावी साध्यता का और न ही उस प्रभावशीलता की दक्षता जिससे प्रबंधन ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया है, आश्वासन है।

कृते **एजीबी एण्ड एसोसिएट्स**
कम्पनी सचिव

ह/–
नितिन रावत
(भागीदार)
सी. पी. संख्या 10554

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25/08/2014

अनुलग्नक–ग

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

सामाजिक रूप से जिम्मेदार निगम नागरिक होने के नाते आपकी कम्पनी परियोजना स्थल में और उसके आसपास लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करके पारस्परिक विश्वास और आदर द्वारा सकारात्मक और स्थायी छाप सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ईपीआई की सीएसआर नीति बृहत रूप से समुदाय के लिए कल्याणकारी उपायों का उपबंध करके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से योगदान करने का उपबंध करती है और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है।

1. सीएसआर विजन

''अधिकांश रूप से समाज के लिए कार्य करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना तथा एक निगम निकाय के रूप में ईपीआई की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार धारणा तैयार करना।

2. सीएसआर उद्देश्य

ईपीआई की सीएसआर नीति कक बृहत रूप से उद्देश्य समुदाय और समाज के लिए नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार का अनुपालन करना है और अधिकांश रूप से समुदाय के कल्याण और भरणीय विकास के लिए कार्यक्रम हाथ में लेना है।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति और योजना कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बिहार, नालंदा में (स्वास्थ्य शिक्षा पर सत्र) सामुदायिक विकास कार्यक्रम

3. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समिति

कम्पनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता पहलों का संचालन करने के लिए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता पर ईपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार दो टायर ढांचा है। इस ढांचो में बोर्ड स्तरीय समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक और निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समिति के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में कार्यकारियों का एक दल है।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समति का गठन निम्नानुसार है :

i. डॉ. के.एस. राव, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष

ii. श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं) – सदस्य

iii. श्री ए. वी. वी. कृष्णन, निदेशक (वित्त) – सदस्य

बिहार, नालंदा में बारेबेनडिंग और बढ़ईगीरी कौशल्य विकास प्रशिक्षण

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समिति की बैठकों और उपस्थिति के ब्यौरे निगम शासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

4. वर्ष 2013–14 के दौरान कार्यकलाप

कम्पनी ने वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता कार्यकलाप हाथ में लिए :

बिहार, नालंदा में अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण

अ. बिहार के नालंदा जिले में समुदाय विकास कार्यक्रम– इस कार्यक्रम में विभिन्न परिप्रेक्ष्यों जैसे कि कौशल वृद्धि, स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता को कवर किया गया। इस कार्यक्रम को बिहार के नालंदा जिले के राजगीर खंड में बीस ग्रामों में हाथों में लिया गया। समुदाय विकास कार्यक्रम के विहित संघटक इस प्रकार हैं –

क. युवाओं को मूल कंप्यूटर प्रशिक्षण, बालिकाओं और महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण, रोजगार के लिए तैयारी आदि, कौशल गतिविधियाँ।

ख. चिकित्सा स्वास्थ्य जाँच शिविर (सरकारी चिकित्सक द्वारा सुकर), प्राणि स्वास्थ्य जाँच शिविर आदि।

ग. जल की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए जल के नमूनों का परीक्षण।

घ. शौचालयों, चूषन गर्तों, गूड़ेदान गर्त आदि।

आ. नालंदा, बिहार में स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य जाँच शिविर महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य पर बैठकें, किशोर बालक और बालिकाओं के साथ स्वास्थ्य बैठकें, बालिका भ्रूण हत्या निवारण समिति के साथ बैठकें, नैमिक और सुरक्षित डिलिवरी कार्यशालाऐं आदि तथा नजदीक के स्कूलों में स्वास्थ्य से संबंधित कार्यशालाओं के माध्यम से लगभग 554 लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का उपबंध करने के लिए कार्यक्रम।

बिहार, नालंदा में सोकेज पिट्स का निर्माण

इ. राजगीर नालंदा में छड़ों को मोड़ने और काष्ठ कला में सौ संनिर्माण कर्मकारों को सात दिन का व्यवसाय कौशल वृद्धि प्रशिक्षण।

ई. बिहार पुलिस अकादमी स्थल, राजगीर में बिहार पुलिस अकादमी स्थल, राजगीर ईपीआई के पूर्वी प्रादेशिक कार्यालय के माध्यम से 500 वृक्षारोपण का संचालन किया गया था।

इसके अतिरिक्त कम्पनी ने विशिष्ट ढंग से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विनिर्दिष्ट स्थल के चारों ओर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल के पीछे भाव यह था कि ''समृद्ध हरित भारत''। इस वर्ष 14 अगस्त, 2014 को वृक्षारोपण अभियान राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल), पूसा रोड में पूरा किया गया। एनपीएल और उसकी कालोनी के चारों ओर लगभग एक हजार वृक्षों का रोपण किया गया।

उ. श्री केदारनाथ के लिए ग्यारह पूर्व फैब्रिकेटर फाइबर ग्लास हटों की आपूर्ति और प्रतिष्ठापन की परियोजना को हाथ में लिया है। उत्तराखंड क्षेत्र में अभूतपूर्व बाढ़ के परिणाम स्वरूप व्यक्ति और सम्पत्ति का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। स्थिति के मद्देनजर ईपीआई द्वारा श्री केदारनाथ में आपूर्ति, निर्माण और 11 पूर्व निर्मित फाइबर ग्लास झोपड़ियों की स्थापना की परियोजना को चलाया गया।

पूर्वोक्त कार्यकलापों के लिए वर्ष 2013–14 में कुल 133.48 लाख रुपए का व्यय उपगत किया गया।

5. बजट

वर्ष 2013–14 के दौरान कम्पनी ने निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता पहलों पर निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता पर डीपीई मर्गदर्शों के निबंधनों के अनुसार 64.38 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष के कर उपरांत लाभ का तीन प्रतिशत) आबंटित किए।

बिहार, नालंदा में स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर

6. 2014–15 के लिए योजना

बजट

43.93 लाख रुपए की रकम जो पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के शुद्ध लाभ का औसतन दो प्रतिशत है (अर्थात् 3637.30 लाख) [2011–12] 1827.31 लाख [2012–13] और 1125.87 लाख [2013–14] जिसके अंतर्गत विदेशी शाखाओं से लाभ नहीं है, को निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता कार्यकलापों के लिए वर्ष 2014–15 के लिए आबंटित किया गया है।

7. व्यय न की गई रकम

कम्पनी ने लगभग 31 मार्च, 2014 तक अपने संचित बकाया शेष को खर्च कर दिया है। निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता खाते में 7.86 लाख रुपए की शेष रकम निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता बजटों के पुनरीक्षित डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांत तारीख 1.4.2013 के कारण है, जिसमें निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता की दो अवधारणाओं को इकट्ठा कर दिया है। इस रकम का चालू वित्तीय वर्ष में उपयोजन किए जाने का प्रस्ताव है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'' के संलग्न वित्तीय विवरणों की जांच कर ली है, जो 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण और तब समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकारक सूचना की जांच कर ली है।

वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन पर दायित्व

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है कि वे कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकद प्रवाह का कंपनी अधिनियम, 1956, (''अधिनियम'') की धारा 211 की उपधारा (3ग) में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार सही और न्यायोचित दृश्य प्रदान करें। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और तैयार से सुसंगत आंतरिक नियंत्रक का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो किसी तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त, चाहे कपटूपर्ण हो या त्रुटिवश, सही और न्यायोचित तस्वीर प्रदान करे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने का है। हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। यह मानक अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस तथ्य का युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त है।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में रकमों और प्रकटनों के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना अंतर्वलित होता है। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती है जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरणियों में तात्विक मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण करना भी है चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश। इन जोखिमों निर्धारणों को करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और उचित प्रस्तुति से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि लेखा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर सके जो परिस्थितियों में समुचित है। किसी लेखापरीक्षा में उपयुक्त लेखांकन पद्धतियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन प्राक्कलनों की न्यायोचितता के साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और यथोचित आधार प्रस्तुत करता है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरणियाँ अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी उस रीति में प्रदान करता है जैसाकि अपेक्षित है और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत करती है :

क) तुलनपत्र की दिशा में 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के मामलों की दशा;
ख) लाभ और हानि की विवरण की दशा में उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ; और
ग) नकद प्रवाह विवरण की दशा में उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह;

मामले का बल

हम निम्नलिखित की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हैं :

खंड 3(क) (iii) टिप्पण 1 का, ''राजस्व – पहचान'', माप न किए गए/भागतः निष्पादित संकर्म के लिए उपबंधित दायित्व के साथ उपाबद्ध कानूनी बाध्यता को पूरा न करने से संबंधित ''महत्वूपर्ण लेखांकन नीतियाँ''।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 227 की उपधारा (4क) के निबंधनों में जारी कम्पनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (आदेश) (यथासंशोधित) की अपेक्षाओं के अनुसार हमने उपाबद्ध में उक्त आदेश के पैरा 4 और पैरा 5 में विनिर्दिष्ट मामलों का उपाबंध संलग्न किया है।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) द्वारा यथापेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. हमने वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है।

ख. हमारी राय में जहाँ तक लेखा बहियों की जाँच से प्रतीत होता है, कम्पनी द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं।

ग. शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमें अग्रेषित की गई है और हमारी रिपोर्ट करते समय उससे समुचित रूप से ब्यौहार किया गया है।

घ. इस रिपोर्ट में ब्यौहार किया गया तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

ङ. हमारी राय में तुलनपत्र और लाभ तथा हानि विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण कापोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में जारी साधारण परिपत्र संख्या 15/2013, तारीख 13 सितम्बर, 2013 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करता है।

च. निदेशकों की निर्रहर्ता की बाबत कम्पनी कार्य विभाग ने अपने 21 अक्तूबर, 2003 के स्पष्टीकरण सं. सा.का.नि. 829 (अ) द्वारा सरकारी कंपनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (छ) के उपबंधों से छूट दी है; और

छ. चूंकि केंद्रीय सरकार ने उस दर जिस पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 (क) के अधीन उपकर का संदाय किया जाना है, के विषय में कोई अधिसूचना न तो जारी की है और नहीं उक्त धारा के अधीन उस रीति को विहित करते हुए जिसमें उपकर का संदाय किया जाना है कोई नियम जारी किए हैं, कम्पनी द्वारा संदाय किए जाने के लिए कोई उपकर शोध्य नहीं है।

कृते सत्येन्द्र जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 012018 एन

ह/–
सीए अनिल जैन,
भागीदार
सदस्यता संख्या 072783

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25.08.2014

कम्पनी के वित्तीय विवरणों की सही और न्यायोचित तस्वीर की रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए निष्पादित लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों, को विचारण में लेते हुए और लेखा बहियों तथा हमारे द्वारा लेखापरीक्षा के सामान्य प्रक्रम में जांच किए गए अन्य अभिलेखों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i) नियत सम्पत्तियों के सन्दर्भ में :

क. कम्पनी ने पूरी विशिष्टियों को उपदर्शित करते हुए जिसके अंतर्गत नियत सम्पत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे और प्रास्थिति है समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

ख. वर्ष के दौरान प्रबंधन ने नियत सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है और ऐसे सत्यापन के दौरान कोई तात्विक खामी नहीं पाई गई है। हमारी राय में नियत सम्पत्तियों के सत्यापन की आतृत्ति कम्पनी के आकार और उसकी सम्पत्तियों की प्रकृति को देखते हुए युक्तियुक्त है।

ग. वर्ष की दौरान निपटान की गई नियत सम्पत्तियां हमारी राय में कम्पनी की नियत सम्पत्तियों का सारवान भाग नहीं है और हमारी राय में ऐसे निपटान से कम्पनी की एक चालू समुत्थान की प्रास्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

ii) माल सूचियों के सन्दर्भ में :

क. ऐसा हमें स्पष्ट किया गया है, कम्पनी का चालू संनिर्माण कार्य और सामग्री का स्टॉक माल सूची का निर्माण करते हैं। माल सूची (सिवाय ठेकेदार/ग्राहकों के पास पड़े स्टॉक के जिसके लिए पुष्टि अभिप्राप्त कर ली है) का वर्ष के दौरान भौतिक रूप से प्रबंधन द्वारा सत्यापन कर लिया गया है। हमारी राय में सत्यापन की आवृत्ति युक्तियुक्त है।

ख. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा अनुसरण की जाने वाली मालसूचियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएं आतृत्ति कम्पनी के आकार और उसके कारबार की प्रकृति को देखते हुए युक्तियुक्त है।

ग. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी मालसूची के समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही है और भौतिक सत्यापन के दौरान कोई तात्विक खामी नहीं पाई गई है।

iii) कम्पनी ने न तो प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋणों को कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को जिन्हें अधिनियम की धारा 301 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध किया गया है, प्रदान किया है न ही उनसे उन्हें लिया है।

iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी के आकार और कम्पनी के कारोबार के अनुसार मालसूची तथा नियत सम्पत्तियों तथा मालों और सेवाओं के विक्रय के लिए एक यथेष्ट आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। हमारी लेखापरीक्षा के प्रक्रम के दौरान हमने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी प्रमुख कमजोरी को नहीं देखा है।

v) कम्पनी अधिनियम की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में दर्ज किए जाने के लिए अपेक्षित किन्हीं संविदाओं, प्रबंधों या संव्यवहारों में प्रविष्ट नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश के खंड 4 (v) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

vi) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने अधिनियम की धारा 58क और 58कक के अर्थांतर्गत और कम्पनी (जमा की स्वीकृति) नियम 1975 के अनुसार वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं। तदनुसार, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी लॉ बोर्ड या राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी न्यायालय या किसी अन्य अधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

vii) हमारी राय में एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है जिसके स्कोप और कवरेज को हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके कारबार की प्रकृति के अनुसार और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

viii) प्रथम दृष्टया हमारी राय है कि, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (i) के खंड घ के अधीन लागत अभिलेख विहित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2013–14 के लिए हमने मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 209 (1) (घ) के अधीन लागत अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में कम्पनी द्वारा रखी गई लेखाबहियों का पुनर्विलोकन कर लिया है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया विहित लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण किया गया है। हमने तथापि, हमने यह अवधारण करने के लिए कि अभिलेख सही या पूर्ण हैं अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है।

ix) कानूनी शोध्यों की बाबत हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार :

क) कम्पनी साधारतया अविवादास्पद शोध्यों को जमा कराने में नियमित रही है जिसके अंतर्गत भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, विक्रय कर, धन कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य तात्विक शोध्य भी हैं जो समुचित प्राधिकारियों के साथ उसे लागू हैं।

ख) सिवाय श्रम उपकर के जो 29792.00 के, भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, विक्रय कर, धन कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य तात्विक शोध्यों में उनके संदेय होने की तारीख से छह मास से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कोई विवादस्पद रकम नहीं है।

ग) विक्रय कर, आय कर, सीमा शुल्क, धन कर, उत्पाद शुल्क, उपकर की बाबत विवाद की शोध्य बकाया रकम नीचे दिए अनुसार है :

क्र. सं.	कानून का नाम	शोध्य की प्रकृति	रकम (रुपए में)	वह अवधि जिससे रकम संबंधित है	वह मंच जहाँ विवाद लंबित है
कार्पोरेट कार्यालय					
1	आय कर अधिनियम, 1961	माँग / शास्ति	52,55,779.00	2005-06	सीआईटी (अपील)
2		माँग / शास्ति	94,44,440.00	2006-07	
	उप–योग		**1,47,00,219.00**		
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय					
1	सेवा कर	माँग / शास्ति	4,18,63,946.00	2005-06 से 2007-08	सीईएसटीएटी, कोलकाता
	सेवा कर	माँग / शास्ति	35,46,746.00	2004-05 से 2005-06	मेघालय उच्च न्यायालय, शिलांग
3	सेवा कर	माँग / शास्ति	1,31,59,280.00	2004-05 से 2008-09	सीईएसटीएटी, कोलकाता
4	सेवा कर	माँग / शास्ति	1,34,55,400.00	2004-05 से 2008-09	सीईएसटीएटी, कोलकाता
5	सेवा कर	माँग / शास्ति	37,46,050.00	2010-11 से 2012-13	सीईएसटीएटी, कोलकाता
6	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	माँग	3,07,91,784.00	2005-06	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपील एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता

7	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	मांग	11,61,775.00	2007-08	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपील एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता
	उप–योग		**10,77,24,981.00**		
दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय					
1	आंध्र प्रदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम	एपीवीएटी	44,48,905.00	वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10	आंध्र प्रदेश, उच्च न्यायालय हैदराबाद
	उप–योग		**44,48,905.00**		
पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय					
1	गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969	वैट गुजरात	2,05,694.00	2004-05	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील), अहमदाबाद, गुजरात
2	गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969	वैट गुजरात	1,62,98,974.00	2005-06	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील), अहमदाबाद, गुजरात
	उप–योग		**1,65,04,668.00**		
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय					
1	डीवीएटी अधिनियम	डीवीएटी– शास्ति	3,00,000.00	2007-08	डीवीएटी विभाग
2	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	8,72,500.00	1993-94	विक्रय कर अधिकरण
3	सेवा कर	सेवा कर तथा शास्ति	9,83,80,264.00	2004-05 से 2007-08	माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली
	उप–योग		**9,95,52,764.00**		
	जोड़		**24,29,31,537.00**		

x) कम्पनी के वित्तीय वर्ष के अंत में कोई संचित नुकसान नहीं है और इसने चालू तथा वित्त वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष में कोई रोकड़ हानि उपगत नहीं की है।

xi) कम्पनी के किसी वित्तीय संस्था या बैंक या डिबेंचर धारक को वर्ष के दौरान कोई शोध्य संदाय नहीं है। तदनुसार; आदेश के खंड 4 (xii) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

xii) कम्पनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के माध्यम से प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं।

xiii) हमारी राय में कम्पनी चिटफंड या निधि/पारस्परिक फायदा निधि/सोसायटी नहीं है। तदनुसार आदेश के खंड 4 (xiii) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

xiv) हमारी राय में कम्पनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबैंचरों एवं अन्य विनिधानों में व्यापार नहीं कर रही है। तदनुसार आदेश के खंड 4(xiv) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

xv) जैसा कि हमें सूचना दी गई है, कम्पनी ने अन्य द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं है। तदनुसार आदेश के खंड 4(xv) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

xvi) वर्ष के दौरान कम्पनी के पास कोई आवधिक ऋण बकाया नहीं है। तदनुसार आदेश के खंड 4(xvi) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

xvii) कम्पनी ने लघु अवधि ओवर ड्राफ्ट सीमा ली है और उसका उपयोजन उसीप्रयोजन के लिए किया है जिसके लिए वह ली गई थी, सिवाए इसके कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई दीर्घावधि या अन्य ऋण नहीं लिया है।

xviii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में के अंतर्गन आने वाले पक्षकार या कम्पनियों को किन्हीं अधिमानी शेयरों का आबंटन नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खंड 4(xviii) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

xix) कम्पनी ने वर्ष के दौरान लोक निर्गम द्वारा कोई धन एकत्रित नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खंड 4(xx) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

xx) कम्पनी ने वर्ष के दौरान लोक निर्गम द्वारा कोई धन एकत्रित नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खंड 4(xx) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

xxi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी ने यह कम्पनी द्वारा किया गया कोई कपट जानकारी में नहीं आया है या रिपोर्ट किया गया है और न हीं हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की जानकारी दी गई है।

कृते सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 012018 एन

ह/–
सीए अनिल जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 072783

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25.08.2014

निदेशकों की रिपोर्ट का उपाबंध :
निदेशकों की रिपोर्ट और कंपनी का प्रत्युत्तर

क्र. सं.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट / टिप्पणियाँ	कंपनी का प्रत्युत्तर
	हमने मैसर्स इंजीनियरी प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड (''कम्पनी''), के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कर ली है, जिसमें 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण और तब समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकारक सूचना है।	कोई टिप्पणी नहीं
	प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो वित्तीय प्रास्थिति, वित्तीय निष्पादन और कम्पनी के रोकड़ प्रवाह का कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 211 की उप–धारा (3ग) में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार सही और न्यायोचित दृष्टिकोण देते हैं। इस दायित्व में वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण का दायित्व शामिल है जो सही और न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और जो किसी तात्विक मिथ्याकथन चाहे कपट या त्रुटि से हो, मुक्त है।	कोई टिप्पणी नहीं
	हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करने का है। हमने भारत का चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा संचालित की है। वे मानक अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं की अनुपालना करें और लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन युक्तियुक्त आश्वासन अभिप्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरणियों तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में रकमों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन अंतवर्लित होता है। चयन की गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती है जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरणियों में तात्विक मिथ्याकथन के जोखिम का निर्धारण करना होता है चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो। इन जोखिम निर्धारणों को करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में और न्यायोचित प्रस्तुतिकरण से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है जिससे लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में समुचित है। किसी लेखापरीक्षा में उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन मानकों की युक्तियुक्तता के साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और यथोचित है।	कोई टिप्पणी नहीं
	हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित रीति में देते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं : (क) 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के मामलों की दशा के तुलनपत्र की दशा में; (ख) उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ की लाभ और हानि के विवरण की दशा में; और (ग) उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह के रोकड़ प्रवाह विवरण की दशा में;	कोई टिप्पणी नहीं

	हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकृष्टि करते हैं : गणना न किए गए/भागतः निष्पादित संकर्म के लिए उपबंधित दायित्व के साथ उपाबद्ध कानूनी बाध्यता को पूरा न करने से संबंधित टिप्पण संख्या 1, ''महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ'' का खंड 3 (क) (iii), ''राजस्व मान्यता''।	कम्पनी टिप्पण संख्या 1 ''महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ का खंड 3 (क) (iii), ''राजस्व मान्यता'' में कथित सभी कानूनी बाध्यताओं को पूरा करती हैं।
1	भारत सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956, (अधिनियम) की धारा 227 की उपधारा (4क) के अर्थांतर्गत जैसाकि कम्पनियाँ (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (आदेश) (यथासंशोधित) अपेक्षित है। हमने उक्त आदेश के पैरा 4 और पैरा 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण उपाबंध में संलग्न किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
2	अधिनियम की धारा 277 (3) द्वारा यथापेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :	
	क) हमने वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
	ख) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित लेखाबहियाँ कम्पनियों द्वारा रखी गई हैं। जहाँ तक इन लेखाबहियों की जाँच से प्रतीत होता है।	कोई टिप्पणी नहीं
	ग) शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमें अग्रेषित की गई है और हमने हमारी रिपोर्ट तैयार करने के लिए उससे समुचित रूप से ब्यौहार किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
	घ) इस रिपोर्ट में ब्यौहार किया गया तुलनपत्र लाभ और हानि विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
	ङ) हमारी राय में तुलनपत्र और लाभ और हानि विवरण कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में साधारण परिपत्र सं. 15/2013 तारीख 13 सितम्बर, 2013 के साथ नहीं पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
	च) निदेशकों की निरर्हता के विषय में, कम्पनी मामले विभाग ने उनके स्पष्टीकरण संख्या सा.का.नि. 829(अ) तारीख 21 अक्तूबर, 2003 द्वारा सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (छ) द्वारा छूट दी है; और	कोई टिप्पणी नहीं

	छ)	चूंकि केन्द्रीय सरकार ने उस दर के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है जिस पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 411अ के अधीन उपकर का संदाय किया जाना है न ही उसने उस धारा के अधीन उस रीति को विहित करते हुए कोई नियम जारी किए हैं जिनमें उपकर का संदाय किया जाएगा, कम्पनी द्वारा कोई उपकर देय और संदेय नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं

कृते सत्येन्द्र जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 012018 एन

ह/–
सीए अनिल जैन,
भागीदार
सदस्यता संख्या 072783

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25 अगस्त, 2014

इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से

ह/–
(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

समसंख्यक तारीख 25 अगस्त 2014 की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों की 31 मार्च, 2014 और कम्पनी प्रत्युत्तर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर अनुलग्नक

क्र. सं.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट / टिप्पणियां	कम्पनी का प्रत्युत्तर
	कम्पनी के वित्तीय विवरणों का सत्य और न्यायोचित दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों और लेखाबहियों तथा हमारे द्वारा लेखापरीक्षा के साधारण प्रक्रम में जांच किए गए अन्य अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात्, हम रिपोर्ट करते हैं कि :	
(i)	नियत आस्तियों के संबंध में : क) कम्पनी ने मात्रात्मक ब्यौरे और नियत सम्पत्तियों की प्रास्थिति सहित संपूर्ण विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए उचित अभिलेखों को अनुरक्षण किया है। ख) नियत सम्पत्तियों का प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन पर कोई तात्विक विसंगतियाँ नहीं पाई गई हैं। हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसकी सम्पत्तियों की प्रकृति के संबंध में नियत सम्पत्तियों के सत्यापन की आवर्ती युक्तियुक्त है। ग) वर्ष के दौरान जिन नियत आस्तियों का निपटान किया गया है, हमारी राय में वे कम्पनी की नियत सम्पत्तियों का सारवान भाग नहीं हैं और ऐसे निपटान से हमारी राय में कम्पनी के चालू समुत्थान पर कोई प्रभाव नहीं करता है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ii)	सूचियों के संबंध में : क) जैसाकि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, कम्पनी की सूची चालू संनिर्माण कार्य और सामग्री के स्टॉक से बनती है। सूची (सिवाय ठेकेदार / ग्राहकों के पास रखे हुए स्टॉक के जिसके लिए पुष्टि अभिप्राप्त कर ली गई है) का प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान भौतिक रूप से सत्यापन कर लिया गया है। हमारी राय में सत्यापन की आवर्ती युक्तियुक्त है। ख) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा सूची के सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया युक्तियुक्त और कम्पनी के आकार और उसके कारोबार की प्रकृति को ध्यन में रखते हुए युक्तियुक्त है। ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने सूचियों के उचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है और भौतिक सत्यापन के दौरान कोई तात्विक विसंगति नहीं पाई गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
(iii)	कम्पनी ने न तो ऋण प्रत्याभूत या अप्रत्याभूत किसी कम्पनी को, फर्म को या अन्य पक्षकारों को दिया या उनसे लिया है जो अधिनियम की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध है।	कोई टिप्पणी नहीं

(iv)		हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो कम्पनी के आकार और उसके कारबार की प्रकृति के संबंध में सूची की खरीद और नियत आस्तियों की खरीद के संबंध में और नियत आस्तियों तथा मालों और सेवाओं के विक्रय के संबंध में समुचित है। हमारी लेखापरीक्षा के प्रक्रम में हमने ऐसी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई मुख्य कमजोरी नहीं देखी है।	कोई टिप्पणी नहीं
(v)		कम्पनी ने कोई संविदा, प्रबंध या संव्यवहार नहीं किया है जो अधिनियम की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जा सके।	कोई टिप्पणी नहीं
(vi)		हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 58क और 58कक (निक्षेपों की स्वीकृति) नियम 1975, के अर्थांतर्गत पब्लिक से किन्हीं निक्षेपों को स्वीकार नहीं किया है। हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी विधि बोर्ड और या राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी न्यायालय या किसी अन्य अधिकरण ने कोई आदेश पारित नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(vii)		हमारी राय में कम्पनी की एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, हमारी राय में जिसका क्षेत्र और कवरेज़ को उसके आकार और कारोबार की प्रकृति के अनुसार करने के लिए और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।	प्रकटित किया गया है
(viii)		हमने कम्पनी द्वारा रखी गई लेखाबहियों का अधिनियम की धारा 209 (1)(घ) के अधीन लागत अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में पुनरीक्षण कर लिया है और हमारी यह राय है कि प्रथमदृष्टया विहित लेखे और अभिलेख बनाए और अनुरक्षित किए गए हैं। हमने तथापि यह अवधारित करने के लिए कि क्या वह सही और पूर्ण है उनकी विस्तृत जांच नहीं की है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ix)		कानूनी शोध्यों के संबंध में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार :	
	क)	कम्पनी भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय–कर, विक्रय कर, धन–कर, सेवा–कर, सीमाशुल्क, उत्पाद–शुल्क, उपकर और अन्य तात्विक कानूनी देय जो समुचित प्राधिकरणों सहित उसको लागू हैं सहित अविवादित देयों को जमा करने में साधारणतया नियमित रही है।	टिप्पण सं. 2.23 में प्रकटन किया गया है। मामलों का उपयुक्त स्तर पर शीघ्र मामले के निपटान के लिए अनुसरण किया जा रहा है।
	ख)	29792.00 रुपए के श्रम उपकर के सिवाए भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय–कर, विक्रय–कर, धन–कर, सेवा–कर, सीमाशुल्क, उपकर और अन्य तात्विक कानूनी देयों के संबंध में 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार उस तारीख से जिसको वह संदेय होते हैं छः मास की अवधि से अधिक अवधि के लिए कानूनी है। देयों के बकाया की कोई विवादित रकम नहीं थी।	
	ग)	विक्रय–कर, आय–कर, सीमाशुल्क, धन–कर, उत्पाद–शुल्क, उपकर आदि के संबंध में विवादित के लेखे बकाया देय नीचे दिए अनुसार हैं :	

क्र. सं.	कानून का नाम	शोध्य की प्रकृति	रकम (रुपए में)	वह अवधि जिससे रकम संबंधित है	वह मंच जहाँ विवाद लंबित है
कॉर्पोरेट कार्यालय					
1	आय कर अधिनियम 1961	मांग / शास्ति	5,255,779	2005-06	सीआईटी (अपील)
2	आय कर अधिनियम 1961	मांग / शास्ति	9,444,440	2006-07	सीआईटी (अपील)
	उप–योग		**1,47,00,219**		
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय					
1	सेवा कर	मांग / शास्ति	4,18,63,946	2005-06 से 2007-08	सीईएसटीएटी, कोलकाता
2	सेवा कर	मांग / शास्ति	35,46,746	2004-05 से 2005-06	मेघालय उच्च न्यायालय, शिलांग
3	सेवा कर	मांग / शास्ति	1,31,59,280	2004-05 से 2008-09	सीईएसटीएटी, कोलकाता
4	सेवा कर	मांग / शास्ति	1,34,55,400	2004-05 से 2008-09	सीईएसटीएटी, कोलकाता
5	सेवा कर	मांग / शास्ति	37,46,050	2010-11 से 2012-13	सीईएसटीएटी, कोलकाता
6	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	मांग	3,07,91,784	2005-06	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपील एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता
7	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	मांग	11,61,775	2007-08	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपील एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता
	उप–योग		**10,77,24,981**		
दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय					
1	आंध्र प्रदेश विक्रय कर अधिनियम	एपीवीएटी	44,48,905	वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10	उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
	उप–योग		**44,48,905**		
पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय					
1	गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969	वैट गुजरात	2,05,694	2004-05	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील), अहमदाबाद, गुजरात
2	गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969	वैट गुजरात	1,62,98,974	2005-06	गुजरात मूल्यवर्धित कर अधिकरण, अहमदाबाद, गुजरात
	उप–योग		**16,504,668**		

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय					
1	डीवीएटी अधिनियम	डीवीएटी–शास्ति	3,00,000	2007-08	डीवीएटी विभाग
2	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	8,72,500	1993-94	विक्रय कर अधिकरण
3	सेवा कर	सेवा कर तथा शास्ति	9,83,80,264	2004-05 से 2007-08	माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली
उप–योग			**9,95,52,764**		
योग			**24,29,31,537**		

(x)	हमारी राय में वित्त वर्ष के अंत में कोई संचित नुकसान नहीं है और उसे चालू वित्त वित्त वर्ष और उसके तुरंत पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कोई नकद हानि उपगत नहीं हुई है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xi)	कम्पनी द्वारा किसी वित्तीय संस्था या किसी बैंक या किसी डिबेंचर धारक को वर्ष के दौरान किसी देय का संदाय नहीं किया जाना है। तदनुसार आदेश के खंड 4(xi) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(xii)	कम्पनी ने प्रतिभूति के आधार पर शेयरों/डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के माध्यम से कोई उधार और अग्रिम नहीं प्रदान किए हैं। तद्नुसार आदेश के खंड 4(xii) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(xiii)	हमारी राय में कम्पनी चिट–फंड या कोई निधि/पारस्परिक फायदा निधि/संस्था नहीं है। तदनुसार आदेश के खंड 4(xiii) और खंड 4(xiii) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(xiv)	हमारी राय में कम्पनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों के व्यापार में ब्यौहार नहीं कर रही है। तदनुसार आदेश के खंड 4(xiv) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(xv)	जैसी हमें सूचना दी गई है कम्पनी ने अन्य द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधारों के लिए कोई प्रतिभूति नहीं दी है। तदनुसार आदेश के खंड 4(xv) के खंड 4(गअ) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(xvi)	कम्पनी के पास वर्ष के दौरान कोई आवधिक ऋण बकाया नहीं है। तदनुसार आदेश के खंड 4(xvi) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(xvii)	कम्पनी ने लघु अवधि ओवर ड्राफ्ट सीमा ली है और उसका उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया है जिसके लिए वह ली गई थी सिवाय इसके कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई दीर्घावधि ऋण या अन्य ऋण नहीं लिया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xviii)	कम्पनी ने किन्हीं पक्षकारों या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में आने वाली कंपनियों को कोई शेयरों का अधिमानी आबंटन नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खंड 4 (xviii) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(xix)	कम्पनी ने वर्ष के दौरान न ही कोई बकाया डिबेंचर जारी किए गए हैं न उन्हें धृत किया था। तदनुसार आदेश के खंड 4(xix) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(xx)	कम्पनी ने वर्ष के दौरान लोक निर्गम से कोई धन इकट्ठा नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खंड 4(xx) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(xxi)	हमारे द्वारा कवर की गई लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा या कम्पनी पर किसी कपट की सूचना या रिपोर्ट नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं

कृते सत्येन्द्र जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 012018 एन

ह/–
सीए अनिल जैन,
भागीदार
निदेशक
सदस्यता संख्या 072783

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25 अगस्त, 2014

इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से

ह/–
(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध

तुलन–पत्र 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार

(रकम रुपये में)

	विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	
I.	**साम्य और दायित्व**					
1	**शेयरधारकों की निधियाँ :**					
	क) शेयर पूँजी	2.1	354,226,880		354,226,880	
	ख) आरक्षितियाँ और अधिशेष	2.2	1,624,495,774	1,978,722,654	1,545,135,208	1,899,362,088
2	**गैर–चालू दायित्व**					
	क) दीर्घावधि उधार	-	-		-	
	ख) अन्य दीर्घावधि दायित्व	2.3	3,737,082,026		3,678,247,436	
	ग) दीर्घावधि उपबंध	2.4	228,943,972	3,966,025,998	226,541,800	3,904,789,236
3	**चालू दायित्व**					
	क) लघु अवधि उधार	-	-		-	
	ख) व्यापार संदेय	2.5	3,928,753,715		2,667,068,566	
	ग) अन्य चालू दायित्व	2.6	56,475,138,740		54,778,420,746	
	घ) लघु अवधि उपबंध	2.7	350,116,643	60,754,009,098	323,022,221	57,768,511,533
	योग			**66,698,757,750**		**63,572,662,857**
II.	**आस्तियाँ**					
1	**गैर–चालू आस्तियाँ**					
	क) नियत आस्तियाँ	2.8				
	(i) मूर्त आस्तियाँ		90,864,596		63,490,278	
	(ii) अमूर्त आस्तियाँ		757,897		-	
	(iii) प्रगति पर पूँजी कार्य		-		-	
	(iv) विकासाधीन अमूर्त आस्तियाँ		639,298		-	
			92,261,791		63,490,278	
	ख) गैर चालू विनिधान	-	-		-	
	ग) अस्थगित कर आस्तियाँ (शुद्ध)	2.9	73,795,988		82,590,454	
	घ) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	2.10	3,676,382,756		3,994,405,189	
	ङ) अन्य गैर चालू आस्तियाँ	2.11	487,995,003	4,330,435,538	442,220,903	4,582,706,824
2	**चालू आस्तियाँ**					
	क) चालू विनिधान	-	-		-	
	ख) सूचियाँ	2.12	45,908,897,088		42,606,504,093	
	ग) व्यापार प्राप्त	2.13	2,532,891,972		1,058,830,061	
	घ) नकद और बैंक शेष	2.14	1,653,632,052		1,468,221,193	
	ङ) लघु अवधि ऋण और अग्रिम	2.15	5,622,260,205		3,744,029,173	
	च) अन्य चालू आस्तियाँ	2.16	6,650,640,895	62,368,322,212	10,112,371,513	58,989,956,033
	योग			**66,698,757,750**		**63,572,662,857**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1				
	लेखाओं पर टिप्पणियाँ	2				

लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

ह/–
(सुमीता शर्मा)
कंपनी सचिव

ह/–
(एन. के. शर्मा)
जीजीएम (वित्त)

ह/–
(ए.वी.वी. कृष्णन)
निदेशक (वित्त)

ह/–
(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

यह हमारी समसंख्यक तारीख 25 अगस्त 2014 की रिपोर्ट में निर्दिष्ट तुलनपत्र है

कृते सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 012018 एन

ह/–
सीए अनिल जैन,
भागीदार
सदस्यता संख्या 072783

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25 अगस्त, 2014

लाभ और हानि का विवरण 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार

(रकम रुपये में)

	विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
I.	**प्रचालनों से राजस्व**	2.17	8,551,598,339	8,406,096,153
II.	अन्य आय	2.18	348,571,428	444,317,177
III.	**कुल राजस्व** (I+II)		**8,900,169,767**	**8,850,413,330**
IV.	**व्यय :**			
	प्रचालन व्यय	2.19	7,714,442,547	7,749,525,127
	कर्मचारी फायदा व्यय	2.20	537,439,410	502,219,564
	वित्तीय लागतें	2.21	94,007,113	63,175,919
	अवक्षयण एवं परिशोधन व्यय	2.8	9,929,989	9,189,115
	अन्य व्यय	2.22	283,297,792	209,757,137
	कुल व्यय		**8,639,116,851**	**8,533,866,862**
V.	**कर की अपवादी और असाधारण मदों से पूर्व लाभ** (III-IV)		261,052,916	316,546,468
VI.	अपवादी मदें		-	-
VII.	**असाधारण मदें और कर से पूर्व लाभ (V-VI)**		**261,052,916**	**316,546,468**
VIII.	असाधारण मदें		-	-
IX.	**कर से पूर्व लाभ / (हानि)** (VII-VIII)		**261,052,916**	**316,546,468**
X	कर व्यय			
	चालू कर		82,314,729	93,281,962
	अस्थगित कर		8,794,466	6,978,575
	न्यूनतम वैकल्पी कर प्रत्यय पात्रता		-	1,698,418
XI.	**वर्ष के लिए लाभ (IX-X)**		**169,943,721**	**214,587,513**
XII.	**प्रति शेयर अर्जन (मौलिक एवं मंडित)**	2.39	4.80	6.06
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
	लेखाओं पर टिप्पणियाँ	2		

लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

ह/–
(सुमीता शर्मा)
कंपनी सचिव

ह/–
(एन. के. शर्मा)
जीजीएम (वित्त)

ह/–
(ए.वी.वी. कृष्णन)
निदेशक (वित्त)

ह/–
(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

यह हमारी समसंख्यक तारीख 25 अगस्त 2014 की रिपोर्ट में निर्दिष्ट लाभ और हानि का विवरण है

कृते सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 012018 एन

ह/–
सीए अनिल जैन, सीए
भागीदार
सदस्यता संख्या 072783

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25 अगस्त, 2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(रकम रुपये में)

विशिष्टियाँ	2013-14	2012-13
प्रचालन कार्यकलापों से रोकड प्रवाह		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ	261,052,916	316,546,468
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
– अवक्षयण और परिशोधन	9,929,989	9,196,637
– आस्तियों की बिक्री से हानि/(लाभ) शुद्ध	1,618	(489,258)
– एफडीआर पर ब्याज	(54,746,309)	(137,037,155)
विदेशी मुद्रा के विनिमय पर विनमिय विभेद		
– नकद और नकद समतुल्य		
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	216,238,214	188,216,692
– सूचियों में कमी/(बढ़ोतरी)	(10,134,243)	(58,750,563)
– चालू कार्य में कमी/ (बढ़ोतरी)	(3,292,258,753)	(4,544,551,157)
– विभिन्न देनदारों में कमी/(बढ़ोतरी)	(1,519,836,011)	739,828,814
– प्रतिधारण के अधीन नियत जमा में कमी/(बढ़ोतरी)	(7,942,317)	312,619,374
– ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(बढ़ोतरी)	3,683,837,478	2,947,310,083
– चालू वर्तमान दायित्वों में कमी/(बढ़ोतरी)	983,114,543	(715,154,256)
प्रचालनों से सृजित रोकड़		
– संदत्त आय–कर	168,492,660	39,519,129
प्रचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकद		
विनिधान कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
– नियत आस्तियों का क्रय/संनिर्माण	(38,866,466)	(19,052,900)
– आस्तियों के विक्रय से आगम	163,348	607,838
– ब्याज आय	77,545,637	165,501,514
विनिधान कार्यकलापों से शुद्ध नकद		
वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
– संदत्त लाभांश	(70,845,376)	(70,845,376)
– संदत्त लाभांश कर	(12,040,172)	(22,985,780)
वित्तीय कार्यकलापों में उपयोग किया गया शुद्ध नकद		
विदेशी मुद्रा के विनिमय पर विनिमय विभेद		
– नकद और नकद समतुल्य		
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध कमी/वृद्धि	177,468,542	(1,037,736,588)
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	1,419,396,382	2,457,132,970
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	1,596,864,924	1,419,396,382
नकद और नकद समतुल्य का सामंजस्य		
हाथ में नकद	161,697	177,956
हाथ में चैक	14,700,000	-
अंतरण में जमा	247,076	-
चालू खातों में बैंकों में शेष	258,838,324	298,810,238
अन्य बैंकों में नियत जमा में शेष – अन्य	1,322,917,827	1,120,408,188
नकद और नकद समतुल्य	1,596,864,924	1,419,396,382
जोड़ें : जमा खातों में शेष (गिरवी रखा हुआ)	56,767,128	48,824,811
वर्ष के अंत में संदर्भ नोट सं. 2.14 नकद और नकद समतुल्य	**1,653,632,052**	**1,468,221,193**

टिप्पण : नकद और नकद समतुल्य में नकद और बैंक में शेष है जिसके अंतर्गत नियत जमा, उदभुत ब्याज और लिक्विड विनिधान शामिल है परंतु इसके अंतर्गत प्रतिधार/मार्जिन के अधीन नियत जमा नहीं हैं।

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

ह/–
(सुमीता शर्मा)
कंपनी सचिव

ह/–
(एन. के. शर्मा)
जीजीएम (वित्त)

ह/–
(ए.वी.वी. कृष्णन)
निदेशक (वित्त)

ह/–
(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

यह हमारी समसंख्यक तारीख 25 अगस्त 2014 की रिपोर्ट में निर्दिष्ट रोकड़ प्रवाह विवरण है

कृते सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 012018 एन
ह/–
सीए अनिल जैन,
भागीदार
सदस्यता संख्या 072783

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25 अगस्त, 2014

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 2013–14

टिप्पण संख्या : 1.0

1. लेखांकन का आधार

क) वित्तीय विवरणियाँ ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन वास्तविक अर्जन के आधार पर भारत में साधारतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं और केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 642 की उपधारा (1) (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 में विहित लेखांकन मानकों का और कम्पनी अधिनियम, 1656 (''अधिनियम'') का अनुपालन करते हैं।

ख) सभी आस्तियाँ और दायित्वों को कम्पनी अधिनियम, 1856 की पुनरीक्षित अनुसूची–IV में अधिकथित मानदंड के अनुसार चालू या गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालनों की प्राकृतिक और उससमय के जिसके भीतर आस्तियों को नकद या नकद समतुल्य में कारोबार के साधारण प्रक्रम में प्राप्त करने की संभावना है। कम्पनी ने अपने प्रचालन चक्र को आस्तियाँ और दायित्वों को चालू और गैर–चालू में वर्गीकृत करने के प्रयोजन के लिए 12 मास में रखा है।

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों का साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार करना अपेक्षाकरता है कि प्रबंधन आकलन औरपूर्वधारणा करे कि जो आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करें और वित्तीय विवरण की तारीखको और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान प्रचालनों का परिणाम आकस्मिक आस्तियों और दायित्वों का प्रकटन, यदि कोई है। तथापित यह आकलन प्रबंधन की चालू घटनाओं और कार्रवाईयों की जानकारी पर आधारित है, वास्तविक परिणाम इन आकलनों और पुनरीक्षणों, यदि कोई हों से भिन्न हो सकते हैं, इनको चालू और भावी अवधियों में मान्यता दी गई है।

3. राजस्वी को मान्यता

क) किया गया संकर्म :

i) वर्ष के दौरान किए गए कार्यों को संचयित चालू कार्य को प्रत्येक संविदा में घटाकर लाया गया है। प्रत्येक मामले के संबंध में जहाँ युक्तियुक्त निश्चय के साथ अंतिम संग्रहण दावे के समय नहीं है तो संग्रहण किए जाने तक मान्यता देने को स्थगित किया जाता है।

ii) चालू कार्य का मूल्यांकन :

चालू कार्य का मूल्यांकन वर्ष के अंत तक उपगत संचयी वास्तविक लागतों को प्रकीर्ण आय, धन आकलित लाभ परविचार किए बिना ''पूर्ण करने की विधि की प्रतिशतता पर प्रत्येक वर्ष के अंत में आबंटित संविदा लागत के पुनरीक्षण के आधार पर गणना में लेकर किया जाता है।

iii) वर्ष के अंत में निष्पादित किया गया कार्य किन्तु माप नहीं किया गया/भागतः निष्पादित कार्य को इंजीनियरों को प्रमाणपत्र के आधार पर गणना में लिया जाता है, ऐसी गणना से उदभूत प्रविष्टियों को उत्तरवर्ती लेखांकन वर्ष में विलोमतः कर दिया जाता है। तदनुसार, वास्तविक प्राप्ति/बीजकों/दावों को जारी करने के समय कानूनी बाध्यताओं को पूरा किया जाता है।

iv) परियोजनाओं के समय पूर्व बंद करने/समाप्त करने की दशा में राजस्व को उससंविदा मूल्य के परिमाण तक जिसकी वसूली संभावित है मान्यता दी जाती है।

v) सलाहकारी सेवाओं से राजस्व को समानुपातिक पूर्ण करना विधि के आधार पर मान्यता दी जाती है। उन मामलों की दशा में जहां दावों के समय युक्तियुक्त निश्चितता के साथ वास्तविक संग्रहण नहीं किया गया है। मान्यता को संग्रहण करने के समय तक स्थगित कर दिया जाता है।

vi) उन संविदाओं की दशा में जहां संविदा की लागत संविदा के राजस्व से अधिक हो जाती है, अनुमान लगाई गई हानि को तुरंत मान्यता दी जाती है।

ख) ग्राहक के साथ संविदा में बढ़ोतरी और अतिरिक्त संकर्म का उपबंध किया जाता है, माध्यस्थम पंचाटों से उदभूत दावों और बीमा दावों को प्राप्ति के आधार पर गणना में लिया जाता है।

ग) विवाद/बातचीत और असंदेह/अप्राप्त नहीं समझे जाने वाले दावों के संबंध में संविदाकारी बाध्यताओं से उदभूत नुकसानों को अंतिम निपटान तक गणना में नहीं लिया जाता है।

घ) बकाया रमक और लागू दर को गणना में लेकर समय समानुपात के आधार पर ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

ङ) भाटक से राजस्व को किराएदार से पट्टा करार के आधार पर सिवाय वहां जहां वास्तविक संग्रहण को संदेहस्पद समझा जाता है, उदभूत होने के आधार पर मान्यता दी जाती है।

4. वस्तुसूची

(i) सामग्रियाँ

क) निर्माण सामग्रियाँ, उपभोज्य और भंडार एवं उपसाधनों जिसके अंतर्गत इस्पात, सीमेंट और पाइप नहीं है को क्रय के समय संविदा लागत पर प्रभारित किया जाता है। ऐसी बची हुई सामग्रियों के निपटान के लेखा विक्रय से आगतों को विक्रय के वर्ष में प्रकीर्ण आय में गणना में लिया जाता है।

ख) इस्पात, सीमेंट और पाइपों के स्टॉक का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्त हो सकने वाले मूल्य से कम पर किया जाता है। लागत में भाड़ा और अन्य संबंधित अनुषंगिक व्यय शामिल है और उनकी गणना भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है।

(ii) कार्य में प्रगति

लेखांकन प्रयोजनों के लिए किसी संविदा को अंतिम बिलिंग, प्रतिष्ठापन प्रमाणपत्र, वाणिज्यक रूप से चालू करने, समय पूर्व बंद करने या समाप्त करने, इनमें से जो भी पहले हो, समाप्त माना जाता है।

किसी संविदा के बंद करने तक, ''ग्राहक को भेज गए बीजक'' के संचयी मूल्य को, ''अन्य चालू दायित्व'' के अधीन उपदर्शित किया जाता है और किए गए कार्य के परिमाण को, ''सूचियों'' के अधीन, ''कार्य में प्रगति'' दर्शित किया जाता है।

किसी संविदा के समाप्त/समयपूर्व बंद करने/समाप्त करने, ''ग्राहक को भेजे गए बिल' को, ''कार्य में प्रगति'' के मूल्य से घटा दिया जाता है।

5. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी परियोजनाओं की वित्तीय विवरणियों को निम्नलिखित रीति में परिभाषित किया जाता है :

i) राजस्वी मदों (आय और व्यय) को भारतीय मुद्रा में क्रय दर की मासिक औसत के आधार पर गणना में लिया जाता है।

ii) नियम आस्तियों और गैर–ध्नीय मदों को संव्यवहार की तारीख को क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

iii) अवक्षयण को आस्तियों के मूल्य को गणना में लेने के लिए उपयोग की गई दर पर गणना में लिया जताा है जिस पर अवक्षयण की संगणना की गई है।

iv) माल सूचियों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

v) धनीय मदें (आस्तियाँ और दायित्व) तथा आकस्मिक दायित्वों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान अंतिम क्रय दरों पर गणना में लिया जाता है।

गणना में लिए जाने के परिणामस्वरूप शुद्ध विनिमय विभेद की पहचान वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में की जाती है।

6. नियत आस्तियाँ

नियत आस्तियाँ (समग्र खंड) का ऐतिहासिक लागत पर कथन किया जाता है। लागत में क्रमय मूल्य और आस्ति को आशयित उपयोग के लिए क्रियाशील स्थिति में लाने के लिए अन्य आरोप्य लागत शामिल हैं।

7. विमूल्यन :

क) नियत आस्तियों को विमूल्यन की संगणना समानुपाती आधार पर सीधी रेखा विधि के अनुसार की जाती है और आस्तियों के संभावित उपयोगी जीवन के दौरान 95 प्रतिशत लागत हो बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। परियोजना स्थलों पर संनिर्माण उपस्करों और यानों को 5 वर्ष की अवधि के दौरान तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अवक्षयित किया जाता है। अन्य नियत आस्तियों का अवक्षयण प्रबंधन द्वारा आकलित दरों पर किया जाता है (नीचे, ''घ'' में यथावर्णित) जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में विहित तत्स्थानी दरों से अधिक या समान हैं।

ख) 5,000 रुपए या कम की लागत की नियत आस्ति या अैर मोबाइल फोन को उनके क्रय वर्ष में पूर्णतः अवक्षयित कर दिया जाता है।

ग) पट्ट धृत भवनों का पट्टे की अवधि या कम्पनी द्वारा अंगीकृत दरों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना पर जो भी कम हो परिशोधन कर दिया जाता है। निरंतर पट्टे के अधीन पट्टा धृत भूमि को जिसका परिशोधन नहीं किया जा रहा है, को लागत पर अग्रनीत किया जाता है।

घ) अवक्षयण की निम्नलिखित दरों को सीधी रेखा विधि के आधार पर अंगीकृत किया गया है और उनका कई वर्षों से निरंतर अनुसरण किया जा रहा है :–

भवन	1.68%
अस्थायी संनिर्माण (परियोजनाओं से भिन्न	100.00%
निर्माण उपस्कर	19.00%
फर्नीचर और सज्जा	6.33%
कार्यालय उपस्कर	11.88%
साफ्टवेयर सहित डाटा प्रसंस्करण मशीनें और कम्प्यूटर	47.50%
मोबाइल फोन	100.00%
वाहन	19.00%

अवक्षयण दरें आस्तियों के संभावित उपयोगी जीवन को इंगित करती हैं।

8. कर्मचारी फायदें

(i) लघु अवधि कर्मचारी फायदों को वर्ष के जिसमें संबंधित सेवा दी गई है के लाभ और हानि विवरण में गैर रियायती रकम पर एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी फायदों को उस वर्ष की लाभ और हानि विवरण में जिसमें कर्मचारी ने सेवा दी है एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। व्यय को संदेय रकम के विद्यमान मूलय पर मान्यता दी जातली है जिसे वास्तविक मूल्यांकन तकनकों को उचापोग करके अवधारित किया जाता है। सेवानिवृत्ति के उपरांत और अन्य दीर्घावधि फायदों के संबंध में वास्तविक लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्ति

प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कम्पनी की किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप बाध्यता हो और यह संभावना हो कि बाध्यता को निपटाने के लिए साधनों के ओवर फ्लो की अपेक्षा होगी और जिसके लिए एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर रियायत नहीं दी जाती है और उनका अभिधारण की तारीख को बाध्यता कानिपटान करने के लिए सर्वोत्तम आकलनों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को प्रावधानों का पुनरीक्षण किया जाता है और कार्य प्रगति, सर्वोत्तम आकलनों को उपदर्शित करने के लिए समायोजित की जाती है। किसी आकस्मिक दायित्व का प्रकटन किया जाता है जब तक कि आर्थिक फायदों को मूर्त रूप देने के लिए साधनों के ओरफ्लो की संभावना सुदूर न हो। आकस्मिक दायित्वों को न तो मान्यता दी जाती है, न ही उनका वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया जाता है।

10. संदेहस्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों के लिए उपबंध

भारत सरकार के विभागों और पीएसई ग्राहकों से संबंधित बंद हो गई परियोजनाओं में विविध देनदारों/ऋणों और अग्रिमों की रकम को लेनदारों/ऋणों/अग्रिमों की आयु पर ध्यान न देते हुए प्राप्त करने के लिए अच्छा समझा जाता है। इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम निपटान न किया जाए या माध्यस्थम अधिकरण/न्यायालय द्वारा विवाद के मामले में निर्णय न दे दिया जाए। संदेहस्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों के लिए प्रबंधन के पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर आवश्यक उपबंध किए जाते हैं। विविध लेनदारों/अग्रिमों को तब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब उनकी वसूली न की जा सकती हो।

11. खंड रिपोर्टिंग

परियोजनाओं की भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर कम्पनी ने दो प्रारंभिक रिपोर्टिंग खंडों अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय की पहचान की है।

12. संपत्ति की हानि

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को कम्पनी की संपत्ति चाहे इस बात का कोई संकेत हो कि संपत्तियों की हानि हो गई हैं। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान है तो कम्पनी संपत्तियों की वसूलनीय रकम का आकलन करती है। यदि संपत्ति की ऐसी वसूलनीय रकम या रोकड़ सृजित करने वाली इकाई जिसकी संपत्ति है से वसूली योगय रकम उसकी चल रही रकम से कम है तो चल रही कम को वसूलीय रकम से घटा दिया जाता है और कटौती को क्षीणता नुकसान माना जाता है और लाभ और हानि लेखे में इसको मान्यता दी जाती है। यदि तुलनपत्र की तारीख को यह संकेत हो कि पूर्व में निर्धारित क्षीणता नुकसान अब विद्यमान नहीं है तो वसूलनीय रकम का पुनःनिर्धारण किया जाता है और संपत्ति को वसूलीय रकम में अधिकतम अवक्षयित ऐतिहासिक लागत की शर्त के अधीन रहते हुए, उपदर्शित किया जाता है और तदनुसार लाभ और हानि लेखे में उसे विलोमतः कर दिया जाता है।

13. कराधान

वर्ष में कर के लिए उपबंध में आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी के उपबंधों के अनुसरण में संगणित संदेय बही खाता लाभ या अवधि के लिए करादेय आय के संबंध में संदेय कर की रकम को अवधारित चालू आय–कर आकलन शामिल है और अस्थिगित कर वह अस्थायी समय विभेद का कर प्रभाव है जो करादेय और लेखांकन आय को दर्शाता है जो एक अवधि में उदभूत होती है और पश्चावर्ती एक या अधिक अवधियों में जो विलोमतः होने के लिए सक्षम है और जिसकी संगणना सुसंगत घरेलू कर विधियों के अनुसार की जाती है।

अस्थगित कर की गणना कर दरों और तुलनपत्र की तारीख को अधिनियमित कर विधियों या पश्चातवर्ती अधिनियमित कर विधियों के आधार पर की जाती है। अस्थगित कर आस्तियों को मान्यता उस सीमा तक दी जाती है जिसकी युक्तियुक्त निश्चितता है कि भविष्य में करादेय पर्याप्त आय ऐसी अस्थगित कर आस्तियों के विरुद्ध उपलब्ध होगी जिसको वसूला जा सकेगा। अग्रनीत हानियों और अवशोषित अक्षयण के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों को उस समय सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस तक यह अभासी निश्चितता है कि पर्याप्त भावी करादेय आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी अस्थगित कर आस्तियों को वसूला जा सकेगा।

कर विधियों के अनुसार संदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), जो भावी आय–कर दायित्व के समायोजन के रूप में भावी आर्थिक फायदे देता है को एक आस्ति माना जाता है इस बात का विश्वसनीय साक्ष्य हो कि कम्पनी भविष्य में अपना साधारण कर संदत्त करेगी। कम्पनी इसका प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को पुनरीक्षण करती है और उस सीमा तक एमएटी प्रत्यय पात्रता की अग्रनीत रकम को लिखती है जिस सीमा तक इस बात का और विश्वासदायक साक्ष्य नहीं है कि कम्पनी उस प्रत्यय का उपयोग विनिर्दिष्ट अवधि में करने में सफल होगी।

14. पट्टा

प्रचालित पट्टों के अधीन पट्टा संदायों को मान्यता व्यय के रूप में लाभ और हानि लेखे में सीधे रेखा आधार पर पट्टा निबंधन पर दी जाती है।

15. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारिक अर्जन की संगणना साम्या शेयरधारकों से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि की अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयरों की भारित संख्या से भाग करके की जाती है।

प्रति शेयर कम होते अर्जन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए शेयरधारिकों से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित संख्या को कम होते संभावित साम्या शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित कर दिया जाता है।

16. पूर्वावधि मदें और पूर्व संदत्त व्यय

पूर्वावधि से संबंधित व्यय/आय और पूर्व संदत्त व्यय जो प्रत्येक मामले में 50,000 रुपए से अधिक नहीं है का चालू वर्ष के व्यय/आय के रूप में उपचार किया जाता है।

टिप्पण संख्या : 2.1
शेयर पूँजी

(रकम रुपए में)

विशिष्टयाँ	2013-2014		2012 – 2013	
	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
प्राधिकृत				
10/–रुपए प्रत्येक के 90,94,04,600 साम्य शेयर	909,404,600	9,094,046,000	909,404,600	9,094,046,000
जारी अंशधृत और पूर्णतया संदत्त				
10/–रुपए के प्रत्येक 3,54,22,688 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर	35,422,688	354,226,880	35,422,688	354,226,880
योग		**354,226,880**		**354,226,880**

टिप्पण 2.1 क

(रकम रुपए में)

विशिष्टयाँ	2013-2014		2012 – 2013	
	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
बकाया अनेक शेयरों का निपटान				
वर्ष के प्रारंभ में	35,422,688	354,226,880	35,422,688	354,226,880
जोड़े : वर्ष के दौरान जारी	-	-	-	-
घटाएं : वापस लिए गए	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	**35,422,688**	**354,226,880**	**35,422,688**	**354,226,880**

टिप्पण 2.1 ख

(रकम रुपए में)

विशिष्टयाँ	2013-2014		2012-2013	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत आयु	शेयरों की संख्या	% आयु
5% से अधिक प्रत्येक शेयर धारक द्वारा धृत शेयरों की संख्या				
भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति	35,415,677	99.98	35,415,677	99.98

टिप्पण संख्या : 2.2
आरक्षित एवं अधिशेष

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013-2014	2012 – 2013
क) पूंजी आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ पर	210,020	210,020
जोड़ें : वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
समाप्त आरक्षित शेष	**210,020**	210,020
ख) साधारण आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ पर	151,500,000	131,500,000
जोड़े : वर्ष के दौरान	20,000,000	20,000,000
साधारण आरक्षिति शेष	**171,500,000**	151,500,000
ग) सीएसआर आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ पर	7,697,607	-
आरक्षिति में अंतरित सीएसआर उपबंध का शेष	-	357,607
जोड़ें : वर्ष के दौरान वर्धन	786,493	7,340,000
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोजित	7,697,607	-
सीएसआर आरक्षित शेष	**786,493**	7,697,607
घ) लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष		
वर्ष के प्रारंभ पर	1,385,727,581	1,281,365,616
जोड़ें : वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	169,943,721	214,587,513
घटाएं : सीएसआर आरक्षिति	786,493	7,340,000
घटाएं : प्रस्तावित लाभांश	70,845,376	70,845,376
घटाएं : लाभांश वितरण कर	12,040,172	12,040,172
घटाएं : आरक्षितियों में अंतरित	20,000,000	20,000,000
अंतिम शेष	**1,451,999,261**	1,385,727,581
योग	**1,624,495,774**	1,545,135,208

टिप्पण संख्या : 2.3
अन्य दीर्घावधि दायित्व

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013-2014	2012 – 2013
व्यापार संदेय		
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम #	-	-
– अन्य	400,150,177	254,821,853
अन्य दायित्व		
– प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण / ईएमडी संदेय	1,262,791,868	1,222,003,733
– ग्राहक से प्राप्त अग्रिम	119,336,946	120,755,855
– अन्य	1,954,803,035	2,080,665,995
योग	**3,737,082,026**	**3,678,247,436**

टिप्पण संख्या : 2.4
दीर्घावधि प्रावधान

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013-2014	2012 – 2013
कर्मचारी फायदा	228,943,972	226,541,800
अन्य	-	-
योग	**228,943,972**	**226,541,800**

टिप्पण संख्या : 2.5
व्यापार देय

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013-2014	2012 – 2013
व्यापार देय		
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम #	-	-
– अन्य	3,928,753,715	2,667,068,566
योग	**3,928,753,715**	**2,667,068,566**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के अधीन कवर किए गए निकायों से शोध्य जैसाकि सूक्ष्म, लघु, मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में दिया गया है की जांच कर ली गई है और चालू वर्ष के लिए कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई है।

टिप्पण संख्या : 2.6
अन्य चालू दायित्व

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013-2014	2012 – 2013
ग्राहकों से अग्रिम	4,369,148,875	2,364,209,976
संदेय प्रतिभूति, प्रतिधारण और जमा	775,988,373	413,183,738
बकाया दायित्व	22,356,402	35,509,816
अन्य को संदेय रकम	5,996,420,612	8,671,763,682
ग्राहक के बिल में डाली गई रकम	45,217,727,403	43,198,382,951
कर्मचारियों को संदेय	9,946,619	47,815,072
कानूनी दायित्व	83,550,456	47,555,511
योग	**56,475,138,740**	**54,778,420,746**

टिप्पण संख्या : 2.7
लघु अवधि प्रावधान

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013-2014	2012 – 2013
कराधान	241,231,482	204,653,756
प्रस्तावित लाभांश	70,845,376	70,845,376
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर	12,040,172	12,040,171
कर्मचारी लाभ	25,999,613	35,482,918
योग	**350,116,643**	**323,022,221**

टिप्पण संख्या : 2.8
नियत संपत्तियाँ

(रकम रुपए में)

	विवरण	समग्र खंड					अवक्षयण/परिशोधन					शुद्ध खंड	
		अतिशेष	वर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	अतिशेष	वर्ष के लिए	समायोजन	पुनः बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
क	अमूर्त सम्पत्तियाँ												
	फ्रीहोल्ड भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	पट्टाधृत भूमि	1,615,856	-	-	-	1,615,856	-	-	-	-	-	1,615,856	1,615,856
	फ्रीहोल्ड भवन	4,687,325	-	-	-	4,687,325	2,160,190	78,747	-	-	2,238,937	2,448,388	2,527,136
	पट्टाधृत भवन	56,136,831	8,045,130	-	-	64,181,961	19,665,414	1,086,133	-	-	20,751,547	43,430,414	36,471,417
	कम्प्यूटर और उपस्कर	42,395,746	5,362,389	(4,701,286)	128,403	42,928,447	36,346,061	3,930,649	(3,615,071)	89,011	36,572,628	6,355,819	6,049,686
	कार्यालय और अन्य उपस्कर	15,502,529	3,754,884	-	2,314,003	16,943,410	11,333,252	1,491,792	-	2,210,834	10,614,210	6,329,200	4,169,277
	निर्माण उपस्कर	43,619,279	13,646,008	-	18,906	57,246,381	40,275,712	324,830	-	18,481	40,582,062	16,664,319	3,343,566
	फर्नीचर एवं सज्जा	16,863,650	5,399,626	-	1,428,709	20,834,567	8,860,508	1,693,532	-	1,406,729	9,147,311	11,687,256	8,003,142
	वाहन	4,461,426	1,620,984	-	-	6,082,410	3,151,226	597,839	-	-	3,749,065	2,333,345	1,310,200
	उप–योग	**185,282,642**	**37,829,020**	**(4,701,286)**	**3,890,021**	**214,520,356**	**121,792,364**	**9,203,523**	**(3,615,071)**	**3,725,055**	**123,655,761**	**90,864,596**	**63,490,278**
	चालू पूंजी कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	**185,282,642**	**37,829,020**	**(4,701,286)**	**3,890,021**	**214,520,356**	**121,792,364**	**9,203,523**	**(3,615,071)**	**3,725,055**	**123,655,761**	**90,864,596**	**63,490,278**
ख	अमूर्त सम्पत्तियाँ												
	अर्जित सॉफ्टवेयर	-	398,148	4,701,286	-	5,099,434	-	726,466	3,615,071	-	4,341,537	757,897	-
	उप–योग	**-**	**398,148**	**4,701,286**	**-**	**5,099,434**	**-**	**726,466**	**3,615,071**	**-**	**4,341,537**	**757,897**	**-**
	विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां	-	639,298	-	-	639,298	-	-	-	-	-	639,298	-
	महा–योग	**185,282,642**	**38,866,466**	**-**	**3,890,021**	**220,259,087**	**121,792,364**	**9,929,989**	**-**	**3,725,055**	**127,997,298**	**92,261,791**	**63,490,278**
	पूर्व वर्ष	168,797,121	19,052,900	-	2,567,378	185,282,642	115,044,524	9,196,637	-	2,448,798	121,792,364	63,490,278	53,752,595

टिप्पण : वर्ष के लिए मूल्यह्रास चालू वर्ष में बढ़कर शून्य के रूप में पूर्व अवधि ह्रास शामिल है। (पूर्व वर्ष रुपये 7522)

टिप्पण संख्या : 2.9
आस्थगित कर सम्पत्तियाँ (शुद्ध)

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013-2014	2012 – 2013
नियत संपत्तियाँ पर अवक्षयण	(9,299,955)	(8,390,133)
संदेहस्पद ऋणों, प्रतिभूति जमा/ईएमडी, अग्रिम आदि के लिए प्रावधान	42,388,566	42,388,566
कर लेखा परीक्षा फीस के लिए प्रावधान	105,064	-
कर्मचारी फायदे के लिए प्रावधान	40,602,313	48,592,021
योग	**73,795,988**	**82,590,454**

टिप्पण संख्या : 2.10
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013-2014		2012 – 2013	
(अप्रत्यभूत अच्छा समझा गया जब तक कि अन्यथा कथित नहीं है)				
बैंक प्रतिभूति पर संकर्म के लिए लिया गया अग्रिम		267,488,897		163,114,941
सामग्री पर संकर्म के लिए लिया गया अग्रिम		-		10,594,758
अन्य अग्रिम	436,925,453		58,371,599	
घटाएं : संदेहस्पद अग्रिमों के लिए उपबंध	58,146,672	378,778,781	58,146,672	224,927
कर्मचारिवृद अग्रिम*		4,303,268		5,698,281
प्रतिधारण धन	458,308,056		1,050,672,023	
घटाएं : संदेहस्पद वसूली के लिए उपबंध	22,826,562	435,481,494	22,826,562	1,027,845,461
प्रतिभूति जमा/धरोहर राशि	381,454,265		19,046,711	
घटाएं : संदेहस्पद वसूली के लिए उपबंध	48,278	381,405,987	48,278	18,998,433
प्रतिभूति जमा/धरोहर राशि		54,514,879		30,244,840
घटाएं : संदेहस्पद वसूली के लिए उपबंध		40,422,394		33,116,069
शोध्य संकर्म संविदा कर		39,763,408		252,584,437
शोध्य विक्रय कर		600,139		600,139
शोध्य आय–कर		900,000		18,064,973
अग्रिम एफबीटी	2,093,872,076		2,454,466,495	
अग्रिम सेवा कर	21,148,567	2,072,723,509	21,148,567	2,433,317,928
वसूलनीय रकम – अन्य		**3,676,382,756**		**3,994,405,189**
घटाएं : संदेहस्पद वसूली के लिए उपबंध				
योग				

* कर्मचारिवृंद अग्रिम जिसमें अधिकारियों का अग्रिम 783,617 रुपये शामिल है। (पूर्ववर्ती वर्ष 1,451,157 रुपये)

टिप्पण संख्या : 2.11
अन्य गैर चालू आस्तियाँ–व्यापार वसूलनीय

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013-2014		2012 – 2013	
(अच्छा समझा गया अप्रत्यभूत)				
छः मास से कम अवधि के लिए नामे डालें		-		-
छः मास से अधिक अवधि के लिए नामे डालें	510,533,858		464,759,758	
घटाएं : संदेहस्पद नामे डालने के लिए उपबंध	22,538,855	487,995,003	22,538,855	442,220,903
योग		**487,995,003**		**442,220,903**

टिप्पण संख्या : 2.12
सूचियां

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013 – 2014		2012 – 2013	
सामग्रियां		74,834,429		64,700,186
कार्य प्रगति (निर्माण परियोजना) :				
प्रारंभिक कार्य प्रगति	42,541,803,907		37,997,252,749	
जोड़े : वर्ष के दौरान किया गया कार्य	8,530,142,441		8,344,221,755	
	51,071,946,348		46,341,474,504	
जोड़ें / घटाएँ : पूर्व अवधि समायोजन	(275,621,575)		-	
घटाएं : पूरी की गई परियोजना	(4,962,262,114)	45,834,062,659	(3,799,670,597)	42,541,803,907
योग		**45,908,897,088**		**42,606,504,093**

टिप्पण संख्या : 2.13
व्यापार वसूलनीय

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013 – 2014		2012 – 2013	
(अच्छा समझा गया अप्रत्यभूत)				
छः माह से कम अवधि के लिए नामे डालें	2,154,059,937		641,978,740	
छः माह से अधिक अवधि के लिए नामे डालें	378,832,035	2,532,891,972	416,851,321	1,058,830,061
योग		**2,532,891,972**		**1,058,830,061**

टिप्पण संख्या : 2.14
नकद और बैंक शेष

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013 – 2014		2012 – 2013	
नकद और नकद के समतुल्य				
हाथ में नकद		161,697		177,956
हाथ में चैक		14,700,000		-
परागमन में प्रेषण		247,076		-
बैंक में शेष				
– चालू खाते में	258,838,324		298,810,238	
– नियत जमा (3 मास की परिपक्वता तक)	601,245,914	860,084,238	829,173,042	1,127,983,280
अन्य बैंक शेष				
नियत जमा (मार्जिन धन/धरोहर राशि के लिए गिरवी रखा गया)		56,767,128		48,824,811
नियत जमा (3 मास से अधिक परिपक्वता के साथ)		721,671,913		291,235,146
योग		**1,653,632,052**		**1,468,221,193**

टिप्पण संख्या : 2.15
लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013 – 2014	2012 – 2013
(अप्रत्याभूत अच्छा समझा गया सिवाय अन्यथा कथन)		
सामग्री के विरुद्ध संकर्म के लिए प्राप्त किया गया अग्रिम	299,427,443	273,839,515
बीजी के विरुद्ध संकर्म के लिए प्राप्त किया गया	2,208,840,813	888,437,054
अन्य अग्रिम	1,838,928,675	1,897,789,021
शोध्य संकर्म संविदा कर	252,468	-
अग्रिम विक्रय कर	-	3,599,903
आय–कर वसूली	363,037,317	166,830,617
कर्मचारी अग्रिम	2,615,976	4,104,268
प्रतिभूति, प्रतिधारण और धरोहर राशि की प्राप्ति	909,157,513	509.417.415
अन्य ऋण एवं अग्रिम	-	11,380
योग	**5,622,260,205**	**3,744,029,173**

टिप्पण संख्या : 2.16
अन्य चालू सम्पत्तियाँ

(रकम राशि में)

विशिष्टियाँ	2013 – 2014	2012 – 2013
उदभूत ब्याज किन्तु बैंक जमा में शोध्य नहीं	39,899,041	62,698,370
प्रीपेड खर्चे	68,053,990	11,487,586
अन्य वसूलनीय	6,542,687,864	10,038,185,557
योग	**6,650,640,895**	**10,112,371,513**

टिप्पण संख्या : 2.17
प्रचालनों से राजस्व

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013-2014	2012 – 2013
किए गए कार्य का मूल्य	8,530,142,441	8,344,221,756
सलाहकारी फीस	13,056,560	-
अन्य प्रचालन आय (प्राप्त दावे)	8,399,338	61,874,397
योग	**8,551,598,339**	**8,406,096,153**

टिप्पण संख्या : 2.18
अन्य आय

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013-2014		2012 – 2013	
निम्नलिखित से ब्याज आय				
बैंक में जमा	54,746,309		137,037,155	
कर्मचारी अग्रिम	499,257		644,144	
दावों पर ब्याज	-		85,211,671	
अन्य (उप ठेकेदारों से)	206,591,202	261,836,768	140,086,129	362,979,099
अन्य गैर प्रचालन आय				
खर्च नहीं किए गए दायित्व/बट्टे खाते में डाले गए शेष	12,456,880		42,961,361	
मुद्रा विनिमय में भिन्नता (भिन्नता)	47, 123, 102			
प्रकीर्ण आय	27,154,678	86,734,660	38,376,717	81, 338,078
योग		**348,571,428**		**444,317,177**

टिप्पण संख्या : 2.19
प्रचालन व्यय

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013- 2014	2012 – 2013
सिविल, मैकेनिकल और विद्युत कार्य	7,516,001,296	7,562,478,310
डिजाइन और सलाहकारी प्रभार	58,144,885	40,399,058
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	125,861,228	106,075,266
संदत्त दावे	8,840,184	40,352,563
स्वामित्व	5,520,850	219,930
परिनिर्धारित नुकसान	74,104	-
योग	**7,714,442,547**	**7,749,525,127**

टिप्पण संख्या : 2.20
कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013- 2014	2012 – 2013
वेतन और भत्ते	416,529,622	372,703,930
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	37,034,191	33,754,202
चिकित्सा व्यय	53,747,168	43,637,265
राजभाषा व्यय	309,138	225,079
छुट्टी नकदीकरण	12,781,052	29,740,370
उपदान	385,606	7,748,423
कर्मचारी कल्याण	16,652,633	14,410,295
योग	**537,439,410**	**502,219,564**

टिप्पण संख्या : 2.21
वित्तीय लागत

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013- 2014	2012 – 2013
ब्याज – बैंक	7,517,687	1,593,995
ब्याज – अन्य	86,489,426	61,581,924
योग	**94,007,113**	**63,175,919**

टिप्पण संख्या : 2.22

अन्य व्यय

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013- 2014	2012 – 2013
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	9,605,906	6,814,335
उपहार एवं संदान	-	51,000
दर एवं कर	3,527,233	3,074,914
डाक व्यय एवं दूरसंचार	7,836,912	6,198,381
कार्यालय मरम्मत एवं अनुरक्षण	49,795,245	42,999,628
मरम्मत एवं अनुरक्षण नियत आस्तियाँ	566,723	552,673
मरम्मत एवं अनुरक्षण–भवन	4,493,459	1,838,506
जल, विद्युत एवं ईंधन प्रभार	10,714,869	10,240,404
निविदा व्यय	4,822,033	2,723,888
विज्ञापन एवं प्रचार	9,156,167	5,845,022
विधिक और व्यावसायिक प्रभार	38,502,787	27,918,880
बीमा	1,260,320	1,104,231
मनोरंजन	1,735,098	1,621,800
बैंक प्रभार	18,421,947	5,958,996
वाहन चलाना एवं अनुरक्षण	2,962,237	2,642,688
जन शक्ति विकास	1,132,180	1,003,612
नियत आस्तियों की बिक्री पर हानि	1,618	36,257
प्रायोजन फीस	1,790,450	2,120,000
यात्रा एवं अन्य अनुषंगी व्यय	69,794,517	58,949,969
सीएसआर एवं भरणीयता	6,666,763	260,917
अनुसंधान एवं विकास	1,208,000	-
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	2,025,250	1,400,565
कारोबार संवर्धन	2,477,896	3,064,869
कार्यालय भाड़ा	8,183,645	5,026,641
कम्प्यूटर व्यय	3,163,629	2,986,039
सदस्यता एवं अंशदान फीस	1,107,761	1,035,910
फाइलिंग एवं रजिस्ट्रीकरण फीस	442,961	43,424
बट्टे खाते में डाली गई रकम	17,987,143	3,232,382
बट्टे खाते में डाली गई आस्तियाँ	85,143	2,762
विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव (हानि)	-	576,921
प्रकीर्ण व्यय	6,643,506	3,904,984
पूर्व अवधि समायोजन [व्यय / आय]	(2,813,608)	6,526,539
योग	**283,297,792**	**209,757,137**

यात्रा और अन्य अनुषंगी व्ययों में स्थल पर कठोर जीवनयापन व्यय के 8,931,816 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 8,950,339 रुपए) निदेशकों के यात्राा व्यय 6,585,074 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 4,655,636 रुपए) शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013- 2014	2012 – 2013
लेखापरीक्षा फीस	1,366,950	796,632
कर लेखापरीक्षा	372,767	203,933
प्रमाणन फीस	-	-
अन्य व्यय	285,533	400,000
योग	**2,025,250**	**1,400,565**

पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013- 2014	2012 – 2013
आय		
प्रचालन आय	-	-
अन्य आय	4,902,250	-
घटाएं : व्यय		
प्रचालन व्यय	1,502,737	3,376,499
कर्मचारी पारिश्रमिक और फायद	484,781	1,562,236
विधिक एवं व्यवसायिक	101,124	455,575
अन्य	-	1,132,229
योग	**2,813,608**	**(6,526,539)**

टिप्पण सं. 2.23
आकस्मिक दायित्व

(रकम रुपए में)

	आकस्मिक दायित्व	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार
1	विधिक और मध्यस्थता के संबंध में		
क	अधिनिर्णयन के लिए लंबित दावे, उसके लिए रकम तब ली गई है जब युक्तियुक्त रूप से उसका पता लगाया जा सके।	5,432,460,231	3,295,922,728
ख	उन मामलों के संबंध में जहां पंचाट कम्पनी के पक्ष में प्रकाशित किया गया है किन्तु प्रतिपक्ष ने अपील कर दी है।	156,091,791	96,091,791
2	ग्राहकों को जारी क्षतिपूर्ति बंद पत्रों के संबंध में	44,000,000	44,000,000
3	ग्राहकों को जारी निगम प्रतिभूति के संबंध में	-	99,60,628
4	विवाद/अपीलों के अधीन पूरे किए गए निर्धारणें के संबंध में विक्रय कर/संकर्म संविदा कर/सेवा कर की मांग के संबंध में।	242,931,537	233,028,500

पूर्वाक्त के विरुद्ध कम्पनी का ग्राहक/सहयोगियों के विरुद्ध 6,410,600,000 रुपए के बराबर रकम का दावे हैं (पूर्ववर्ती वर्ष 6,957,100,000 रुपए।

टिप्पण सं. 2.24

पूँजी लेखे पर निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की आकलित रकम और जिसके लिए ईआरपी के कार्यान्वयन के लेखे 15,900,000 का उपबंध नहीं किया गया है। (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य)।

टिप्पण सं. 2.25

विक्रय कर प्राधिकारियों के पास ''अग्रिम विक्रय कर'' शीर्ष के अधीन उपदर्शित 6,816,600 रुपए की रकम (पूर्ववर्ती वर्ष में 6,816,600 रुपए) संबंधित निर्धारिण आदेशों की वांछा के लिए समायोजन के लिए लंबित है।

टिप्पण सं. 2.26

विदेशी मुद्रा में व्यय और ओमान तथा श्रीलंका परियोजनाओं के लिए उनकी मुद्राओं में व्यय की गई रकम

(रकम रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	ओमान	श्रीलंका	अन्य	31.03.2014 के अंत	ओमान	श्रीलंका	अन्य	31.03.2013 के अंत
1	प्रचालन व्यय	2,972,895,896	61,890,977	-	3,034,786,873	1,060,873,872			1,060,873,872
2	व्यावसायिक एवं सलाह			92,553	92,553				
3	विदेशी मुद्रा में फेरफार नुकसान			-	-	1,887			1,887
4	नियत आस्तियों का क्रय	667,029	1,411,451	-	2,078,480				
5	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय			-	-				
क	यात्रा	13,755,590	940, 165	4,242,321	18,938,076	387,763		2,452,497	2,840,260
ख	प्रशिक्षण व्यय			-	-			69,887	69,887
ग	निविदा व्यय		242,024	-	242,024			11,904	11,904
घ	अन्य	248,381,672	10,111,687	525,167	259,018,526	4,541			4,541
	योग	**3,235,700,187**	**74,596,304**	**4,860,041**	**3,315,156,532**	**1,061,268,063**	**-**	**2,534,288**	**1,063,802,351**

विदेशी मुद्रा में अर्जन और ओमान तथा श्रीलंका परियोजनाओं के लिए उनकी मुद्राओं में अर्जित की गई रकम

(रकम रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	ओमान	श्रीलंका	अन्य	31.03.2014 के अंत	ओमान	श्रीलंका	अन्य	31.03.2013 के अंत
1	संकर्म प्राप्तियाँ	3,333,834,213	74,693,450	-	3,408,527,663	1,195,120,160	-	-	1,195,120,160
2	ब्याज से आय	581,588	745,637	-	1,327,225	-	-	-	-
3	विदेशी मुद्रा में परिवर्तन से लाभ	44,668,866	2,454,236	-	47,123,102	-	-	-	-
4	अन्य		8,983	-	8,983	-	-	-	-
	योग :	**3,379,084,667**	**77,902,306**	**-**	**3,456,986,973**	**1,195,120,160**	**-**	**-**	**1,195,120,160**

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान ओमान से प्राप्त अधिक्य 482,330,700 रुपए 79,80,000 अमरीकी डालरों के बराबर है।

टिप्पण सं. 2.27

क) स्कोप परिसर, नई दिल्ली में भवन के संबंध में कनवेंस विलेख जो नियत आस्तियों में 37,441,925 रुपए की लागत पर शामिल किया गया है। (पूर्ववर्ती वर्ष 37,441,925 रुपए) कम्पनी के नाम में निष्पादन के लिए लंबित है।

ख) कम्पनी ने बैंकों से बिना किसी प्रतिभूति के 6,929,548,499 रुपए की गैर–निधि आधारित प्रत्यय सीमा ली है (पूर्ववर्ती वर्ष 4,349,379,921 रुपए।)

ग) 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कम्पनी ने 56,767,128 रुपए की रकम (पूर्ववर्ती वर्ष 48,824,811 रुपए)। के नियत जमा को ग्राहकों/अन्य के पास धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा के रूप में गिरवी रखा है।

टिप्पण सं. 2.28

कम्पनी ने दो प्रारंभिक खंडों की पहचान की है अर्थात् घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। तद्नुसार, खंड सूचना नीचे दिए अनुसार हैं :

प्रारंभिक खंड सूचना (भौगोलिक)

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	घरेलू		विदेशी		अन्य (अन–आबंटित)		योग	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
कारोबार की किस्म	निर्माण		निर्माण					
प्रचालनों से राजस्व	5,143,070,676	7,210,975,993	3,408,527,663	1,195,120,160	-	-	8,551,598,339	8,406,096,153
अन्य आय	233,347,622	283,107,795	48,459,309	(1,887)	66,764,497	161,211,269	348,571,428	444,317,177
कुल आय	5,376,418,298	7,494,083,788	3,456,986,972	1,195,118,273	66,764,497	161,211,269	8,900,169,767	8,850,413,330
परिणाम								
अवक्षयण, ब्याज और कर से पूर्व लाभ	240,483,643	403,613,204	148,768,961	133,852,096	(24,262,586)	(1,48,553,797)	364,990,019	388,911,502
अवक्षयण	4,654,386	3,658,375	302,113	-	4,973,490	5,530,740	9,929,989	9,189,115
ब्याज	86,489,390	60,661,708	-	-	7,517,723	2,514,211	94,007,113	63,175,919
कर से पूर्व लाभ	149,339,867	339,293,121	148,466,848	133,852,096	(36,753,799)	(156,598,748)	261,052,916	316,546,468
कर व्यय	-	-	-	-	-	-	91,109,195	101,958,955
कर के पश्चात लाभ	149,339,867	339,293,121	148,466,848	133,852,096	(36,753,799)	(156,598,748)	169,943,721	214,587,513
अन्य सूचना								
कुल आस्तियाँ	58,142,038,754	59,680,178,959	7,750,730,950	2,574,162,083	805,988,047	1,318,321,815	66,698,757,751	63,572,662,857
नियत आस्तियाँ (शुद्ध खंड)	32,243,698	13,610,864	1,742,593	-	58,275,500	49,879,414	92,261,790	63,490,278
कुल दायित्व	56,437,330,973	58,618,223,717	7,652,677,666	2,439,552,783	630,026,457	615,524,269	64,720,035,096	61,673,300,769
पूँजी व्यय, नियत आस्तियों में वर्धन	23,408,454	7,204,037	2,078,480	-	13,379,533	11,848,863	38,866,466	19,052,900

टिप्पण सं. 2.29

कम्पनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के लेखांकन मानक 7, ''संनिर्माण संविदाएँ'' की अपेक्षाओं के अनुसरण में प्रकटन

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार
1	पारिचालन से आय राजस्व	8,551,598,339	8,406,096,153
2	रिपोर्ट की तारीख तक उपगत संविदा लागत और गणना में लिया गया लाभ	45,834,062,659	42,541,803,907
3	प्राप्त अग्रिम	4,488,485,821	2,484,965,831
4	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों से शोध्य समग्र रकम– जिसे आस्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है	1,474,387,993	139,258,041
5	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों को शोध्य समग्र रकम – जिसे दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है	858,052,736	795,837,085
6	प्राप्त प्रतिधारण धन	1,643,900,601	1,486,098,556

टिप्पण सं. : 2.30
कर्मचारी फायदे :

कम्पनी ने नीचे दिए अनुसार विभिन्न कर्मचारी फायदों को वर्गीकृत किया है :

क) भविष्य निधि में 34,254,382 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 33,158,312 रुपए) के अंशदान को लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया गया है। इसके अतिरिक्त निधि में वर्ष के लिए जिसे लाभ और हानि लेखे पर प्रभारित किया गया है, 1,714,476 रुपए के ब्याज की कमी है (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य रुपए)।

ख) कम्पनी उपदान, दीर्घावधि प्रतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा और दीर्घ सेवा प्रदान करने के लिए भी वास्तविक आधार पर परितोषिक का उपबंध करती है।

i) परिभाषित फायदा बाध्यता में प्रभार (2013–14)

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	छुट्टी यात्रा रियायात
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
छूट की दर	9.15%	9.15%	9.15%	9.15%	-
प्रति कर स्तरों में वृद्धि की दर/प्रीमियम मुद्रास्फीति	5.00%	5.00%	-	0.50%	-
आस्तियों पर रिटर्न की संभावित दर	8.40%	-	-	-	-
सेवानिवत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	
मोर्टेलिटी सारणी	आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेंट	आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेंट	आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेंट	सेवानिवृत्ति पूर्व आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेंट पश्च सेवानिवृत्ति (1996-98) अल्टीमेंट	-
प्रति जोड़े की दर से औसत प्रतिदाय	-	-	-	49155 रु.	-
आयु	कर्मचारी कारोबार (प्रतिशत)				
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	-
31 से 44 वर्ष	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	-
44 वर्ष से ऊपर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	-
1 अप्रैल को प्रोजैक्ट किया गया फायदा	156,667,408	151,736,610	7,147,582	95,392,103	-
चालू सेवा लागत	12,835,390	9,188,925	371,648	3,842,947	-
ब्याज लागत	13,465,802	13,288,141	577,152	8,108,329	-
वास्तविक (लाभ)/हानि	(15,875,957)	(9,696,014)	35,688	25,509,103	-
अधिग्रहण समायोजन	450,690	-	-	-	-

संदत्त फायदा	(22,163,186)	(39,605,673)	(1,458,420)	(9,880,141)	-
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-
31 मार्च को प्रोजेक्ट किया गया फायदा	145,380,147	124,911,989	6,673,650	122,972,341	-

ii) परिभाषित फायदा बाध्यता में परिवर्तन (2012-13)

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	छुट्टी यात्रा रियायात
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
छूट की दर	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	-
प्रतिकर स्तरों में वृद्धि की दर / प्रीमियम मुद्रास्फीति	5.00%	5.00%	-	-	-
आस्तियों पर रिटर्न की संभावित दर	8.40%	-	-	-	-
सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	-
मोर्टेलिटी सारणी	आईएएलएम (1994-96) अल्टीमेंट	आईएएलएम (1994-96) अल्टीमेंट	आईएएलएम (1994-96) अल्टीमेंट	आईएएलएम (1994-96) अल्टीमेंट	-
प्रति जोड़े की दर से औसत प्रतिदाय	-	-	-	48,060 रु.	-
आयु	कर्मचारी कारबार (प्रतिशत)				
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	-
31 से 44 वर्ष	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	-
44 वर्ष से ऊपर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	-
1 अप्रैल को प्रोजेक्ट किया गया फायदा	161,626,883	145,998,029	7,459,734	76,287,816	4,653,731
चालू सेवा लागत	7,723,251	10,382,406	380,160	2,336,127	(4,653,731)
ब्याज लागत	13,738,285	12,409,832	634,077	6,484,464	-
वास्तविक (लाभ) / हानि	(913,957)	6,948,132	(440,343)	18,982 547	-
अधिग्रहण समायोजन	965,136	-	-	-	-
संदत्त फायदा	(26,472,190)	(24,001,789)	(886,046)	(8,698,851)	-
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-
31 मार्च को प्रोजेक्ट किया गया फायदा	156,667,408	151,736,610	7,147,582	95,392,103	-

iii) योजना आस्तियाँ के न्यायोचित मूल्य में परिवर्तन (उपदान)

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013-14	2012-13
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित)
अवधि के प्रारंभ में आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	148,918,985	154,417,291
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	12,018,934	12,971,052
वास्तविक अभिदाय	7,748,423	7,209,593
वास्तविक लाभ / (हानियां)	(1,979,305)	(171,897)
संदत्त फायदा	(22,163,186)	(26,472,190)
अर्जन समायोजन	450,690	965,136
अवधि के अंत में आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	144,994,542	148,918,985

iv) तुलनपत्र में मान्यता दी गई रकम (2013–14)

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकितसा फायदा	छुट्टी यात्रा रियायात
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
31 मार्च की स्थिति के अनुसार परिभाषित फायदा बाध्यता	145,380,147	124,911,989	6,673,650	122,972,341	-
31 मार्च की स्थिति के अनुसार योजना आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	144,994,542	-	-	-	-
वित्तपोषित प्रास्थिति आस्ति/(दायित्व)	(385,605)	(124,911, 989)	(6,673,650)	(122,972,341)	-
प्राक्कलित के ऊपर वास्तविक की अधिकता	-	-	-	-	-
मान्यता प्रदान न किए गए बीमा लाभ /(हानियां)	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में मान्यता दी गई शुद्ध (दायित्व)/आस्ति	(385,605)	(124,911.989)	(6,673,650)	(122,972,341)	-

v) तुलनपत्र में मान्यता दी गई रकम (2013–14)

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	छुट्टी यात्रा रियायात
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
31 मार्च की स्थिति के अनुसार परिभाषित फायदा बाध्यता	156,667,408	151,736,610	7,147,582	95,392,103	
31 मार्च की स्थिति के अनुसार योजना आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	148,918,985	-	-	-	-
वित्तपोषित प्रास्थिति आस्ति/(दायित्व)	(7,748,423)	(151,736,610)	(7,147,582)	(95,392,103)	-
प्राक्कलित के ऊपर वास्तविक की अधिकता	-	-	-	-	-
मान्यता प्रदान न किए गए बीमा लाभ/(हानियां)	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में मान्यता दी गई शुद्ध (दायित्व)/आस्ति	(7,748,423)	(151,736,610)	(7,147,582)	(95,392,103)	-

vi) लाभ और हानि लेखे में मान्यता दिए गए व्यय (2013–14)

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकितसा फायदा	छुट्टी यात्रा रियायात
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
चालू सेवा लागत	12,835,390	9,188,925	371,648	3,842,947	-
ब्याज की लागत	13,465,802	13,288,141	577,152	8,108,329	-
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	(12,018,934)	-	-	-	-
अवधि में मान्यता दिया गया शुद्ध बीमा (लाभ)/हानि	(13,896,653)	(9,696,014)	35,688	25,509,103	-
लाभ और हानि लेखे में मान्यता दिए गए कुल व्यय	385,605	12,781,052	984,488	37,460,379	-

vii) **लाभ और हानि लेखे में मान्यता दिए गए व्यय (2012–13)**

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकितसा फायदा	छुट्टी यात्रा रियायात
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
चालू सेवा लागत	7,723,251	10,382,406	380,160	2,336,127	-
ब्याज की लागत	13,738,285	12,409,832	634,077	6,484,464	-
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	(12,971,052)	-	-	-	-
अवधि में मान्यता दिया गया शुद्ध बीमा (लाभ)/हानि	(742,060)	6,948,132	(440,343)	18,982,547	-
लाभ और हानि लेखे में मान्यता दिए गए कुल व्यय	7,748,423	29,740,370	573,894	27,803,138	-

टिप्पण सं. 2.31
संबंधित पक्षकार पकटन

कम्पनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के लेखांकन मानक 18, ''संबंधित पक्षकार प्रकटन'' के अनुसार संबंधित पक्षकारों के नाम के साथ प्रबंधन द्वारा पहचाना गया और प्रमाणित संव्यवहार की समग्र रकम और वर्ष के अंत में शेष निम्नानुसार दिया गया है :

i) प्रमुख प्रबंध कार्मिक जिसके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार किया गया था :

श्री एस पी एस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं)

श्री ए.वी.वी कृष्णन, निदेशक (वित्त) (10.10.2013 से)

श्री के. एस. राव निदेशक (04.02.2014 से, पूर्व में 16.12.2010 से 15.12.2013)

निम्नलिखित संव्यवहार संबंधित पक्षकारों के साथ कारबार के साधारण प्रक्रम में किए गए थे :

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	2013-14	2012-13
वेतन	6,059,148	6,308,187
भविष्य निधि में अंशदान	490,688	508,693
मकान किराया	1,182,856	1,256,489
चिकित्सा व्यय	44,821	546,172
बैठक फीस	160,000	102,500

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों को प्रति माह 520 रुपए प्रति मास के संदाय पर 1,000 किलोमीटर तक गैर कर्तव्य के लिए कम्पनी की कार का उपयोग करना अक्तूबर, 2013 तक अनुज्ञात है और नवम्बर, 2013 से 2000 रुपए प्रति माह की दर से उपयोग करना अनुज्ञान है। कम्पनी के नियमानुसार उपदान और प्रतिकर अनुपस्थितियाँ भी संदेय हैं।

टिप्पण सं. 2.32

31 मार्च की स्थिति के अनुसार संनिर्माण सामग्री के स्टॉक के मात्रात्मक ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	31 मार्च 2014		31 मार्च 2013	
	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रुपए में)	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रुपए में)
इस्पात	1595.51	72,495,639	1377.923	62,464,724
सीमेंट	410.15	2,338,790	376.65	22,35,461

टिप्पण सं : 2.33

रद्दकरणीय प्रचालन पट्टा के अधीन वर्ष के लिए पट्टा भाटक व्यय 8,183,645 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 5,026,641 रुपए) है को लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

टिप्पण सं : 2.34

सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 में यथापरिभाषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम निकायों को देय रकम की पहचान इन निकायों से प्राप्त पुष्टियों के आधार पर और कम्पनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर की गई है। इन पहचाने गए निकायों को वर्ष के दौरान किसी एक समय संदेय कोई रकम 45 दिन से अधिक के लिए देय नहीं थी।

टिप्पण सं : 2.35

कम्पनी भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के पत्र संख्या एफ सं. 16 (1)/ 2010–टीएसडब्ल्यू तारीख 10 जून, 2010 के द्वारा निदेश के अनुसरण में अविनिधान की प्रक्रिया में है। अविनिधान के लंबन के दौरान निम्नलिखित कार्रवाइयां पहले ही कर ली गई हैं :

1) ईपीआई को एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित करने के लिए ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में संशोधन।

2) विद्यमान 38.95 रुपए प्रत्येक मूल्य के कम्पनी के साम्या शेयरों को 10 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य में विभाजित करना (जो स्टॉक एक्सचेंज में कम्पनी को सूचीबद्ध करने के लिए पूर्व शर्त है।

3) कम्पनी के शेयरों को डीमैटिरियालाइज़ करना क्योंकि वह इस समय भौतिक प्ररूप में है; और

4) ईपीआई के शेयरों के लिए बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए ईपीआई के आकस्मिक दायित्वों में कमी करना।

टिप्पण सं. 2.36
उपबंध में चालन

(रकम रुपए में)

विशिष्टियाँ	अतिशेष	वर्ष के दौरान किया गया उपबंध	वर्ष के दौरान किया संदत्त/समायोजित	बट्टे खाते में डाले गए उपबंध	इतिशेष
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)=(ii+iii-iv-v)
कराधान	204,653,756	82,314,729	45,145,145	591,858	241,231,482
लाभांश	70,845,376	70,845,376	70,845,376	-	70,845,376
लाभांश कर	12,040,171	12,040,172	12,040,171	-	12,040,172
परियोजना आकस्मिकताएँ	124,708,933	-	-	-	124,708,933
कर्मचारी फायदा	262,024,718	51,611,525	58,692,657	-	254,943,586
योग	**674,272,954**	**216,811,801**	**186,723,349**	**591,858**	**703,769,548**
पूर्ववर्ती वर्ष	645,909,368	242,033,334	189,360,094	24,309,654	674,272,954

टिप्पण सं. 2.37

प्रबंधन में निर्धारण किया है और पाया कि नियत आस्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है।

टिप्पण सं. : 2.38

क) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा संव्यवहारों के संबंध में लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया गया है तथापि उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ है।

ख) वर्ष के दौरान कम्पनी पूर्व अवधि मदों और पूर्व संदत्त व्ययों पर एक नई लेखांकन नीति लाई है। परिणामस्वरूप चालू वर्ष के व्यय 3,28,892 रुपए से अधिक हैं, लाभ 3,28,892 रुपए से कम हैं और चालू आस्तियां 3,28,892 रुपए से निम्न हैं।

टिप्पण सं. : 2.39

प्रति शेयर आधारित और कम अर्जन की संगणना कर के पश्चात 169,943,721 रुपए के शुद्ध फायदे को पूर्णतया संदत्त 10/– रुपए के साम्या शेयर के 35,422,688 रुपए से भाग देकर की गई है (पूर्ववर्ती वर्ष 214,587,513 रुपए)।

	2013–14	2012–13
प्रति शेयर आधारित और कम अर्जन (रुपए में)	4.80	6.06

टिप्पण सं. : 2.40

पूर्ववर्ती वर्ष की संख्याओं को पुनः वर्गीकृत/पुनःसमूहीकृत किया गया है ताकि वह चालू वर्ष के वर्गीकरण/समूहीकरण के अनुरूप हो सकें।

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
(सुमीता शर्मा)	**(एन. के. शर्मा)**	**(ए.वी.वी. कृष्णन)**	**(एस पी एस बक्शी)**
कम्पनी सचिव	जीजीएम (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबध निदेशक

कृते सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 012018 एन

ह/–
सीए अनिल जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 072783

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25 अगस्त, 2014

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के लेखाओं पर भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों को तैयार करना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग करने के फ्रेम वर्क के अनुसार कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन नियुक्त कानूनी लेखापरीक्षक कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन उनके व्यावसायिक निकाय, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके द्वारा 25 अगस्त, 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा यह कथन किया गया है।

मैंने, भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा कानूनी लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागज पत्रों तक बिना किसी पहुँच के स्वतंत्र रूप से की गई है और यह कानूनी लेखापरीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों से प्रारंभिक जाँच और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा परीक्षा तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन कानूनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की अनुपूरक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने का अवसर दें।

भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक और उसकी ओर से

ह/–
(विमलेन्द्र पटवर्धन)
मुख्य वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–1,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 26 सितम्बर, 2014

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ